भारत सरकार

परिणाम बजट

2016 - 2017

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सार	1-7
I	**मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढ़ाचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा**	8-21
II	**वार्षिक योजना 2016-17 के परिव्यय और परिणाम/लक्ष्यों का विवरण**	22-68
III	**सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास**	69-91
IV	**विगत निष्पादन की समीक्षा**	92
V	**समग्र वित्तीय समीक्षा**	93-106
VI	**सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	
	सांविधिक निकाय :	
6.1.1-6.1.6	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	107-112
6.2	रावी और व्यास जल अधिकरण	112
6.3	कावेरी जल विवाद अधिकरण	113-115
6.4	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	115-116
6.5	वंसधारा जल विवाद अधिकरण	116-118
6.6	महादायी जल विवाद अधिकरण	118-120
6.7	गोदावरी एवं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड	120-121
	स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :	
6.8	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	121-124
6.9	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	124-125
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:	
6.10	जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	125-128
6.11	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	128-130

अनुलग्नक

I	**2014-15** में निष्पादन	131-187
II	2015-16 में निष्पादन	188-241
III	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में सूचना : एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना) और नमामि गंगे परियोजना	242-247
IV	XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	248
V एवं **VI**	XII वीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	249-252

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणाम बजट 2016-17 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों तथा 2016-17 के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं :-

अध्याय

शामिल पहलू

I. यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जल के एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में समग्र विकास, संरक्षण और प्रबंधन तथा विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित इस संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य और समन्वय हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है । केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा सचिव के नियंत्रणाधीन मंत्रालय प्रशासन स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और विषयगत स्कन्धों के अंतर्गत गठित है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, आठ अधीनस्थ कार्यालय, ग्यारह सांविधिक निकाय, तीन स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं ।

II. इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है इसे व्यय बजट खंड II में शामिल किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य (वित्तीय) बजट 2016-2017 और परिणाम बजट 2016-2017 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है । इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (मध्यम, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।

III. इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया व्यापक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और अंतिम परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।

IV. इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है ।

V. इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों और खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI. इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सांविधिक/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

2. मंत्रालय संबंधित कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के साथ व्यय के विषय में नियमित समीक्षा बैठकें करके विभिन्न केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में वित्तीय और वास्तविक प्रगति की निगरानी करता है । राज्य क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जल संसाधन / सिंचाई / बाढ़ नियंत्रण के राज्य सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं ।
3. भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय की वेबसाइट फिर से तदनुरूप बनाई गई है । राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)ने 11.06.2014 को इस मंत्रालय की वेबसाइट शुरू की है ।

   ई-ऑफिस - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत एनआरसी और डीएआरपीजी के सहयोग से एक मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । इससे मंत्रालय की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव आने के साथ-साथ मंत्रालय में ई-गवर्नेंस कार्य-कलापों, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा । आगे चलकर इसे मंत्रालय के संगठनों में भी कार्यान्वित किया जाएगा ।
4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्दों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियॉ, अभिज्ञात परियोजनाओ, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, का सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन तथा बाढ़ पूर्वानुमान में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है। आयोग, मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरिंग के एक भाग के रूप में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।

   केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय मिशन को अनुमोदन देने के अनुसरण में एक मिशन सचिवालय स्थापित किया गया है । वर्तमान में यह मिशन निदेशक के रूप में जल संसाधन मंत्रालय के विशेष सचिव के नेतृत्व में कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय जल मिशन प्रलेख में परिकल्पित आठ सलाहकार समूह / समितियां बनाई गई हैं ।

   इस मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठन जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं । मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्य कर रहे हैं । रावी और ब्यास जल अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा जल विवाद

अधिकरण, वंसधारा जिल विवाद अधिकरण और महादायी जल विवाद अधिकरण अंतर-राज्य जल विवादों का समाधन करने के लिए कार्य कर रहे हैं । ब्रह्मपुत्र बोर्ड जल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में कार्य कर रहा है ताकि बाढ़ नियंत्रण और तटकटाव पर बल देते हुए अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । वर्ष 2014-15 में आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, (संशोधन) 2014 के अन्तर्गत दो नए बोर्ड अर्थात कृष्णा और गोदावरी प्रबंधन बोर्ड और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण गठित किए गए हैं ।

5. केन्द्रीय भूजल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापः-

जलभृत मानचित्रणः जलभृत मानचित्रीकरण एक बहुअनुशासनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जियोलॉजिक, जियोफिजिकल, हाइड्रो जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और जल गुणवत्ता आंकड़ों को समेकित किया जा सके, जिससे जलभृत में भूजल का परिमाण, गुणवत्ता और वितरण की विशेषता बताई जा सके। उपयुक्त स्केल पर जलभृत मानचित्रण किया जाना चाहिए और इस सामान्य पूल संसाधन के लिए स्थायी प्रबंधन योजना तैयार की जाए और कार्यान्वित की जाए। इससे ग्रामीण भारत के बड़े भाग और शहरी भारत के बहुत से भागों में पेयजल सुरक्षा भूजल संसाधन विकास में सुधरी हुई सिंचाई सुविधा स्थायित्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जलभृत मैपिंग को 1:50,000 स्केल पर प्राथमिकता क्षेत्रों में लिया जाना है। जलभृत मैपिंग और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित मुख्य कार्यकलाप मौजूदा आंकड़ों का संकलन, डाटा अंतराल विश्लेषण, अतिरिक्त आंकड़ों को उत्पन्न करना तथा जलभृत योजना को तैयार करना है। प्रत्येक कार्यकलाप के कई उप-कार्यकलाप और कार्य हैं और इन्हें कार्यान्वयन के लिए ब्यौरे की प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है।

जलभृत मानचित्रीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यकलापः अतिरिक्त आंकड़ों को उत्पन्न करनाः डाटा निर्माण के मामले में 2015-16 के दौरान 1.30 लाख वर्ग कि.मी. प्राथमिकता क्षेत्रों में इन-हाउस संसाधनों के माध्यम के लिए क्षेत्रीय कार्यकलाप किए गए। भूजल प्रबंधन अध्ययन अर्थात; अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, जियोफिजिकल सर्वेक्षण, रासायनिक गुणवत्ता अध्ययनों और माइक्रो-स्तर जलविज्ञानीय सर्वेक्षणों को जलभृत मानचित्रों के लिए मूल्य वर्धन के लिए किया जाता है। आंकड़ों को तैयार करने के कार्यकलाप को व्यक्तिगत उपलब्धि इस प्रकार हैः

भूजल सर्वेक्षणः अन्वेषण का उद्देश्य जलभृत डिस्पोजीशन का सटीक डीमार्केशन और क्षेत्र में उप-सतही भूजल के जलविज्ञानीय पैरामीटरों की विशेषता है। इसे बोर्ड द्वारा 84 ड्रिलिंग रिंगों की एक फ्लीट (28 डायरेक्ट रोटरी, 48 डाउन दि होल और 8 परकुशन कॉम्बीनेशन टाइपों) के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने 475 कुंओं का (ईडब्ल्यू-303, ओडब्ल्यू-130, पीजेड-42) निर्माण किया है, इसमें 31 हाई यील्डिंग कुएं शामिल हैं ताकि विभिन्न जलविज्ञानीय सेटअप में भूजल क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

जियोफिजिकल अध्ययनः जलभृत मैपिंग और कम-अवधि की जल आपूर्ति जांच के अभिन्न अंग के रूप में जियोफिजिकल अध्ययन किये जाते हैं। 2015-16 के दौरान 31 दिसंबर, 2015 तक सीजीडब्ल्यूबी ने 2013 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, 65.38 किलोमीटर रेजिस्टवली प्रोफाइलिंग और 82 बोर होलों की जियोफिजिकल लॉगिंग देश के विभिन्न भागों में की है।

जल गुणवत्ता विश्लेषणः मूलभूत घटकों, भारी धातुओं (जैसे सीयू, जेडएन, एफई, एमएन, सीओ, सीडी, सीआर, एनआई, पीबी इत्यादि), ऑरगैनिक और विशिष्ट घटकों के लिए 21496 जल नमूनों का विश्लेषण वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसंबर, 2015 तक किया गया।

जल आपूर्ति जांचः बोर्ड सरकारी एजेंसियों के लिए कम-अवधि की जल आपूर्ति जांच करता है और उनकी जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सहायता देता है। रक्षा को छोड़कर सभी अन्य विभागों से सामान्यतया न्यूनतम राशि ली जाती है। बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान, 31 दिसंबर, 2015 तक कुल 170 जांच की हैं।

भूजल रिजीम मॉनिटरिंगः बोर्ड ने सभी क्षेत्रों में अप्रैल/मई माह, अगस्त 2015 के लिए लगभग 27000 भूजल प्रेक्षण कुंओं के नेटवर्क के माध्यम से देश में भूजल स्तरों की निगरानी की है। मौजूदा प्रेक्षण कुंओं में वृद्धि करने के लिए 509 अतिरिक्त कुंओं की स्थापना की है। पूर्व-मानसून अवधि के दौरान कुंओं की जल गुणवत्ता मॉनीटर की जाती है।

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरणः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में देश के भूजल प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण और विकास के प्रयोजन के लिए दिनांक 14.01.94 की अधिसूचना सं.एस.ओ.38(ई) के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के खंड 3 के उप-खंड (3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का गठन किया गया है। "केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण" के विनियामक कार्य को सरल और कारगर बनाने के भाग के रूप में राजस्व जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/डिप्टी कमिश्नरों की अधिसूचित क्षेत्रों में पेय/घरेलू उपयोग के लिए भूजल की निकासी के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में पेय/घरेलू प्रयोजनों के भू-जल की निकासी के लिए अनुमति देने के लिए अनुरोध को तैयार करने की अनुमति दी गई है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने देश में उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भूजल के निष्कर्षण के लिए एनओसी की मंजूरी के लिए संशोधित दिशानिर्देश भी बनाए हैं। केन्द्रीय भूजल अधिकरण को देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण और इस प्रयोजन के लिए मार्ग निर्देश जारी करने का दायित्व सौंपा गया है। कुल अधिसूचित क्षेत्र अब 162 हैं।

देश के भूजल संसाधन का आकलनः राज्य स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण में संबंधित राज्य भूजल विभागों और केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा देश के डायनेमिक भूजल संसाधन का संयुक्त

रूप से मूल्यांकन किया जाता है। आधार वर्ष 2011 के संदर्भ में डायनेमिक भूजल संसाधन मूल्यांकन किया गया है जबकि "भारत के डायनेमिक भूजल संसाधन का मूल्यांकन" तैयार किया जा रहा है।

6. एचआरडी/सीबी स्कीम का सूचना, शिक्षा और संचार घटक का उद्देश्य विभिन्न जल संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए समन्वित प्रयास पर सम्यक जोत देते हुए समग्र रूप से जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्ष्य समूहों में जागरूकता सृजन के विचार से मंत्रालय और इसके संगठनों में जन जागरूकता कार्यकलाप करना है।
7. राष्ट्रीय जल अकादमी, जो पुणे में स्थित है, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, मूल्यांकन, निर्माण, प्रचालन और मॉनीटरिंग के क्षेत्रों को शामिल करते हुए जल संसाधन विकास और प्रबंधन के सभी पक्षों पर तथा जल क्षेत्र में हाई-एंड प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान है।

   राष्ट्रीय जल अकादमी ने क्लाइंट के स्थानों पर इसके कैंपस और ऑफ-कैंपस पर क्लाइंट संगठनों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्टम-डिजाइंड कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। एनडब्ल्यूए ने विश्व मीटरोलॉजिकल संगठन के सहयोग से "दूरवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम" के क्षेत्र में भी पहल की है।

   राष्ट्रीय जल अकादमी सभी पणधारियों के लिए जल संसाधन विकास और प्रबंधन के पहलुओं प्रतिवर्ष लगभग 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर को अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाता है। सभी पणधारियों की सूचना के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी की वेबसाइट (nwa.mah.nic.in) पर अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर होस्ट किया जाता है। प्रत्येक माह सीडब्ल्यूसी के मुख्यालयों को वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की जाती है।
8. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना के अंतर्गत जल शेष अध्ययन, पूर्व-साध्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और हिमालयी और प्रायद्वीपीय घटकों से संबंधित अंतरबेसिन जल अंतरण के लिए साध्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार कर रही है। अंतः-राज्य संपर्कों के लिए पीएफआर/एफआर/डीपीआर के अंतर्गत संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टोंकी तैयारी का कार्य भी एनडब्ल्यूडीए को सौंपा गया था। वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित बजट परिव्यय 69.00 करोड़ रूपए था। वर्ष 2016-17 के लिए बजट परिव्यय 73.50 करोड़ रूपए प्रस्तावित किया जाता है।

   एनपीपी के अंतरबेसिन जल अंतरण संपर्कों के अंतर्गत, 2013-14 के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-।।, दमनगंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना 2013.14 के दौरान पूरी की गई और अगस्त. 2015 तक पार-तापी नर्मदा संपर्क की डीपीआर पूरी कर दी गई है। 2015-16 के दौरान भारतीय भाग के लिए हिमालयी घटक के अंतर्गत 3 संपर्कों की साध्यता रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। 2 संपर्कों की साध्यता रिपोर्टें वर्ष 2016-17 के दौरान पूरी की जाएंगी।

राज्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा संपर्क और बिहार के कोसी-मेची संपर्क परियोजनाओं की डीपीआर वर्ष 2013-14 के दौरान पूरी हो गई थी। 2015-16 के दौरान 4 संपर्कों नामतः महाराष्ट्र की वेनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा तापी) संपर्क परियोजना, तमिलनाडु को पौन्नैयर-पलार संपर्क परियोजना, झारखंड की बाराकार-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क परियोजना और उड़ीसा की वंशधारा-रूशीकुल्या संपर्क परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है।

राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतः-राज्य संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत 2013-14 में 6 पीएफआर पूरी की गई हैं, अंतःराज्य संपर्कों की 2 पीएफआर 2014-15 में पूरी की जाती है, 1 पीएफआर और डीपीआर 2015-16 में पूरी की जाएगी और अंतःराज्य संपर्कों की 2 डीपीआर 2016-17 के दौरान पूरी की जाएंगी।

विभिन्न स्तरों पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एनडब्ल्यूडीए के वित्तीय बजट का वास्तविक आयाम नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जो एनडब्ल्यूडीए का शीर्ष निकाय है। एजेंसी के कार्यक्रम और वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार होती है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए की गवर्निंग बॉडी वर्ष में दो बार कार्यों के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करती है। इन समितियों में सभी संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। साध्यता रिपोर्टें और ऐक्जीक्यूटिव समरी/एनडब्ल्यूडीए द्वारा पहले से पूरी की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं आम जनता की सूचना के लिए एनडब्ल्यूडीए की वेबसाइट (www.nwda.gov.in) पर उपलब्ध है। एक बार कार्यान्वित किया गया अंतर बेसिन जल अंतरण कार्यक्रम सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि, बिजली उत्पादन और जल की कमी वाले क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति के लिए भी सहायता करेगा।

9. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का महत्वपूर्ण कार्यकलाप सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के यूनिट-। (बांध और संबद्ध कार्य) और यूनिट-।। (जल-विद्युत) का सक्षम, किफायती और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 07.05.2010 को हुई इसकी 77वीं बैठक में एसएससीएसी द्वारा 2008-09 के मूल्य स्तर पर एसएसपी की इकाई-। और इकाई-।।। का संशोधित आकलन अनुमोदित किया गया। मई, 2010 में योजना आयोग द्वारा 39240.45 करोड़ रूपए के लिए 2008-09 के मूल्य स्तर पर एसएसपी के परियोजना आकलन के लिए निवेश क्लियरेंस मई, 2010 में दी गई थी।

पंपिंग/रीवर्सिबुल मोड में सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल पॉवर हाउस (6x200 एमडब्ल्यू) का प्रचालन करने के लिए मुख्य बांध के अनुप्रवाह में गरूड़ेश्वर वायर के कार्य को सौंपना, जो यूनिट-।।। कार्यों का भाग है, एसएससीएसी द्वारा इसकी 79वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है। गरूड़ेश्वर वायर की आकलित लागत 438.18 करोड़ रूपए है और

सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता को 2,99,43,36,391.50 रूपए का कार्य दिया गया, जिसे 48 माह में पूरा किया जाना है। निर्माण का कार्य जारी है।

10. मंत्रालय ने, वर्ष 2016-17 के दौरान 5 मुख्य समूहों (केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों) के लिए योजना स्कीमों का कार्यान्वयन किया। 12वीं योजना अवधि के लिए, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही/मॉनीटर किये गए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों को 5 समूहों 21 केन्द्रीय क्षेत्र और 2 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों में क्लब किया गया है। इनमें नई केन्द्र क्षेत्रीय स्कीमें नामतः महाराष्ट्र की "वोडवाड़ परिसर सिंचन योजना" पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, एआईबीएफएमपी का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय गंगा योजना, नदी के अग्रभागों सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण-कार्य, एनसीटी की जल परियोजना, नदियों की इंटरलिंकिंग की डीपीआर शामिल हैं और एक नई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम नामतः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वित्त वर्ष 2014-15 से हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बजट में शामिल की गई है।

अध्याय-1

मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढ़ाचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्य व्यापार आबंटन नियमावली के अनुसार निम्न अनुसार हैः

I सामान्य

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहत, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा दोहन; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय का प्रबंधन एवं जलाशय अवसाद; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधन; जल जमाव और समुद्र-तट कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्जीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।

II अंतर्राष्ट्रीय पहलू

8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थायी सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाह्य सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.2 जल संसाधन मंत्रालय के उपर्युक्त कार्य, इसके निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग

2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
8. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण
8. वंशधारा जल विवाद अधिकरण
9. महादायी जल विवाद अधिकरण
10. कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
11. गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
3. राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.3 यह मंत्रालय वर्ष 2016-17 के दौरान 5 मुख्य समूहों (केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों) में इन योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। समूहवार इनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

1.3.1 मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

पोलावरण बहुउद्देश्यीय परियोजनाः केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 मई, 2014 को हुई अपनी बैठक में आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) और इसके शासी निकाय के गठन का अनुमोदन दिया । इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी।

मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम परियोजना (इन्दिरा सागर (पोलावरम) नाम से भी जानी जाने वाली) एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें आकलित कृष्य कमान क्षेत्र 2.91 लाख हेक्टेयर और 960 मेगावाट विद्युत उत्पादन शामिल है । इसमें विशाखापटनम शहर और अन्य क्षेत्रों को 23.44 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था होने के साथ-साथ विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को औद्योगिक जलापूर्ति की व्यवस्था है । कृष्णा नदी बेसिन को वर्ष में 80 टीएमसी के अंतरबेसिन अंतरण की भी योजना है ।

फरक्का बैराज परियोजना : फरक्का बैराज परियोजना को भगीरथ-हुगली नदी प्रणाली की व्यवस्था नौसंचालन में सुधार करके कोलकत्ता बंदरगाह का परिरक्षण और अनुरक्षण करने के लिए 1975 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्यालाय पश्चिम बंगाल के फरक्का में है। फरक्का में गंगा से भगीरथी में अधिक ऊपरी भूमि जलापूर्ति से लवणता में कमी आती है तथा कोलकत्ता और आस-पास के क्षेत्रों में मीठे जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। फरक्का में गंगा नदी पर निर्मित रेल-सह-सड़क पुल पूर्वोत्तर राज्यों का शेष देश से प्रत्यक्ष सड़क एवं रेल सम्पर्क स्थापित करता है। फरक्का में भगरथी/हुगली नदी प्रणाली, फीडर नहर और नौचालन लॉक हल्दिया-इलाहाबाद अंतर-देशीय जल मार्ग (राष्ट्रीय जल मार्ग-I) का हिस्सा है। फरक्का बैराज परियोजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:-

- गंगा नदी पर 2245 मी. लम्बा बैराज और 109 खण्ड तथा 11 खण्डों सहित एक हेड रेगुलेटर।
- जंगीपुर में भागीरथी नदी पर 213 मी. लम्बा बैराज और 15 खण्ड।
- 38.38 कि.मी. फीडर नहर, जिसकी जल संवहन क्षमता 1133 क्यूमेक (40,000 क्यूसेक) है।
- फरक्का और जंगीपुर में नौचालन लॉक।
- कालिन्द्री लॉक चैनल, शेल्टर बेसिन एवं अन्य अवसंरचनाएं।
- फरक्का बैराज का बायां अफ्लक्स बांध-33.79 कि.मी. लंबा, फरक्का बैराज का दाहिना अफ्लक्स बांध- 7 कि.मी. लंबा और जंगीपुर बैराज का अफ्लक्स बांध- 16.31 कि.मी.।
- फीडर नहर पर दो रेल-सह-सड़क पुल और दो सड़क पुल।
- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में विभिन्न स्थानों पर कई रेगुलेटर।
- फीडर नहर के आरडी 48.00 पर बागमारी साइफन और फीडर नहर के आरडी 62.532 पर जेटीस शेल्टर बेसिन।

फरक्का बैराज परियोजना के मुख्य कार्य:

- फरक्का बैराज, जंगीपुर बैराज, फीडर नहर (बागमारी साइफन सहित), नौचालन लॉक का संचालन एवं अनुरक्षण।

- भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के जल बंटवारे के संबंध में हुए समझौते का कार्यान्वयन करना।
- फरक्का बैराज के बढ़ाए गए कार्य क्षेत्र में 40 किमी प्रतिप्रवाह और 80 किमी अनुप्रवाह में कटावरोधी और तट सुरक्षा कार्य करना।

बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) : भारत में बांध सुरक्षा कार्यों को लगातार सुदृढ़ किए जाने के एक भाग के रूप में विश्वबैंक की सहायता से 2100.00 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना के तहत चार राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, ओड़िशा, केरल और तमिलनाडु के लगभग 223 बड़े बांधों का पुनरूद्धार किया जायेगा। बाद में डीआरआईपी में शामिल करने के लिए कुछ और राज्यों/संगठनों की पहचान भी की गयी है जिसके लिए परियोजना अनुमान में अनावंटित संसाधनों की व्यवस्था की गयी थी। डीआरआईपी के परियोजना विकास उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- चुने गए मौजूदा बांधों को सम्बद्ध संरचनाओं की सुरक्षा एवं निष्पादन में स्थायी ढंग से सुधार और
- संबंधित राज्यों में और केन्द्र स्तर पर बांध सुरक्षा सांस्थानिक ढांचे को सुदृढ़ करना।

डीआरआईपी के उद्देश्य को भौतिक और प्रौद्योगिकीय बांध सुधारों, बांध संचालन का प्रबंधकीय उन्नयन, प्रबंधन और अनुरक्षण के साथ-साथ सांस्थानिक सुधार में निवेश करके प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त, आशा है कि परियोजना में शामिल चुने गए बांधों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा संबंधित राज्यों में सभी बांधों के संबंध में पूरी प्रणाली प्रबंधन में, सांस्थानिक विकास कार्यों से सुधार होगा। इस तरह परियोजना से बांध प्रणाली प्रबंधन का सम्पूर्ण रूप में समाधान होगा।

डीआरआईपी के लिए परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, चार संबंधित राज्यों के जल संसाधन विभाग और तमिलनाडु तथा केरल के राज्य विद्युत बोर्ड हैं। परियोजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन का समन्वय केन्द्रीय जल आयोग प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग परामर्शदाता फर्म की सहायता से कर रहा है।

परियोजना की कुल लागत में से 80 प्रतिशत राशि विश्वबैंक से ऋण के रूप में ली जायेगी और 20 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वहन की जायेगी। पहचान किए गए बांधों के पुनरूद्धार और सुधार के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों के अलावा परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र में संबंधित राज्यों में सभी बड़े बांधों के सुरक्षित संचालन और अनुरक्षण से संबंधित समुचित सांस्थानिक तंत्र का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्र स्तरीय सुरक्षा निगरानी और मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में सांस्थानिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। परियोजना 18 अप्रैल, 2012 से शुरू हो गयी है और 6 वर्षों तक चलेगी।

1.3.2 नमामि गंगे

मुख्य मंत्रालयों नामतः (क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (ग) शहरी विकास (घ) पेयजल और स्वच्छता (ङ) ग्रामीण विकास (च) पर्यटन और (छ) पोत के सचिवों के समूह जून, 2014 से व्यापक कार्ययोजना तैयार करने हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में एक संयुक्त रिपोर्ट 28 अगस्त, 2014 को

माननीय मंत्रियों को प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में लघु, मध्यम और दीर्घावधि में आवश्यक निम्ननिखित नये व्यापक कार्यकलाप करने की सिफारिश की गई हैं। जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैः

क. लघु अवधि कार्यकलाप

(क) पुनर्वास और गंगा के पास मौजूदा परिशोधन संयंत्रों का स्तरोन्नयन स्कीम

(ख) गंगा के पास अभिनिर्धारित शहरों में शत प्रतिशत सीवरेज अवसंरचना सुनिश्चित करना। खुले नालों में स्वस्थाने सीवेज परिशोधन

(ग) परियोजना के लिए एक आधार तैयार करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु सहयोग

(घ) चुनिंदा शहरों और कस्बों में घाटों के विकास हेतु नदी तट प्रबंधन

(ङ) कानपुर और अन्य शहरों में औद्योगिक प्रदूषण समाप्त करना

(च) चार धाम यात्रा हेतु कार्ययोजना- जनसुविधाएं, अपशिष्ट निपटान और स्वच्छता

(छ) शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण

(ज) वनारोपण- फ्लोरा का संरक्षण

(झ) जलीय जीव का संरक्षण - डॉल्फिन, मेढकों और घड़ियालों पर विशेष ध्यान

(ञ) गंगा कार्यबल (जैसे पूर्व सेनानी, स्वैच्छिक कर्मी) के माध्यम से फूलों और अन्य पूजा सामाग्रियों का सुरक्षित निपटान

(ट) गंगा बेसिन के लिए जीआईएस डाटा और स्थानिक विश्लेषण

(ठ) समुदायों की गंगा पर परंपरागत जीविकोपार्जन हेतु निर्भर समुदायों का अध्ययन

(ड) गंगा निगरानी केन्द्र

(ढ) गंगा में बालू खनन हेतु दिशानिर्देश

(ण) ऊपरी खंडों पर भागीरथी के मार्ग के अध्ययन और सुधार को सुकर बनाना

(त) गंगा नदी की विशेष विशेषताओं का मूल्यांकन

(थ) संचार और जनपहुंच कार्यकलाप इत्यादि

(ख) मध्यम अवधि कार्यकलाप (अवसंरचना और गैर-अवसंरचना)

चालू परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा निम्नलिखित की परिकल्पना की गई हैः

- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गंगा के तट पर एक सौ अट्ठारह (118) को अनंतिम रूप से अभिनर्धारित किया गया है जिन्हें सीवरेज अवसंरचना के कवरेज हेतु बढ़ाया जाएगा (शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उसकी अनंतिम आकलित लागत 51,000 करोड़ रूपए है जबकि वास्तविक राशि को डीपीआर तैयार करने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा)। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने 8 सितंबर, 2014 को आयोजित माननीय प्रधानमंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु पहले ही शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है।
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का खुले शौच से मुक्त करने के लिए गंगा तटों पर स्थित सभी 1649 ग्राम पंचायतें बनाने हेतु एक योजना तैयार करने का विचार है। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने 8 सितंबर, 2014 को आयोजित

माननीय प्रधानमंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु पहले ही शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/सीपीसीबी ने सभी गंगा नदी बेसिन राज्यों में स्थित सकल रूप से प्रदूषित उद्योगों से शून्य तरल निस्सरण करने पर बल दिया है।
- गंगा बेसिन में नम भूमि और झील संरक्षण नदी पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए अपेक्षित है। नम भूमि प्रबंधन में पर्यावरण, शहरी योजना और विकास, कृषि, वन, जनहित समूहों, अनुसंधान संस्था और नीति निर्माताओं से संबंधित राज्य विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियों में गहन मॉनीटरिंग और उत्तम संपर्क और सहयोग को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय जल जीव पारिस्थितिकी संरक्षण नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम नम भूमि और झील प्रबंधन हेतु पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के सहयोग से गंगा बेसिन में नम भूमि और झीलों का प्रस्तावित संरक्षण किया जा सकता है।

ग. दीर्घावधि कार्यकलाप

सचिव-समूह ने अपनी रिपोर्ट में निर्धारित किया है कि निर्मल धारा, अविरल धारा और पारिस्थितिकी और भूगर्भीय स्थिति को सनिश्चित करने की अवधारणा को परिभाषित करने के रूप में गंगा नदी के संरक्षण हेतु दीर्घावधि दृष्टिकोण गंगा नदी के समग्र रूप से संरक्षण हेतु 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संघटन द्वारा तैयार की जा रही गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना से तैयार होगा। इस योजना का पहला संस्करण दिसंबर, 2014 के अंत तक उपलब्ध होने की आशा रखी गई थी। तद्नुसार, वैकल्पिक पर्यावरण प्रभाव (ई-फ्लो) को निर्धारित करने की संभावना पर दिनांक 21.08.2014 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मंत्रि स्तरीय बैठक में चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संगठन के आयोजक की आवश्यक सहायता/सलाह लेकर उक्त दो मंत्रालयों के अवर सचिव स्तर पर इस पर अन्वेषण किया जाए।

1.3.3 नदी बेसिन प्रबंधन

राष्ट्रीय नदी मिशनः राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसने 8 राष्ट्रीय मिशनों की संस्थाओं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण निर्धारित किया है। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, न्यूनतम जल की बर्बादी और समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों और राज्यों के बीच और अधिक जल का समान वितरण सुनिश्चित करना है।

नदी बेसिन प्रबंधन : इस स्कीम का उद्देश्य बेसिन और सभी पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास और उपयोग हेतु इष्टतम विधि का पता लगाने हेतु आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है ।

जल संसाधन विकास स्कीम की जांच : स्कीम का उद्देश्य, जल के अंतर बेसिन अंतरण अंत: राज्यीय सम्पर्क की स्कीमों के विषय में सर्वेक्षण, फील्ड अन्वेषण, साध्यतापूर्व / साध्यता रिपोर्टों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने संबंधी कार्यकलाप और उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक अध्ययन और कार्य करना है ।

सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन : स्कीम अनुमोदन चरण में है ।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड : ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, अन्वेषण और मास्टर योजना तैयार करना, जल निकासी स्कीमों की डीपीआर तथा बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर तैयार करना, एनईएचएआरआई का संचालन, अनुरक्षण और उन्नयन, मुख्यालय परिसर का निर्माण तथा बोर्ड द्वारा सृजित सम्पत्तियों का आर एवं एम, आईटी और जीआईएस का उन्नयन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन करना है । (i) जल निकासी विकास स्कीमों (ii) कटावरोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन, (iii) खड़े मंच का निर्माण करना भी इसके कार्यों में शुमार है ।

बाढ़ पूर्वानुमान : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान नेटवर्क को सुदृढ़ करना और पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है । मौजूदा 147 स्तर पूर्वानुमान और 28 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थलों पर 20 नदी बेसिनों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना जिससे कि तात्कालिक पूर्वानुमान सूचना देकर राहत और बचाव अभिकरणों की सहायता करके जान और माल की क्षति कम से कम हो। तात्कालिक समय के आंकड़े और अन्य आधुनिक उपकरणों के संबंध में संचार हेतु टेलीमीटरी प्रणाली सहित पूर्वानुमान स्थलों के मौजूदा नेटवर्क का आउटोमेशन । मौजूदा 219 केन्द्रों पर सीडब्ल्यूसी के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क सहित आउटोमेशन और टेलीमीटरी प्रणाली।

नदियों को परस्पर जोड़नाः यह एक नई योजना है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। यह योजना तैयार करने के स्तर पर है।

1.3.4 जल संसाधन प्रबंधन

जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आंकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं । मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों के बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

भूमि जल प्रबंधन और विनियमनः भूमि जल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के कार्यकलाप निम्नानुसार हैः

- राष्ट्रीय जल मैपिंग
- भूमि जल का पता लगाना
- भूमि जल संसाधन मूल्यांकन
- भूमि जल क्षेत्र की निगरानी
- कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल पुनर्भरण अध्ययन
- भूभौतिकी अध्ययन
- जल रासायन अध्यय
- भूमि जल विकास विनियमन

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

जल विज्ञान परियोजना (एचपी) के पिछले चरण केवल 13 राज्यों में कार्यान्वित किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप उपस्कर, प्रौद्योगिकी, प्रयोगों और क्षमता निर्माण के रूप में एचपी और गैर-एचपी राज्य क्षेत्रीय रूप से विभाजित हो गए। जिसका जल संसाधन योजना, विकास और प्रबंधन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना की गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्य जिन्हें जल विज्ञान परियोजना के पिछले चरण में शामिल नहीं किया गया था, सहित पैन इंडिया कवरेज के साथ परिकल्पना की गई है और इसके परिणामस्वरूप जल विज्ञान परियोजना चरण । और चरण ।। का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के घटक संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैः

घटक	नाम	उद्देश्य
क	स्वस्थाने जल-मौसम विज्ञान निगरानी प्रणाली	जल संसाधन निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्तरोन्नयन
ख	राष्ट्रीय जल सूचना प्रणाली	रिमोटली सेंस्ड डाटा और सहायता, सहित केन्द्रीकृत जलीय डाटासेट तैयार करना- राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र
ग	जल संसाधन संचालन और प्रबंधन प्रणाली	चुनिंदा नदी बेसिन योजना, मूल्यांकन, बाढ़ पूर्वानुमान इत्यादि हेतु निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) तैयार करना
घ	जल संसाधन संस्थाएं और क्षमता निर्माण	प्रशिक्षण, सहायता इत्यादि के माध्यम से क्षमता निर्माण

प्रत्याशित परिणामः इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करने की परिकल्पना की गई हैः

- राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के माध्यम से डाटा एकत्र करना, उनका आदान-प्रदान करना, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार करना
- कम से कम एक से तीन दिन पहले बाढ़ पूर्वानुमान का समय बताना
- आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग हेतु बाढ़ आप्लावन क्षेत्रों की मैपिंग
- भारत सरकार की पीएमकेएसवाई और अन्य स्कीमों की उत्तम योजना और आबंटन के लिए नदी बेसिन में सतही और भूमि जल संसाधनों का मूल्यांकन

- मौसमी पूर्वानुमान, सूखा प्रबंधन, एससीएडीए प्रणाली, इत्यादि के माध्यम से जलाशय संचालन
- एसडब्ल्यू और जीडब्ल्यू संरचनाओं का डिजाइन, जल ऊर्जा यूनिट, नदियों को आपस में जोड़ना स्मार्ट शहरों को डिजाइन करना
- डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के पूरा करना

जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं- (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं, विशेषकर, अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए राष्ट्र स्तरीय प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना/उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना।

सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रमः 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ 6,000 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय से जल क्षेत्र का सुधार करने हेतु राज्यों को सुग्राही बनाने के लिए "सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम नामक" प्लान योजना प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना को तैयार करने की दृष्टि से एक उपयुक्त कार्य ढांचे पर कार्य निष्पादन आधार पर राज्य विशिष्ट जल क्षेत्र सुधार और राज्यों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली के लिए बेंचमार्क तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। यह स्कीम तैयार करने के स्तर पर है।

मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण :

क. राष्ट्रीय जल अकादमी : जल क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूएम) के "उत्कृष्टता केन्द्र" के तौर पर कार्य करने की परिकल्पना है। एनडब्ल्यूए का प्रारंभिक दायित्व जल संसाधन के विकास और प्रबंधन में जुड़े विभिन्न राज्य और केन्द्रीय संगठनों के इंजीनियरों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना था । इसके बाद एनडब्ल्यूए का दायित्व बढ़ाते हुए, जल क्षेत्र के अन्य पणधारी-समूहों को प्रशिक्षण देना भी इसके कार्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया । तद्नुसार, अक्तूबर, 2010 से अकादमी के कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्रों, अकादमिक संस्थानों, मीडिया कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों, विदेशी लोगों और व्यक्तियों के लिए भी खुला है । इस प्रकार यह अकादमी की सेवाएं प्रत्येक पणधारी पहुंच रही है ।

एक अग्रणी संस्थान होने के नाते, एनडब्ल्यूए जल संसाधन विकास और प्रबंधन के सभी पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है । प्रारंभ में एनडब्ल्यूए ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू किया लेकिन हब जल संसाधन परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जैसे गैर-तकनीकी विषयों, अनुबंधीय एवं वित्तीय मुद्दों; जल संबंधी कानून और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों व्यावहारिक कौशलों के विकासको भी अपने कर्यक्षेत्र में शामिल कर लिया है । मंत्रालय ने

एनडब्ल्यूए को क्षमता निर्माण की दूरी जिम्मेदारी के एक हिस्से के तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा डब्ल्यूआरडी एवं एम के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का दायित्व भी सौंपा है । एनडब्ल्यूए ने विभिन्न क्लाइंट संगठनों तथा विदेशी प्रतिभागियों के लिए भी विदेश मंत्रालय की ओर से विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए हैं ।

सीडब्ल्यूसी, जानकारी को बढ़ाने के विचार से, आईआईटी तथा अन्य संस्थानों अर्थात् भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आदि के माध्यम से अपने अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है ।

ख. सूचना, शिक्षा एवं संचार : इस स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास के लिए सभी पणधारियों के सक्रिय सहयोग से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश के जल संसाधनों के इष्टतम स्थायी विकास, गुणवत्ता को बनाए रखने एवं कुशल उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाना ।
- आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागिता दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।
- जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ।
- जल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन के स्थायी विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, प्रलेखन एवं प्रसार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों का प्रचार करना ।
- जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु उपाय अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।
- जागरूकता अवसंरचना विशेष तौर पर प्रचार तंत्र एवं सहयोग संरचना को सुदृढ़ बनाना ।

ग. राजीव गांधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान : राजीव गांधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) तथा केन्द्र और राज्य सरकार के अन्य संगठनों, अकादमिक संस्थानों गैर सरकारी संगठनों, भूमि जल से जुड़े पेशेवरों की क्षमता निर्माण अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

घ. क्षमता निर्माण कार्यक्रम : इस स्कीम में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान शामिल है जो कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है जिसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डोलाबाड़ी, तेजपुर (असम) में 23 दिसम्बर, 1989 में की गई थी । यह संस्थान, 1 अप्रैल, 2012 से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को दे दिया गया है । संस्थान की विशिष्टता किसानों और संस्थाओं को जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर, राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जल एवं भूमि प्रबंधन क्षमता निर्माण आवश्यकता को पूरा करने में निहित है ।

ड. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (एनटीपी), 2012 को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वयन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1200/1/2012 प्रशिक्षण - I द्वारा परिचालित की गई है । राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्ष मंत्रालय के लिए उसके छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की गई है जिससे कि नीतिगत निर्णय लेने और कार्यव्यवहार नियमावली में यथानिर्धारित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता मिले । मंत्रालय के समन्वय प्रभाग में प्रशिक्षण प्रबंधक की सहायता के लिए एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बनाया गया है, जो संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करेगा । यह प्रकोष्ठ मंत्रालय और उसके संगठनों के अधिकारियों / इंजीनियरों/वैज्ञानिकों / कार्मिकों / की देशी और विदेशी दोनों तरह की आवश्यकताओं सहित प्रशिक्षण संबंधी सभी मामलों में कार्रवाई करेगा । XIIवीं योजना के दौरान इसके लिए कुल परिव्यय केवल 10.00 करोड़ रुपए होगा । मानव संसाधन विकास के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय के कर्मियों को उनकी क्षमता और कौशल में वृद्धि के लिए विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है।

अवसंरचना विकास : इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें विशेष रूप से निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की भूमि और भवन और सूचना प्रौद्योगिकी योजना (ii) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास योजना (iv) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की ई-गवर्नेस।

स्कीम का उद्देश्य कार्यालयों में बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराना, परिसम्पतियों का सृजन और मासिक किराये के भुगतान में बचत है । इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थलों पर कार्यालयों का निर्माण करने, फील्ड़ में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए कुटीर का प्रावधान, मंत्रालय (खास), केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के लिए स्टाफ क्वार्टर के निर्माण और वर्तमान कार्यालयों के आधुनिकीकरण का प्रावधान इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य वर्तमान छितराई हुई सूचना प्रणालियों को समेकित एवं कारगर बना कर एकदिशीय गत्यात्मक ई-गवर्नेंस पद्धति में लाना भी है ।

1.3.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य/संघशासित क्षेत्र योजना)

त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम : यह पुनर्गठित केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसे जल संसाधन मंत्रालय के मांग शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से शामिल किया गया है जिसके लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार कुल 8992.22 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट की व्यवस्था है । इसमें राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को इन उप स्कीमों - (i) एआईबीपी एवं राष्ट्रीय परियोजनाएं, (ii) कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, (iii) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और

(iv) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राशि जारी करना शामिल है । इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान 1,000 करोड रूपए की बजटीय व्यवस्था की गई है।

<u>एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाएं</u>

- चालू परियोजनाओं और नई एमएमआई परियोजनाओं तथा पुरानी एमएमआई परियोजनाओं की ईआरएम को पूरा करके खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुनः बढ़ा कर 32 लाख हेक्टेयर की नई सिंचाई क्षमता सृजित करना
- नई और चल रही सतही एमआई परियोजनाओं को पूरा करके 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन

<u>सीएडी और डब्ल्यूएम</u>

- राज्य सरकार को शामिल करके सृजित सिंचाई क्षमता और सृजित सिंचाई क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग करने के बीच के अंतर को कम करना

<u>आरआरआर</u>

- जल निकायों की संग्रह क्षमता का संरक्षण और अधिप्रापण तथा उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुनः सृजित करना और उसका विस्तार करना

पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का समेकित जलशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि और सहकारिता विभाग का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का ऑन फार्म जल प्रबंधन लघु सिंचाई घटक, तकनीकी सहायता/स्तर, विभिन्न कार्यकलापों को सहायता देने का स्वरूप सतत आधार पर कृषि क्षेत्र में विकास हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी संबंधित कार्यक्रम घटक के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा जिसे कृषि और उद्यान फसलों के निरंतर उत्पादन और उत्पादिता हेतु भूमि और जल संसाधन का न्यायिक रूप से पूर्ण उपयोग करने से जोड़ा गया है। इस समय बहुत से विभाग/मंत्रालय भूमि और जल संसाधन के विकास से संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल हैं। देश के निवल क्षेत्र उत्पादित क्षेत्र के लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर को सिंचाई के तहत शामिल किया गया है। वर्षा पर व्यापक रूप से निर्भरता शेष क्षेत्रों के लिए अत्यधिक जोखिम भरी और कम उत्पादकता का कारण है। परिधीय साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि सुनिश्चित/संरक्षित सिंचाई/स्वस्थाने नमी संरक्षण कृषकों को खेती की प्रौद्योगिकी में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करती है और जिसकी वजह से उत्पादकता और कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैः क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश को शामिल करना, खेतों पर जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ावा देना तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत उत्पादित क्षेत्र में वृद्धि करना। जल की बर्बादी को कम करके खेतों में जल की उपयोग दक्षता में सुधार करना और समयावधि के बीच और समय पर जल की उपलब्धता को बढ़ाना, उत्तम सिंचाई प्रणाली और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना, जलाशय के पुनर्भरण को बढ़ावा देना तथा सतत जल संरक्षण प्रक्रियाओं को शुरू करना, मृदा और जल संरक्षण के लिए वाटरशेड प्रयोगों के द्वारा वर्षा जल पोषित क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करना, भूमि जल को पुनः सृजित

करना, जल अपवाह पर रोक लगाना, जीविकोपार्जन विकल्प प्रदान करना और अन्य एनआरएम कार्यकलाप की व्यवस्था, जल पुनर्भरण से संबंधित विस्तारित कार्यकलापों को बढ़ावा देना, कृषकों और जमीनी स्तर से जुड़े क्षेत्रीय कार्मिकों हेतु जल प्रबंधन, अर्धशहरी कृषि हेतु अपशिष्ट जल को नगरपालिका द्वारा शोधित करके पुनः प्रयोग करने को सुकर बनाने की संभावना का पता लगाना और कृषि में निजी निवेश को और अधिक आकर्षक बनाना।

इन योजनाओं के तहत कार्यकलापों के मुख्य विषयों में ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण संरचनाएं, मध्यम और सूक्ष्म स्टोरेज, भूजल संसाधन, परंपरागत जल निकाय (जल संचय) इत्यादि सहित जल स्रोतों का मरम्मत, संरक्षण और मौजूदा वितरण नेटवर्क को आपस में जोड़ना और/या सृजन तथा मौजूदा निम्न स्वरूप की संरचनाओं की दक्षता में सुधार करने हेतु वितरण नेटवर्क का विकास शामिल होगा। एसएचजी/पंजीकृत प्रयोगकर्ता समूहों/कृषक संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सिंचाई और जीवकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए लघु जल निकायों, विभिन्न स्थानों जिनके आस-पास के क्षेत्रों में काफी जल है से जल का डाइवर्जन, निचले स्थलों से जल निकायों/नदियों से लिफ्ट सिंचाई। ऐसे नेटवर्क जहां पर सिंचाई स्रोत पहले से ही उपलब्ध हैं का विकास/सुदृढ़ीकरण, वैज्ञानिक नमी संरक्षण को बढ़ावा देना तथा वाटरशेड अप्रोच पर भूजल पुनर्भरण हेतु अपवाह नियंत्रण उपाय। खेतों में खेती करके बागवानी, पेश्चर विकास के पुनःसृजन को शामिल करके एनआरएम कार्यकलापों को बढ़ावा देना, संपत्तिहीन और कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ावा देना, जल दक्षता प्रणाली को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय प्रयोगविधि, ट्यूबबेल, डगवेल इत्यादि जैसे भूजल विकास कार्य सृजित किए जाएंगे।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमः इस स्कीम का उद्देश्य कटावरोधन, तट संरक्षण विद्यमान निर्माण कार्य का संरक्षण और ड्रेनेज विकास निर्माण कार्य सहित गंभीर नदी प्रबंधन और बाढ़ बचाव निर्माण कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप : इस स्कीम में नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ साझा नदियों के संबंध में चालू नदी प्रबंधन कार्यकलाप शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ नए विकासात्मक कार्यों को करने हेतु 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है ।

इस स्कीम के अंतर्गत, XIवीं योजना अवधि के दौरान (i) भारत-नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने (ii) नेपाल में बराह क्षेत्र में कोसी उच्च बांध परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (iii) राप्ती नदी पर नौमुरे भंडारण परियोजना (नेपाल) के विस्तृत अन्वेषण (iv) नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लदेश के साथ साझी नदियों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षण (v) नेपाल के क्षेत्र में कोसी और गंडक बराजों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण (vi) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना लागत और

(vii) पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर राज्यों द्वारा प्रस्तावित बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी तट सुरक्षा संबंधी नए कार्य शुरू किए गए थे ।

इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी को माजुली द्वीप की नदी कटाव से सुरक्षा सहित ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में गंभीर खंडों में अति आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ स्थापना लागत के लिए अनुदान सहायता दी जाती है ।

बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी पर तीन तट सुरक्षा/बाढ़ नियंत्रण कार्य पूरे कर लिए गए हैं । पश्चिम बंगाल में दस तट सुरक्षा कार्य और त्रिपुरा में दो तट सुरक्षा कार्य पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा सरकार को बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तीन और तट सुरक्षा कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की गई है ।

XIIवीं योजना के दौरान, स्कीम में पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर साझा नदियों के विषय में जलविज्ञानीय प्रेक्षण और बाढ़ पूर्वानुमान, पड़ोसी देशों में जल संसाधन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के कार्यकलाप, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर द्वारा प्रस्तावित बंगला देश और पाकिस्तान के साथ साझा / सीमा की नदियों पर नदी तट सुरक्षा कार्यों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता, और गंभीर बाढ़ प्रबंधन / समुद्र-कटावरोधी निर्माण कार्यों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता शामिल है ।

एआईबीपी परियोजना का प्रभाव मूल्यांकनः स्कीम विचाराधीन है।

सिंचाई गणनाः सिंचाई गणना की इस चालू स्कीम के तहत 25.13 करोड़ रूपए आबंटित किए गए है।

1.3.6 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

यह स्कीम नमामि गंगे के एक व्यापक कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

अध्याय - II

वार्षिक योजना 2016-17 के परिव्यय एवं परिणाम/लक्ष्यों का विवरण

क्र.सं.	ग्रुप/स्कीम का नाम	घटक का नाम	घटक उप-शीर्षक	उद्देश्य/परिणाम	अंतिम बजट अनुमान (2016-17)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**बृहत सिंचाई परियोजनाएं**	**पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना**		आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिदेश के अनुसार पोलावरम परियोजना का कार्यान्वयन। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को आपूर्ति। कृष्णा नदी बेसिन को 80 टीएमसी जल हर वर्ष अंतर बेसिन अंतरण करने की भी परिकल्पना की गई है।	100.00	पोलावरम परियोजना (जिसे इंदिरा सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है) वर्तमान आन्ध्रप्रदेश राज्य में एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका आकलित कृषि कमान क्षेत्र 2.91 लाख हेक्टेयर है और विद्युत सृजन क्षमता 960 मेगावाट है । इसमें विशाखापटनम शहर और आँय क्षेत्रों को डीलिंकिंग जलापूर्ति के रूप में और विशाखापटनम स्टील संयंत्र को औद्योगिक जल पूर्ति के रूप में भी 23.44 हजार मिलियन घन फुट (टीएमसी) की आपूर्ति का भी प्रावधान	प्राधिकरण पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन और विस्थापितों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ-साथ परियोजना का शीघ्र निष्पादन, विनियमन एवं विकास भी सुनिश्चित करेगा । केंद्र सरकार के अधीन होने के नाते प्राधिकरण से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों उत्तरवर्ती राज्यों और अन्य तटवर्ती राज्यों नामत: ओड़ीशा और छत्तीसगढ़ को यह विश्वास दिलाने की अपेकषा की जाती है कि परियोजना का निष्पादन पारदर्शी तथा न्यायसंगत	कोई प्रक्रिया नहीं/समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।	

						है। कृष्णा नदी बेसिन को वार्षिक रूप से 80 टीएमसी जल के अंतरबेसिन अंतरण की भी परिकल्पना की गई है।	पद्धति से किया जा रहा है।		
		फरक्का बैराज परियोजना		**1(क)** भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली जोकि हुगली-इलाहाबाद नदी प्रणाली (राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है में नौवहन को सुधारने के लिए फरक्का में बैराज/शीर्ष विनायक गेटों के संचालन के माध्यम से भागीरथी (गंगा नदी की शाखा) को गंगा नदी से फीडर नहर से ऊंची भूमि पर जल की आपूर्ति को बढ़ाना **1).(ख)** नदी तट और बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्य तथा बैराज की तरफ की सड़क और संरचनाओं का अनुरक्षण करके जिससे इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से संचार से जोड़ने की व्यवस्था की जा	80.00	पोषक नहर, जांगीपुर बैराज इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और गंगा/पद्मा/भागीरथी सहित विभिन्न स्थानों पर बैराज की सुरक्षा हेतु कटाव रोधी निर्माण कार्य मरम्मत और अनुरक्षण कार्य अधिक मात्रा में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यह एक सतत कार्यकलाप है।	100%	1) इन कार्यों की पहचान इन क्षेत्रों की स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए की जाएगी और टीएसी, एफबीपी के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा 2) वर्ष की शुरूआत में निर्माण कार्य अभिनिर्धारित किए जाते हैं और स्थलीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।	कटावरोधी निर्माण कार्य मूल रूप से गंगा नदी के कटाव एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य है। इनके मारफोरलजी प्रकृति एवं मानसून की अनिश्चितता इन कार्यों को प्रभावित करती है।

				सके, में कटावरोधी कार्य करके प्राकृतिक संसाधनों (भूनिर्माण और चार्ट) का संरक्षण करके पश्चिम बंगाल के नागरिकों के सामाजिक- आर्थिक विकास में सुधार करने में सहयोग देना।					
		बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम		नीचे दिए गए क्रियाकलापों के माध्यम से बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना: (क) चार राज्यों (मध्य प्रदेश, ओड़ीशा, केरल और तमिलनाडु) में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण से 223 बड़े बांधों का पुनर्वास एवं पुनरूद्धार। (ख) पक्षकार राज्यों और केंद्रीय जल आयोग की बांध सुरक्षा संस्था का सुदृढीकरण । (ग) परियोजना प्रबंधन डीआरआईपी एक छः वर्षीय परियोजना है । यह 18 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है ।	23.98				

	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु जल परियोजना			यह एक नई योजना है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। यह बजट प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल की आपूर्ति में सुधार करने हेतु किया गया है। इस राशि में रेणुका बांध हेतु प्रावधान भी शामिल है।	0.02				
				उप जोड़	**204.00**				
2	**नमामि गंगे**	**नदी तट के सौन्दर्यीकरण हेतु घाट का निर्माण कार्य**			100.00	अभिनिर्धारित 7 कस्बों और 3 अन्य कस्बों के लिए डीपीआर तैयार करना, 5 आरएफडी परियोजनाओं के लिए एएईएस जारी करना, पटना की 1 चालू आरएफडी परियोजना को पूरा करना ।	नदी प्रखंडों के आस-पास के पर्यावरण में सुधार करना, छोटे घाटों और शवदाहगृह का सुधार।	पटना में चालू आरएफडी परियोजना 2016-17 में पूरी कर ली जाएगी। अन्य आरएफडी परियोजनाएं 2020 तक पूरी कर ली जाएंगी।	
		राष्ट्रीय गंगा योजना			2150.00	राष्ट्रीय गंगा योजना के तहत 2 अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और 4 गैर-अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (अनुसंधान	इस योजना के तहत परियोजनाओं और कार्यकलापों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों हेतु प्रदूषण समापन उपाय, नदी तट	नमामि गंगे के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं सहित एनजीआरबीए के	

						और जैव विविध संबंधित) स्वीकृति की गई हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से चंडीघाट में 40 एमएलडी की परिशोधन क्षमता और आरएफडी सृजित की जाएगी। वर्ष 2016-17 के दौरान नगर-निगम सीवेज परिशोधन और नदी सतह तथा घाट को साफ करने के कार्यकलापों से संबंधित डीपीआर/परियोजनाएं तैयार करने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। परिशोधित जल के पुनर्चक्रण मौजूदा अवसंरचना का मूल्यांकन और अपशिष्ट परिशोधन क्षेत्र में पीपीपी मॉडलों पर आधारित वार्षिकी का पता लगाना से संबंधित आगे अध्ययन करने पर भी बल दिया जाएगा।	विकास, वनारोपण और जलीय जीव का संरक्षण, संचार और जनपहुंच, जल गुणवत्ता निगरानी इत्यादि शामिल हैं और अविरल और निर्मल गंगा को सुनिश्चित करने हेतु मानक और नीतिगत पहलों को लागू करना भी शामिल है।	अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वर्ष 2020 में यह दर्शाया गया है कि गंगा नदी पर विशेष कर लघु और मध्यम अवधि कार्य योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से प्रदूषण को समाप्त किया जाए।	
				उप जोड़	**2250.00**				
3	**नदी बेसिन प्रबंधन**	**राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन**			25.00	1.राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय (5 करोड़) 2. राज्य विशिष्ट	1. राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय की स्थापना 2. राज्य विशिष्ट		

						कार्ययोजना तैयार करना (15 करोड़) 3. मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण (6 करोड़) और राष्ट्रीय जल प्रयोग दक्षता ब्यूरो (एनबीडब्ल्यूयूई) की स्थापना (11 करोड़) 4. बेसलाइन अध्ययन (15 करोड़) 5. प्रदर्शनात्मक बेंच मार्किंग परियोजनाएं तैयार करना (24 करोड़)।	कार्ययोजनाएं तैयार करना। 12 राज्यों-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा से अनुरोध किया गया है कि वे पहले चरण में अपनी-अपनी एसएसएपी तैयार करें। 3. मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण एनआईआरडी और पीआर, एलबीएसएनएए, आरजीएनजीडब्ल्यूटीआर आई, सीडब्ल्यूआरबीएन, टीआईएसएस, एनडब्ल्यूए इत्यादि जैसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के समन्वय में कार्य कर रहे हैं। एनडब्ल्यूएम-टीआईएसएस जल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय प्रयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना। एनबीडब्ल्यूयूई की स्थापना का प्रस्ताव इस		

							मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 बड़ी/मध्यम परियोजनाओं के जल प्रयोग दक्षता के बेसलाइन अध्ययन के प्रस्ताव को मूल रूप में अनुमोदित कर दिया है। यह कार्य दो चरणों में वालमी, औरंगाबाद, वालमीटरी, हैदराबाद, नेरीवालम, तेजपुर के माध्यम से किया जा रहा है। 5. प्रदर्शनात्मक बेंचमार्किंग परियोजनाओं को तैयार करना। एनडब्ल्यूएम ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सिंचाई क्षेत्र में प्रदर्शानात्मक परियोजनाओं को शुरू करने की पहल कर दी है।		
		नदी बेसिन संगठन			0.01	-----	------	-- -----	-------

		सीडब्ल्यूसी की पुनर्संरचना			0.01	-----	------	-- -----	-------
		आईडब्ल्यूआरएसडी-एनडब्लयूडीए		नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर),साध्यता रिपोर्ट (एफआर) और अंत:राज्य संपर्क प्रस्तावों की साध्यता-पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर)/ एफआर /डीपीआर की तैयारी के संबंध में सर्वेक्षण, फील्ड अनवेषण से संबंधित क्रियाकलाप और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रासंगिक, सहायक अथवा उपयोगी समझे जाने वाले क्रियाकलाप करना ।	69.58	**(क)** निम्न की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अनवेषण करना **(i)** हिमालयी घटक **1.** मानस **–** संकोष **–** तीस्ता **–** गंगा **(**एम **–** एस **–** टी **–** जी**)** 2. सोन बांध-एसटीजी संपर्क **(ii)** प्रायद्वीपीय घटक 1. महानदी (बारामूल)-गोदावरी संपर्क (संशोधित एफआर) (ख) आईबीडब्ल्यूटी संपर्के (नई) की डीपीआर तैयार करना हिमालयी घटक (1) मानस **–** संकोष **–** तीस्ता **–** गंगा **(**एम **–** एस **–** टी **–** जी**)** (2) गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क (3) शारदा-यमुना संपर्क (ग) अंतरराज्यीय संपर्क प्रस्ताव की साध्यतापूर्व	अंतरबेसिन जल अंतरण संपर्क परियोजनाओं और अंत:राज्य संपर्क परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण एफआर, पीएफआर और डीपीआर तैयार करना ।	(i) 1. जून, 2016 (i) 2. मार्च, 2017 (ii)1. मार्च, 2017 (ख)1. मार्च, 2019 (ख)2. मार्च, 2019 (ख)3. मार्च, 2019 (ग)1. मार्च, 2017 (घ)1. मार्च, 2017 (घ)2. मार्च, 2017 (घ)3. मार्च, 2017 (घ)4. दिसंबर, 2018 (ङ) कार्य जारी है। (च) कार्य जारी है।	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए नेपाल एवं भूटान जैसे पड़ोसी देशों की अनुमति चाहिए। पडोसी देशों के साथ विचार-विमर्श को जल्दी करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ इस विषय को लाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एनडब्ल्यूडीए प्रयास कर रहा है। इसके आलोक में हिमालयी संपर्कों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित तिथि तय नहीं की जा सकती।

						रिपोर्टें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है, तैयार करना **(i)** दो संपर्क (घ) अंतरराज्य संपर्कों की डीपीआर तैयार करना **(i)** महाराष्ट्र की संपर्क वेन गंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णतापी) **(ii)** झारखंड की बाराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क **(iii)** उड़ीसा की वम्सधारा-रूशीकुल्या संपर्क **(iv)** दमनगंगा-साबरमती-घोरवाड़ संपर्क (ङ) केन-बेतवा चरण । और ।। का उत्तर डीपीआर कार्य दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा, आईबीडब्ल्यूटी संपर्क और कोसी-मेची, बुढ़ी गंडक-नून-बया-गनाच अंतरराज्य संपर्क			एनडब्ल्यूडीए ने जोगीगोपा-तीस्ता-फर्का को छोड़ने के लिए मानस- संकोस-तीस्ता-गंगा सम्पर्क का वैक्लपिक अध्ययन किया है। (एम-एस-टी-जी के लिए विकल्प)
						(च) आईएलआर और			एमएसटीजी संपर्क के

						विशेष समित द्वारा सुझाए अनुसार अध्ययन के लिए विशेष समिति का कार्य			वैकल्पिक प्रस्ताव में मानस बाघ रिजर्व एवं बुक्सा बाघ रिजर्व तथा अन्य जंगलों को छोड़ा जाएगा। अतः एनडब्ल्यूडीए एमएसटीजी का वैकल्पिक कार्य कर रहा है, जिसके तहत एमएसटीजी एवं जेटीएफ कार्यों को विलय किया जाएगा। टोपोग्राफी संबंधी सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है।

		आईडब्ल्यूआरएसडी-सीडब्ल्यूसी		देश के जल संसाधनों के विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निर्णय के लिए चिन्हित जल संसाधन मंत्रालय परियोजनाओं की डीपीआर को तैयार करना	24.00	किरथाई- II बहुउद्देशीय परियोजना और सनताले एचईपी को डीपीआर को तैयार करना। कलेश खोला सोनई एवं रूकनी सिंचाई स्कीमों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को जारी रखना। तवानचू एचई परियोजनाओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र (मिजोरम में तवांग) में नई परियोजना, सिक्किम (तरूम चू एचईपी, काली खोला) जम्मू और कश्मीर एचईपी एवं जिप्सा राष्ट्रीय परियोजना को जारी रखना ।	इन परियोजनाओं की डीपीआर पूरी की जाएगी और शेष कार्यों के संबंध में अन्वेषण एवं अध्ययन जारी रहेगा	12वीं योजना के दौरान पूरा किये जाने कार्यो के रूप में कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गतिविधियां पूरे वर्ष में जारी रहेंगी।	सोन बांध-एसटीजी संपर्क के लिए सर्वेक्षण और जांच का कार्य प्रगति पर है। यह संपर्क नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है इसलिए कार्य में विलंब हो सकता है। सामान्यतया डीपीआर को तैयार करने में 3-4 वर्ष लगते हैं।

		ब्रह्मपुत्र बोर्ड		1. निम्नलिखित का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और तैयार करना ○ मास्टर प्लान ○ ड्रेनेज विकास स्कीमों की डीपीआर ○ बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर 2. कटाव-रोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंध स्कीमों का कार्यान्वयन 3. ड्रेनेज विकास स्कीमों का कार्यान्वयन 4. प्लेटफॉर्म का निर्माण 5. ब्रह्मपुत्र नदी के चयनलीकरणकी साध्यता अध्ययन 6. एनईएचएआरआई का परिचालन एवं अनुरक्षण तथा उन्नयन 7. मुख्यालय परिसर का निर्माण तथा बोर्ड द्वारा आस्थियों का आर एवं एम का निर्माण किया गया।	80.00	1. निम्नलिखित का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और तैयार करना ○ 3 मास्टर प्लान ○ डीडीएस की डीपीआर ○ सिमसांग एमपी परियोजना की डीपीआर 2. कटावरोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंध स्कीमों का कार्यान्वयन 3. माजूली द्वीप का संरक्षण- चरण II एवं III 15% चरण - IV-5% 4. दोलाहाथी पुर, ब्रह्मपुत्र का संरक्षण चरण IV –शेष अतिरिक्त कार्य चरण V- 2% 5. बालातगाँव, मेघालय चरण-।। निर्माण कार्य 6. मंखाचर, कालेरअरगा, असम-40% 7. मसलाबारी क्षेत्र, असम-80% 8. ड्रेनेज विकास स्कीमों का कार्यान्वयन	1. निम्नलिखित का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और तैयार करना ○ 3 मास्टर प्लान ○ डीडीएस की डीपीआर ○ सिमसांग एमपी परियोजना की डीपीआर 2. कटावरोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंध स्कीमों का कार्यान्वयन 3. माजूली द्वीप का संरक्षण- चरण II एवं III 15% चरण - IV-5% 4. दोलाहाथी पुर, ब्रह्मपुत्र का संरक्षण चरण IV –शेष अतिरिक्त कार्य चरण V- 2% 5. बालातगाँव, मेघालय चरण-।। निर्माण कार्य 6. मंखाचर, कालेरअरगा, असम-40% 7. मसलाबारी क्षेत्र, असम-80% 8. ड्रेनेज विकास स्कीमों का कार्यान्वयन ○ बरबाग डीडीएस का	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कार्यकलाप	स्कीमों का शुरू करना। 'प्रशासनिक अनुमोदन' और 'व्यय स्वीकृति', 'तकनीकी आर्थिक स्वीकृति' और 'निवेश स्वीकृति' हेतु अनुमोदन समय पर मिलने पर निर्भर करता है।

						○ बरबाग डीडीएस का 25% कार्य ○ अमजूर डीडीएस का 30% कार्य ○ जंगराय का 50% ○ देमो डीडीएस का 25% 9. नये ऊंचे उठे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य 10. ब्रह्मपुत्र नदी के चयनलीकरण की साध्यता अध्ययन 11. एनईएचएआरआई का परिचालन एवं अनुरक्षण तथा उन्नयन 12. मुख्यालय परिसर का निर्माण तथा बोर्ड द्वारा आस्थियों का आर एवं एम का निर्माण किया गया।	25% कार्य ○ अमजूर डीडीएस का 30% कार्य ○ जंगराय का 50% ○ देमो डीडीएस का 25%		
							9. नये ऊंचे उठे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य 10. ब्रह्मपुत्र नदी के चयनलीकरण की साध्यता अध्ययन 11. एनईएचएआरआई का परिचालन एवं		

							अनुरक्षण तथा उन्नयन 12. मुख्यालय परिसर का निर्माण तथा बोर्ड द्वारा आस्थियों का आर एवं एम का निर्माण किया गया।		
		बाढ़ पूर्वानुमान		**1) 20** नदी बेसिनों को शामिल करने वाले मौजूदा 147 स्तर पूर्वानुमान और 28 अन्तरवाह पूर्वानुमान स्थलों में बाढ़ पूर्वानुमान जारी रखना ताकि रियल टाइम पूर्वानुमान से राहत और बचाव एजेंसियों की सहायता करके जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम से कम करना । **2)** तत्काल आंकड़ों एवं नवीनतम उपकरणों के संचार के लिए टेलीमेट्री पद्धति के साथ पूर्वानुमान स्थलों के वर्तमान नेटवर्कों का स्वचालन। **3)** केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क में स्थित वर्तमान	60.00	**1)** रीयल टाईम आंकड़ों को संग्रह करना, बाढ़ और अन्तरवाह पुर्वानुमान का संकलन और प्रयोक्ता एजेंसियों को इसका प्रसार जारी रहेगा । **2)** तत्काल आंकड़ों एवं नवीनतम उपकरणों के संचार के लिए टेलीमेट्री पद्धति के साथ पूर्वानुमान स्थलों के वर्तमान नेटवर्कों का स्वचालन ।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जायेंगे जो राज्य प्राधिकारियों की बाढ़ न्यूनीकरण कार्य शुरू करने में सहायता करते हैं और जीवन एवं सम्पत्ति को बचाते हैं ।	बारहवीं योजना के दौरान पूरे होने वाले कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्य पूरे वर्ष जारी रहेगा ।	सीडब्ल्यूसी के बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलापों के आधुनिकीकरण तथा बाढ़ पूर्वानुमान के नेटवर्क के विस्तार, जलाप्लावन पूर्वानुमान तथा उत्कृष्ट विश्वव्यापी एजेंसियों के साथ सहयोग के लिए सरकार द्वारा एसएफसी प्रस्ताव का अनुमोदन देर से प्राप्त होना।

				219 केन्द्रों पर स्वचालन एवं टेलीमेट्री पद्धति ।					
		नदियों को आपस में जोड़ना		यह एक नई योजना जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। यह बजट प्रावधान नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने हेतु है।	1.00	चूंकि यह एक नई योजना है इसलिए कोई अन्य परियोजना ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।			
				उप जोड़	**259.60**				
4	**जल संसाधन प्रबंधन**	**सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम**		सिंचाई प्रबंधन में सुधार हेतु राज्यों को सुग्राही बनाना	0.01	1. सिंचाई प्रबंधन में सुधार हेतु राज्यों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना 2. स्कीम का अनुमोदन-ईएफसी ज्ञापन 3. स्कीम का अनुमोदन-मंत्रिमंडल टिप्पणी 4. राज्य सरकारों को प्रोत्साहना राशि जारी करना।	सिंचाई प्रबंधन में सुधार करने हेतु राज्यों को सुग्राही बनाने से जल का दक्षतापूर्वक प्रयोग में वृद्धि विशेषकर सिंचाई अवसंरचना का उत्तम उपयोग करते हुए सिंचाई प्रबंध होगा।	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम हेतु एक प्रश्नावली और बेस पेपर सभी राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणी/सूचना प्राप्त करने हेतु भेज दिए गए हैं। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात	

								इस स्कीम के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।	
		एचआरडी/क्षमता निर्माण	**(क) एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम- नेरीवालमी**	इस संस्थान का उद्देश्य क्षमता निर्माण कार्यकलापों की व्यवस्था करना और कृषि उत्पाद में सुधार करने की दृष्टि से इससे संबंधित विभागों को तकनीकी सेवाएं देना है।	5.00	यह संस्थान कृषकों और जल प्रयोक्ता संघों इत्यादि के कार्यकर्ताओं के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।	वर्ष 2016-17 के दौरान 60 प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुमानतः) आयोजित करेगा जोकि हर तिमाही में 15 होंगे। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल और भूमि संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर जल भूमि प्रबंधन संबंधी कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।	पूरा वर्ष	• राज्य स्तर पर नियमित आपसी कार्रवाई हेतु केन्द्रों की कमी • कुछ पाठ्यक्रमों में उपयुक्त संख्या में प्रशिक्षुओं का न आना/रिपोर्ट न करना।
			(ख) एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम- एनडब्ल्यूए		7.00				

			(ग) एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम- आरजीआई	भूमि जल के क्षेत्र में व्यवसायियों, उपव्यवसायियों और अन्य पणधारियों का क्षमता निर्माण	8.00	1. टियर 1- 44 2. टियर 2- 17 3. टियर 3(इन हाउस)- 100 4. टियर 4- 225	1. प्रशिक्षित भूमि जल व्यवसायी टियर I- 650 2. भूमि जल व्यवसायी टियर II-320 3. प्रशिक्षित उप व्यवसायी टियर III - 10,000 4. प्रशिक्षित उप व्यवसायी 22,500 कुल 33470 व्यक्ति	1 अप्रैल से 31 मार्च, 2017	225 टियर-III प्रशिक्षण की सफलता आउटसोर्सिंग के लिए निविदा प्रक्रिया सफलता पर निर्भर करेगी।
			(घ) एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम- आईईसी	जल का महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जनता को जागरूक बनाना।	10.00	ii. देश में विद्यालय / राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतिस्पर्धा का आयोजन ii. दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियों और निजी टीवी एवं रेडियों चैनलों के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में जागरुकता iii. जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म एवं वृतचित्र iv. सीजीडब्यूबी एवं सीडब्लयूसी के माध्यम से जनजागरण कार्यक्रम / कार्यशाला v. समाचार पत्रों / परंपरागत मीडिया, प्रकाशन और बैनर, पोस्टर	जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर जोर सहित जल संसाधन क्षेत्र के बारे में प्रचार एवं जागरूकता	समय सारिणी के अनुसार क्रियाकलाप पूरे वर्ष किए जाएंगे ।	

						इत्यादि के वितरण के माध्यम से प्रचार vi. चुनिंदा स्थानो पर बैकलिट ट्रांस्लाइट / मैट्रो ट्रेन / रेल / बसों पर होर्डिंग लगाकर जनता के बीच प्रचार vii महत्वपूर्ण स्थानों जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस इत्यादि की प्रदर्शनी में भाग लेना viii. भारतीय जल सप्ताह का आयोजन ix. जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जनजागरण कार्यक्रम x. विशेष दिवस का आयोजना xi. प्रचार तंत्र योजना बनाना, विषय वस्तु, नारो, लोगो इत्यादि को विकसित करना			
			(ङ) एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम- जल संसाधन मंत्रालय के	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश में स्थित संस्थाओं में मंत्रालय के अधिकारियों	2.00	(i) नए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विश्वोन्नमुख प्रशिक्षण आयोजित करना। (ii) मंत्रालय में	कार्य की दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से ज्ञान में वृद्धि करके मानव संसाधन विकास	मंत्रालय की प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरे वर्ष	

			अधिकारियों का प्रशिक्षण	का प्रशिक्षण		चयन/भरती होने पर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करना iii) अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर मिड कैरियर प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करना। (iv) कार्यस्थल पर घंटों में/जॉब ट्रेनिंग आयोजित करना (v) अधिकारियों/ कर्मचारियों को नेतृत्व विकास, दबाव प्रबंधन, नैतिक मूल्यों, वित्त प्रशासन इत्यादि जैसे विषयगत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त करना।		आयोजित किया जाएगा।	
		अवसंरचना विकास			**20.00**				
			सीजीडब्ल्यूबी (आईटी))	**1.** वेब आधारित अनुप्रयोगों को डिजाइन एवं विकसित करना। **2** .300 पीसी और बाह्य उपकरणों की खरीद। **3.** क्षेत्रीय कार्यालयों में नेटवर्किंग।		**1.** वेब आधारित अनुप्रयोगों को डिजाइन एवं विकसित करना। **2**. 300 पीसी और बाह्य उपकरणों की खरीद। **3.** क्षेत्रीय कार्यालयों में नेटवर्किंग। **4.** प्रशिक्षण, ओ एंड एम	**1.** ई-गवर्नेंस क्रियाकलापों के लिए कार्य प्रवाह अनुप्रयोगों को डिजाइन एवं विकसित करना **2.** सीजीडब्ल्यूबी कार्यालय में ई-गवर्नेंस क्रियाकलापों के लिए आईटी अवसंरचना एवं नेटर्वक तैयार किया जाएगा।	मद संख्या 1 के लिए 3 वर्ष और मद संख्या 2,3,4 के लिए 1 वर्ष	यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और व्यय स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

			सीडीडब्ल्यूबी (एल एंड बी)	1.**गुवाहाटी** में कार्यशाला और स्टोर सहित क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण। (सिविल+विद्युत) 2. **बैंग्लोर** में डिवीजनल स्टोर और कार्यशाला के लिए भवन का निर्माण 3. **भुवनेश्वर** में सीजीडब्ल्यूबी के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण 4. डिवीजन 12, **भोपाल** के लिए कार्यालय स्टोर और कार्यशाला के लिए भवन का निर्माण 5. **अहमदाबाद** में क्षेत्रीय और डिवीजनल कार्यालय हेतु भवन का निर्माण 6. **अंबाला** में सीजीडब्ल्यूबी, डिवीजन-।। के डिवीजनल कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर हेतु भवन का निर्माण 7. **जम्मू** में क्षेत्रीय और		मद 1 : गुवाहाटी में क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय मद 2 : बैंग्लौर में मंडल स्टोर और कार्यशाला मद 3: भुवनेश्वर में सीजीडब्ल्यूबी के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर मद 4: भोपाल में डिवीजन 12 के लिए मंडल स्टोर और कार्यशाला मद 5: अहमदाबाद में क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय मद 6: अंबाला में मंडल कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर डिवीजन-।। मद 7: **जम्मू** में क्षेत्रीय और डिवीजन के लिए कार्यालय वर्कशाप और स्टोर हेतु चारदीवारी, भवन का निर्माण मद 8: **रायपुर** में आरजीएनजीडब्ल्यूटीआर	मद 1 : 1.00 मद 2: 0.00 मद 3: 0.00 मद 4: 0.00 मद 5: 2.00 मद 6: 2.00 मद 7: 3.20 मद 8: 6.70 मद 9: 2.00 मद 10: 4.40	मद 1 : 1-2 वर्ष मद 2: - मद 3: 5 वर्ष मद 4: - मद 5: 1-2 वर्ष मद 6: 1-2 वर्ष मद 7: 1-2 वर्ष मद 8: 5 वर्ष मद 9: 1 वर्ष मद 10: 1-2 वर्ष	मद 1 : सीपीडब्ल्यूडी ने बताया है कि मुख्य भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और सड़क, फिल्ट्रेशन प्लांट और पौधारोपण कार्य इत्यादि जैसे विकास कार्य प्रगति पर हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया कि यह अंतिम भुगतान नहीं है, क्योंकि कुछ कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। सभी निर्माण कार्य संपूर्ण होने के पश्चात अंतिम व्यय की सूचना दी जाएगी। मद 2: निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

				डिवीजन के लिए कार्यालय वर्कशाप और स्टोर हेतु चारदीवारी, भवन का निर्माण 8. **रायपुर** में आरजीएनजीडब्ल्यूटीआर आई (आरजीआई) के लिए भवन का निर्माण 9. **चेन्नई** में डिवीजनल कार्यशाला के लिए भवन का निर्माण 10. **जोधपुर** में डिवीजनल कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर के लिए भवन का निर्माण		आई (आरजीआई) के लिए चारदीवारी और भवन का निर्माण मद 9: चेन्नई में मंडल कार्यशाला और स्टोर के लिए भवन मद 10: **जोधपुर** में डिवीजनल कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर के लिए भवन			मद 3: एमओए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और डीपीआर सीजीडब्ल्यूबी के विचाराधीन है। मद 4: निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मद 5: एमओए में कुछ छोटे परिवर्तन करके उसे सीजीडब्ल्यूबी और जल संसाधन मंत्रालय में विचाराधीन रखा गया है।
									मद 6: संशोधित अनुमान और एमओए मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

									मद 7: संशोधित अनुमान और एमओए मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। मद 8: एनपीसीसी लिमिटेड के पक्ष में 6.70 करोड़ रूपए की व्यय स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय का यह मत है कि रायपुर में संस्थान का स्थल पहुंच की दृष्टि से मुश्किल है। इसलिए मंत्रालय ने पुणे अथवा फरीदाबाद में संस्थान स्थापित

									करने का प्रस्ताव किया है। फरीदाबाद में भूमि की उपलब्धता (वर्तमान भवन के साथ) का मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन कर लिया गया है।
									सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे ने सीजीडब्ल्यूबी से पुणे में आरजआई भवन के निर्माण के लिए सीजीडब्ल्यूबी को 30,000 वर्ग मीटर भूमि के अंतरण हेतु औपचारिक अनुरोध भेजने के लिए कहा है। मद 9: एनपीसीसी द्वारा संशोधित अनुमान तथा

									एमओए प्रस्तुत कर दिया गया है जोकि सीजीडब्ल्यूबी में मूल्यांकनाधीन है। मद 10: एनपीसीसी से संशोधित अनुमान तथा एमओए अभी भी प्रतीक्षित है।
			सीडब्ल्यूसी (भूमि एवं भवन)	अपने कर्मचारियों के लिए अच्छा, मान्य, बेहतर एवं स्वस्थ कार्य परिस्थिति प्रदान करने के लिए सीडब्लयूसी के लिए अधिकारी / आवासीय भवनों के निर्माण एवं भूमि खरीदने के लिए		1.भारत के विभिन्न भागों में सीडब्ल्यूसी के लिए गैर-आवासीय एवं आवासीय भवन का निर्माण एवं भूमि का अर्जन 2. नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी मुख्यालय के लिए आधुनिकीकरण जारी रहेगा 3. सीडब्ल्यूसी कार्य स्थलों के लिए हटमेंट्स का निर्माण	विभिन्न स्थलों पर हटमेंट के लिए और हैदराबाद/सिलचर में कार्यालय-सह-आवासीय कॉम्पलेक्स के लिए भूमि अधिग्रहण। सीडब्ल्यूसी के मुख्यालय के आधुनिकीकरण के साथ विभिन्न स्थलों पर कार्यालय भवन। ईटानगर में चारदीवारी का निर्माण।	अधिकांश कार्य सीपीडब्ल्यूडी / एनपीसीसी / सीडब्ल्यसी द्वारा किया जा रहा है।	कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात सीपीडब्ल्यूडी और एनपीसीसी की ओर से तय समयसीमा में कार्य शुरू करने तथा पूरा करने में गैर-पेशेवर रवैया अपनाना। चालू कार्यों के संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन में विलंब।
			जल	तीव्र, जवाबदेह और		i) मानव संसाधन प्रबंधन	i) एचआरएमएस और	एनआईसी/	चालू ई-गवर्नेंस

			संसाधन मंत्रालय (खास) अवंसरचना विकास (ई-गवर्नेंस स्कीम)	पारदर्शी शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने और जल संबंधी मुद्दों पर नागरिक केन्द्रित सूचना के प्रसार के दृष्टिकोण से कार्य की प्रणाली को सुदृढ बनाना।		प्रणाली/परियोजना निगरानी प्रणाली और अन्य ई-गवर्नेंस प्रयासों/सॉफ्टवेयर आदि का कार्यान्वयन। .ii) हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लागत, सर्वर/सेवा शुल्क, डिजिटल हस्ताक्षर, बार-बार लगने वाला शुल्क और विविध आईटी/ई-गवर्नेंस उपकरण आदि।	परियोजना निगरानी प्रणाली/अनुप्रयोग साफ्टवेयर (एआईबीपी, आरआरआर, एफएमपी, राष्ट्रीय परियोजनाएं और भूजल परियोजनाएं आदि) विकसित करना। ii) हार्डवेयरः ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग शुरू करने के लिए सर्वर मशीनें तथा उपकरण (स्कैनर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर आदि) और कंप्यूटर सामाग्री।	संबंधित अभिकरण के प्रस्ताव के अनुसार। मार्च, 2017 तक	योजना के तहत एचआरएमएस और पीएमएस/ एमआईएस के कार्यान्वयन को चिह्नित किया गया है।
			अवंसरचना विकास, आईटी, जल संसाधन मंत्रालय (खास)	कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, यूपीएस, मल्टीफंक्शन मशीन, डिजिटल कॉपियर आदि सामाग्री की खरीद।		ई-गवर्नेंस सुविधा के लिए डाटाबेस की नेटवर्किंग के अलावा अद्यतन आईटी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की खरीद, उन्नयन एवं अनुरक्षण।	डेक्सटाप कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स की खरीद, फोटोकॉपियर मशीन, स्कैनर की खरीद, आईटी उपकरणों, फोटोकॉपियर मशीनों, यूपीएस की एएमसी, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन।	डेस्कटॉप एवं पेरीफेरल्स की खरीद, फोटो कापियर मशीन, स्कैनर की खरीद, एक्सपी को बदलना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, आईटी उपकरणों, फोटो कापियर, यूपीएस के लिए एएमसी, ई-ऑफिस का	डेक्सटाप कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स की खरीद, फोटोकॉपियर मशीन, स्कैनर की खरीद, आईटी उपकरणों, फोटोकॉपियर मशीनों, यूपीएस की एएमसी ।

								कार्यान्वयन	
			अवसंरचना भूमि एवं भवन, जल संसाधन मंत्रालय (खास)				कार्यालयों का पुनरूद्धार		
		जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास			84.87				
			(क) जल वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं निगरानी प्रणाली						
			वर्तमान जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	**1)** हिमजल विज्ञान, जल गुणवत्ता एवं हिमानी		878 स्थलों पर आंकड़ों का प्रेक्षण जारी रहे और	कार्य सतत प्रकृति के हैं तथा रूटीन आधार पर	स्थापित प्रक्रियाओं और	नए केन्द्र जोड़कर नेटवर्क

			केन्द्रों का उन्नयन और नये जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थल स्थापित करना	झीलों की निगरानी सहित जल वैज्ञानिक प्रेक्षण क्रियाकलापों को जारी रखना, **2)** आधुनिकतम तकनीकों एवं उपकरणों के साथ जल वैज्ञानिक प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, **3)** जल वर्ष पुस्तिका के रूप में आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, भंडारण, प्रसार, विश्लेषण एवं प्रकाशन ।		विभिन्न प्रयोजनों के लिए जी एवं डी स्थलों तथा हिम प्रेक्षण स्थलों पर आंकड़ा एकत्रीकरण का कार्य जारी रहेगा । नये केन्द्रों की स्थापना करके आंकड़ा प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार ।	जारी रहेंगे। जल संसाधन प्रबंधन में उपयोग के लिए 878 जल मौसम वैज्ञानिक स्टेशनों के लिए नदी प्रवाह आंकड़े। पड़ोसी देशों और राज्यों के साथ पूरे देश में साझा नदियों के लिए जल संसाधन की आयोजना एवं विकास में प्रयोग हेतु अपेक्षित गुणवत्ता एवं आवर्ती के जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के डाटाबेस तैयार करना।	प्रोटोकॉल के अनुसार जल मौसम वैज्ञानिक, हिम प्रेक्षण, जल गुणवत्ता प्राचलों का दैनिक आवधिक प्रेक्षण पूरे वर्ष जारी रहेगा ।	का विस्तार इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्य प्रभारित स्टाफ (2551) पर निर्भर करता है। इसी प्रकार नियमित आधार पर नए स्थलों पर स्टाफ की तैनाती के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पर्यवेक्षण कर्मचारियों (सीडब्ल्यूसी के पुनर्गठन की स्कीम के अन्तर्गत) की भी आवश्यकता है। दूर स्थित स्थानों पर काम कर रहे सीडब्ल्यूसी के क्षेत्र अधिकारियों और स्टाफ की गतिशीलता में

									वृद्धि करने के लिए क्षेत्र निरीक्षण वाहन प्राप्त करने हेतु अनुमोदन ।
			देश के प्रमुख जलाशयों में भंडारण आंकड़ों का एकत्रीकरण	120 जलाशयों का रीयल टाइम आधार पर जलाशय भंडारण की स्थिति का पता लगाना जहां सक्रिय भंडारण को सीडब्ल्यूसी द्वारा मॉनीटर किये जाने का प्रस्ताव है ।		**87** जलाशयों में जल स्तर के स्वचालित सैंसरों और टेलीमेट्री प्रणाली की संस्थापना।	देश के प्रमुख जलाशयों की रीयल टाइम स्थिति।	बारहवीं योजना अवधि में पूरे किए जाने वाले कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यकलाप पूरे वर्ष जारी रहने हैं ।	
			तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करना (सीएमआईएस)	कटाव के कारणों को निर्धारित करने में सहायता करने हेतु /गाद को लाने- ले जाने/गाद प्रकोष्ठ को परिभाषित करना/तटीय संरक्षण स्कीम की योजना बनाने के लिए मेरीटाईम तटीय रेखा के किनारे सेडीमेंट बजटिंग आदि के लिए प्रचालनात्मक तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों का संग्रह और प्रलेखन (6 स्थान) तटीय आंकड़ों का		तीन स्थल चालू करना और आंकड़ा एकत्रीकरण सीपीएडीसी और इसकी उपसमितियों की बैठक आयोजित करना । समुद्र तट कटाव निदेशालय का सुदृढ़ीकरण।	परियोजना की योजना बनाने में उपयोग के लिए 3 स्थानों के तटीय आंकड़े।	क्रियाकलाप पूरे वर्ष जारी रहेंगे।	आईआईटी मद्रास (परियोजना निष्पादन अभिकरण), केन्द्रीय जल आयोग (परियोजना के स्वामी) और राज्य सरकारों (परियोजना के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

				डब्ल्यूआरआईएस में संग्रह, विश्लेषण, तैयार करना और एकीकरण करना सीपीडीएसी/इसकी उपसमितियों को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्रीय दौरे, प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे, प्रौद्योगिकी अंतरण, उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में तट कटाव निदेशालय को सुदृढ़ करना। मैनुअल, दिशानिर्देशों को तैयार करना, कार्यशाला/ संगोष्ठी इत्यादि ।					के मसौदे हेतु सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने होंगे।
			(ख) सिंचाई गणना						

			लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)	परम्परागत पद्धति का प्रयोग करके देश में 5वीं लघु सिंचाई गणना आयोजित करना ।		**1.** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फील्ड कार्य पूरा करने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राज्यों को गणना निधि का 40 प्रतिशत (दूसरी किस्त) जारी करना । **2.** एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए डाटा प्रविष्टि / वैधीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण । **3.** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डाटा प्रविष्टि / वैधीकरण 4. गणना आंकड़े प्राप्त करना और केन्द्रीय स्तर पर गणना आंकड़ों की जांच ।	**1)** राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लघु सिंचाई गणना के फील्ड कार्य (जांच और निरीक्षण सहित) को पूरा करना । **2)** केन्द्रीय स्तर पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में डाटा प्रोसेसिंग वर्कशाप आयोजित करना । **3)** जिन राज्यों ने 2015-16 में फील्ड कार्य/आंकड़ा प्रविष्टि तथा वैधीकरण पूरा कर लिया होगा उनके लिए तालिकाएं बनाना। **4)** इन राज्यों द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आंकड़ा प्रविष्टि/वैधीकरण। **5)** राष्ट्रस्तरीय तालिकाओं का वेब प्रकाशन।	वर्ष के दौरान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों में पांचवीं लघु सिंचाई गणना (अर्थात् फील्ड वर्क, डाटा एंटरी वैधीकरण) के विभिन्न चरण जारी रहेंगे ।	**1)** निधियों को जारी करना पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र को समय पर जारी करने, पर्याप्त बजट प्रावधान और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फील्ड वर्क समय पर पूरा करने पर निर्भर करेगा । **2)** एनआईसी द्वारा समय पर साफ्टवेयर का विकास 3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डाटा एंट्री और वैधीकरण समय पर पूरा करना तथा मंत्रालय को आंकड़े प्रस्तुत करना । 4) तीसरी किश्त जारी करना

									दूसरी किश्त के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के वैध आंकड़े प्राप्त करने पर निर्भर करेगा ।
			वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की गणना	आउटसोर्सिंग के माध्यम से चरण-1 में शामिल की जाने वाली 8 परियोजनाओं के आउटलेट स्तर पर गणना आंकड़ों (चरण-2) का संग्रह		आउटलेट स्तर पर आंकड़ों का संग्रह चरण-1 में शामिल की गई 8 परियोजनाओं के संबध में चरण-2 के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा ।	प्रायोगिक गणना के चरण-**2** के संकलित आंकड़ों को इंडिया डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल में समेकित किया जाएगा ।	कार्य को प्रदान करने के समय पर निर्णय लिया जाएगा ।	केन्द्रीय जल आयोग वर्तमान में प्रायोगिक गणना (चरण-2) के लिए कार्य के आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव हेतु पुनः निविदा मंगवाने का कार्य कर रहा है।
			(ग) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण और मोनीटरिंग प्रणाली	डब्ल्यूक्यूएए को सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराना ।		जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में एक समान प्रोटोकोल	जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में एक समान प्रोटोकोल	क्रियाकलाप जारी रखे जायेंगे।	

			(घ) केन्द्रीय जल आयोग में निगरानी इकाई का सुदृढ़ीकरण	वृहत और मध्यम सिंचाई तथा बहुद्देशीय परियोजनाओं को मॉनीटर करना ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो सकें । जल संसाधन परियोजनाओं तथा संबंधित विषयों की राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रणाली विकसित करना। रिमोट सैंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए आईपी सृजन का मूल्यांकन करना ।		बृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की निगरानी और रिपोर्टों की निगरानी कार्टोसेट-। एवं ।। से बेहतर रिजोल्यूशन वाली इमेजरी के साथ भविष्य में एनआरएससी की तरह उपग्रह चित्रों के प्रयोग तथा क्षमता आकलन अध्ययन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में इनहाउस क्षमता विकसित करने हेतु एनआरएससी यूजर मैनुअल के अनुसार भुवन पोर्टल का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक अध्ययन ऑनलाइन प्रस्ताव निगरानी प्रणाली (एआईबीपी-पीएमएस), राज्य सरकारों के प्राधिकृत परियोजना प्राधिकारियों द्वारा एआईबीपी प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रविष्टि,	वृहत/मध्यम/ईआरएम परियोजनाओं की सामान्य/ एआईबीपी मानिटरिंग एनआरएससी अथवा इनहाउस क्षमता के माध्यम से एनआरएससी डाटा केन्द्र से प्राप्त उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कार्यों को करवाकर आईपी सृजन के रिमोट सेंसिंग आधारित मूल्यांकन का कार्य जारी रहेगा। इनहाउस क्षमता का विकास करने के लिए 13 पहचानी गई परियोजनाओं के प्रायोगिक अध्ययन हेतु सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के लिए एनआरएससी द्वारा प्रशिक्षण । वेब समर्थित ऑनलाइन मानिटरिंग प्रणली - परियोजना के संबंध में चालू कार्यकलापों की	क्रियाकलाप योजना अवधि के दौरान जारी रहेंगे	उपलब्ध कार्टोसेट । और कुछ मामलों में कार्टोसेट-।। चित्रों के साथ भुवन पोर्टल पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर अधिकतर फील्ड निदेशालयों ने कहा कि माइनर-सब माइनर और उनके बीच के अंतर का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सकता। यह उल्लेख किया गया है कि अनुपूरक निगरानी तंत्र के रूप में गूगल अर्थ द्वारा डिजिटलीकरण बेहतर विकल्प है।

						आवश्यक संशोधन, यदि कोई हो।	बेहतर मानिटरिंग के लिए सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सीडब्ल्यूसी के मुख्यालयों के साथ एआईबीपी की सहायता प्राप्त करने वाली बृहत/मध्यम/ईआरएम परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार के मानीटरिंग कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों को जोड़ने वाले वेब आधारित आनलाईन मानिटरिंग प्रणाली से क्षेत्रीय दौरों द्वारा परियोजना की मानिटरिंग में भी सहायता दी जाएगी।		तथापि, यदि भुवन पोर्टल पर उच्च रिजोल्यूशन वाले मल्टीस्पेक्ट्रल चित्र अपलोड किए जाएं तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
			(ङ) आंकड़ा बैंक एवं सूचना प्रणाली						
			वैब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली एवं राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआई सी) की	1:50,000 के पैमाने पर वाटरशेड एटलस का सृजन और देश की वैब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना । राष्ट्रीय जल संसाधनों		**(i)** इंडिया डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल का उन्नयन एवं सुधार **(ii)** देश में 19 बेसिनों में जल उपलब्धता के पुनः आकलन का कार्य। (iii) चित्रों के विश्लेषण	जल संसाधन तथा संबंधित विषयों के संबंध में अद्यतन आंकड़ों का 'सिंगल विंडो' स्रोत तथा सभी पणधारियों को मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना ।	क्रियाकलाप योजनावधि के दौरान जारी हैं ।	जल उपलब्धता के बेसिनवार पुनः आकलन के लिए अध्ययन प्रक्रिया में है और वर्तमान में खरीद के लिए

			स्थापना	की योजना बनाने के लिए बेसिनवार जल उपलब्धता का पुन: आकलन करना ।		और पुनः आकलन अध्ययनों के लिए आंकड़ों के प्रयोग हेतु एनआरएससी द्वारा सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों को प्रशिक्षण।			प्रस्तावित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की लागत में संशोधन के कारण संशोधित प्रस्तावों का अनुमोदन न होने के कारण रूके हुए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत एनडब्ल्यूआईसी के सृजन के बाद इंडिया-डब्ल्यूआर आईएस परियोजना का वित्त पोषण एनएचपी स्कीम के अंतर्गत किया जायेगा।

			केंद्रीय जल आयोग में पुस्तकालय सूचना ब्यूरो का उन्नयन और आधुनिकीकरण	पुस्तकालय में सुविधाओं का उन्नयन तथा पुस्तकालय सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण के माध्यम से सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को सर्वोत्तम साहित्य उपलब्ध करवाकर उनके ज्ञान आधार में वृद्धि करना ।		सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय और सूचना ब्यूरो का उन्नयन और आधुनिकीकरण	जल से संबंधित क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि करना।	ये क्रियाकलाप योजना अवधि में जारी हैं ।	
			केंद्रीय जल आयोग में सॉफ्टवेयर प्रबंधन	सीडब्ल्यूसी में वेब आधारित अनुकूलित साफ्टवेयर ई-गवर्नेंस क्षमताओं में वृद्धि करना। सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / साफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों का उन्नयन तथा इनको सुदृढ़ करना।		सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / साफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों का उन्नयन तथा इनको सुदृढ़ करना।	सीडब्ल्यूसी में वेब आधारित अनुकूलित साफ्टवेयर ई-गवर्नेंस क्षमताओं में वृद्धि करना । सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / साफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों का उन्नयन तथा इनको सुदृढ़ करना।	जारी प्रकिया ।	
		भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	**(क) जलभृत मानचित्रण (क1) आंकड़ा सृजन**		303.39	**1)**. इनहाउस के माध्यम से अन्वेषणात्मक तथा प्रेक्षण कुओं का निर्माण-750 कुएं **2)**.इनहाइस के माध्यम से भूभौतिकीय सर्वेक्षण • वीईएस-2000 • बोरहोल लॉगिंग-200	1. अन्वेषण, भूभौतिकीय, रासायनिक, जल वैज्ञानिक, दूरसंवेदन तथा जलभृत प्रतिक्रिया मॉडलिंग जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के माध्याम से सृजित आंकड़ों का एकीकरण/वैधीकरण।	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक	

						3). आउटसोर्सिंग से उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों में आर्सेनिक मुक्त अन्वेषणात्मक कुओं तथा प्रेक्षण कुओं का निर्माण-72 (2015-16 से जारी) **4)**. आउटसोर्सिंग से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कौशाम्बी जिलों में हेलीबार्न सर्वेक्षण सहित उन्नत भूभौतिकीय तकनीकें • विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी (ईआरडी- 28 लाइन किमी. • हेलीबार्न भूभौतिकी (टीईएम और चुंबकीय)-26 लाइन किमी। • भूमि आधार टीईएम-75 **5).** आउटसोर्सिंग से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त अन्वेषणात्मक कुओं तथा प्रेक्षण कुओं का निर्माण-	2. इसका अंतिम परिणाम जलभृत मानचित्र तथा प्रबंधन योजना है।		

						167 कुएं **6).** आउटसोर्सिंग से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में आर्सेनिक मुक्त अन्वेषणात्मक कुओं तथा प्रेक्षण कुओं का निर्माण- 3187 कुएं **7).** आउटसोर्सिंग से गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल में जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण- 6043			
						8) आउटसोर्सिंग से गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में वीईएस - 3569 **9)** आउटसोर्सिंग से बुंदेलखंड के 11 जिलों में जलभूवैज्ञानिक आंकड़ों का सृजन :-			

						• अन्वेषणात्मक खनन- 493 कुएं • वीईएस-2100 • बोरहोल लॉगिंग-100 • 2डी इमेजिंग- 133 • भू टीईएम-73 • जल नमूनों का रासायनिक विश्लेषण- 9300 **10)** 12वीं योजना की शेष अवधि में अन्वेषमात्मक कुओं के खनन, वीईएस, जल के नमूनों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा आंकड़ा सृजन (अंतिम रूप दिया जा रहा है)			
			क2) सहभागी भूजल प्रबंधन			अंतिम प्रयोक्ता को आपूर्ति के लिए भूजल प्रबंधन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाना और सहभागी पहुंच कार्यक्रम	भूजल प्रबंधन के परिणाम से जमीनी स्तर के पणधारियों को सुविधा उपलब्ध कराना	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक	
			ख. भूजल निगरानी	i. हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशनों की निगरानी क. जल स्तर तथा जल गुणवत्ता के संबंध में हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशनों की निगरानी (संख्या)		वर्ष में 4 बार 22339 कुओं की निगरानी 2000 20000 नमूने आवश्यकता आधारित अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल का विनियमन	1)देश में भूजल स्तर और दीर्घावधि रूझान को दर्शाया जाएगा। 2) पेयजल एवं अन्य प्रयोजनों से जलभृतों की भूजल गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा।	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक	

				ख. अतिरिक्त कुएं बनाना (संख्या) ii. जल गुणवत्ता नमूनों का विश्लेषण (संख्या) iii. जल आपूर्ति स्रोत के अन्वेषण के लिए संगठनों तकनीकी सहायता देना (संख्या) iv) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन v) भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन आदि के लिए जागरूकता-संख्या (आवश्यकता आधारित) Vi) राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, पैंटिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजना vii) भूजल संसाधन आकलन viii) वैज्ञानिक सूचना के प्रसार के लिए रिपोर्टें, मानचित्र तैयार करना		आवश्यकता आधारित आवश्यकता आधारित गतिशील भूजल संसाधन का आकलन (31 मार्च, 2013 तक) राज्य रिपोर्ट-10 भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं-24	3) संबंधित संगठनों को उनकी पेयजल आपूर्ति आवश्यकता के लिए अधिक भूजल की निकासी हेतु सहयोग। 4)देश में भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन से भूजल स्तर में गिरावट के रूझान में कमी आयेगी। 5) जल संसाधन के सतत प्रबंधन के लिए वर्षा जल के संचयन के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए। 6)भूजल विकास एवं प्रबंधन के मामले में मत, जानकारी तथा विचार साझा करना। 7) बेहतर प्रबंधन के लिए भूजल संसाधन के आकलन हेतु। 8) पणधारियों द्वारा उपयोग हेतु कार्यों तथा सृजित आंकड़ों का संकलन।		

			ग. मशीनों तथा उपकरणों की खरीद			रिग एवं कम्प्रेशर, वैज्ञानिक उपकरणों तथा सॉफ्टवेयर की खरीद	उन्नत एवं सटीक आंकड़ा एकत्रीकरण सुविधा के लिए इनहाउस व्यवस्था करने हेतु		
		राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना		i) समयबद्ध तथा विश्वसनीय जल संसाधन आंकड़ा संग्रहण, भंडारण, मिलान तथा प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित करना। ii) राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र के संगठनों का जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण।	165.00	जल संसाधन आकलन, बाढ़ प्रबंधन, जलाशय प्रचालन, सूखा प्रबंधन आदि के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से सूचित निर्णय लेने के लिए प्रणाली विकसित करना।	i) देश में, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे से होने वाले नुकसान में कमी। ii) नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में बेहतर जल संसाधन आयोजना एवं प्रबंधन।	यह संकल्पना की गई है कि यह परियोजना 8 वर्ष में अर्थात वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक पूरी की जाएगी।	ईएफसी टिप्पण को 16.10.2015 को डीईए, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमंडल टिप्पण का समर्थन किया गया है।
		जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम		स्कीम का उद्देश्य देश की जल संसाधन से संबंधित समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना और उपलब्ध प्रौद्योगिकी इंजीनियरी प्रणालियों, प्रक्रियाओं में सुधार करना और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख संगठनों के	55.00	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी। शोध परिणाम सामान्यत: आयोजना एवं अभिकल्प के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिश करने वाली तकनीकी रिपोर्ट तथा शोध पत्रों के रूप में होता है ।	शोध/तकनीकी रिपोर्टें= 200 शोध पत्र = 260 और प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं - 61	यह कार्य मंत्रालय के प्रमुख/ अनुसंधान संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।	

				शोध संस्थानों की शोध सुविधाओं एवं बेंचमार्किंग का सृजन/उन्नयन करना है।					
				उप जोड़	**660.27**				
5	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और एचकेकेपी**	**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम**		राज्य सरकारों को निर्माण के अग्रिम चरण में चल रही उन चालू बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं को (क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने और (ख) इन परियोजनाओं परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान जारी किया जाता है जो राज्य सरकार की संसाधन क्षमता से बाहर होती हैं।	1000.00	149 चालू परियोजनाओं और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए भी निधि अनुमानित की गई है।	लक्षित सिंचाई क्षमता - 15.22------हेक्टेयर	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक। प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।	एआईबीपी में शामिल की गई परियोजनाओं का निष्पादन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है । बृहत/माध्यम सिंचाई स्कीमों को पूरा करने का समय एआईबीपी में शामिल किए जाने के वर्ष सहित 5 वर्ष है
		हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई)			500.00	इस स्कीम को कृषि मंत्रालय को अंतरित किया गया है। इसमें कुछ संगणकों को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह स्कीम अनुमोदन चरण पर है।			

			एसएमआई	2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के सृजन वाले संबंधित राज्यों को एसएमआई परियोजनाओं को लिए अनुदान जारी किया गया।		0.50 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।	0.5 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक। प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।	
			आरआरआर	राज्य सरकारों को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार के लिए अनुदान जारी किया जाता है		राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार अनुदान जारी किया गया। मात्रात्मक परिणाम ये हैं : (i) 0.40 मिलियन हेक्ट. सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। (ii) केन्द्रीय सहायता जारी की गई।	(i) भूजल पुनर्भरण (ii) लोगों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास (iii) पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक। प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।	प्रगति, राज्यों से पूर्ण रूप से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है ।
			सीएडी	राज्य सरकारों को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान जारी किया जाता है । XIIवीं योजना के दौरान प्रत्येक नई परियोजना का कम से कम 10% कृषि कमान क्षेत्र (सीसीए) सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाना है।		राज्य सरकारों को उनकी मांगों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है । मात्रात्मक परिणाम हैं: **(i)** 3.5 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है । **(ii)** केंद्रीय सहायता जारी कर दी गई है ।	सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कृषि कमान क्षेत्र (सीसीए) को शामिल किया जाना। **(i)**3.5 मिलियन हेक्ट. की सिचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। **(ii)**केन्द्रीय सहायता जारी की गई।	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक। प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।	संबंधित राज्यों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने पर प्रगति निर्भर है।

			भूजल			जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के भूजल स्कंध में भूजल लघु सिंचाई स्कीम के लिए एसएमडी।			
		एआईबीपी परियोजना के प्रभाव आकलन अध्ययन		एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन करना।	1.00	एआईबीपी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन करना।		पूरे वर्ष।	
		बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम		विभिन्न राज्य सरकारों को देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जलनिकास विकास, बाढ़ रोधन, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार और समुद्री कटाव रोधन संबंधी कार्यों, आवाह क्षेत्र सुधार और संबंधित डीपीआर के कार्य के लिए वित्तीय सहायता देना ।	150.00	**(i)** गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य **(ii)** कटाव-रोधी कार्य, जलनिकास विकास कार्य **(iii)** देश के संवेदनशील क्षेत्रों में समुद्र कटाव-रोधी कार्य	इन क्रियाकलापों से राज्यों को बाढ़, नदी तट कटाव, तट कटाव के कारण होने वाले नुकसान में कमी लाने और चयनित नदी आवाह क्षेत्रों में गाद के कारण कटाव में कमी लाने में सहायता मिलेगी।	परियोजनाओं को दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। परियोजना को पूरा करने की समयावधि सामान्यत: 2 से 4 वर्ष होगी ।	राज्यों द्वारा सभी अनिवार्य स्वीकृतियों के साथ समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

		नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य		साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण। कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी तथा समुद्र कटावरोधी कार्य, बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण (नेपाल में)।	200.00	((i) बांग्लादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं ii.पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण iii पीडीए द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयीरी और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निर्माण पूर्व कार्य करना। जेपीओ द्वारा सनकोसी डाइवर्जन-सह-भंडारण स्कीम और कमलाबांध परियोजना सहित सप्तकोसी उच्च बांध की डीपीआर तैयार करना। (iv) साझा/सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य। (v) संघ राज्य क्षेत्रों के कटावरोधी तथा समुद्र कटावरोधी कार्य। (vi) कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़	(i) भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-पाकिस्तान सीमा और संघ राज्य क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या को कम करने और तट सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। ये कार्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों में किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ के नुकसान को कम करने तथा कटाव नियंत्रण के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्षेत्र में भारत की ओर और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। (ii) पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डीपीआर से परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम तैयार करने में सहायता	केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यह कार्य किया जाएगा	राज्यों द्वारा सभी अनिवार्य स्वीकृतियों के साथ समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

						सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण (नेपाल में)।	मिलेगी और निर्माण पूर्व कार्य जैसे संपर्क सड़क/भवनों आदि से मुख्य परियोजना क्रियाकलाप करने में सहायता मिलेगी।		
		सिंचाई गणना			25.13				
				उप जोड़	**1876.13**				
6		**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**			250.00	इस घटक (डब्ल्यूबी और जेआईसीए-वाराणसी) के अंतर्गत 28 अवसंरचना परियोजनाएं और संस्थागत विकास तथा परियोजना कार्यान्वयन सहयोग से संबंधित 7 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं में 511.7 एमएलडी की एसटीपी क्षमता के सृजन का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 20 एमएलडी की क्षमता सृजित की जा चुकी है। वर्ष 2016-17 के दौरान एनजीआरबीए के अंतर्गत 14 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता	इन प्लान में प्रदूषण संबंधी विभिन्न स्रोतों के लिए प्रदूषण को कम करने के उपाय, नदी तट विकास वनीकरण एवं जलीय जीवन के संरक्षण संचार एवं जनसंपर्क जल गुणवत्ता निगरानी आदि परियोजनाएं शामिल हैं और अविरल एवं निर्मल गंगा को सुनिश्चित करने के लिए मानकों एवं अन्य नीति संबंधी प्रयास भी शामिल हैं।	एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत चिन्हित परियोजनाएं वर्ष 2020 तक पूरा होने की संभावना है। जेआईसीए सहायता प्राप्त यमुना कार्य योजना III के तहत परियोजनाओं को वर्ष 2018 तक पूरा किया जाना है।	

						के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जेआईसीए सहायता प्राप्त यमुना कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली में 950 एमएलडी की एसटीपी क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 10 परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी। इस घटक (एनजीआरबीए-गैर ईएपी) 52 अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं में 290.53 एमएलडी की एसटीपी क्षमता के सृजन का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 107.75 एमएलडी की क्षमता सृजित की जा चुकी है। वर्ष 2016-17 के दौरान एनजीआरबीए के गैर ईएपी घटक के अंतर्गत 125.23 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। एनआरसीपी घटक के अंतर्गत वर्ष 2016-17 तक हरियाणा में यमुना			

						पर 155 एमएलडी की एसटीपी क्षमता (पुनः प्राप्त करने सहित) का कार्य सौंपे जाने की संभावना है। गंगा और इसकी सहायक नदियों पर चालू गैर ईएपी परियोजनाओं को हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है और ये कार्यान्वयनाधीन है।			
				कुल योग	**5500.00**				

अध्याय -III
सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास

3.1 राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा- राष्ट्रीय जल नीति को 1987 में पहली बार तैयार किया गया था और तत्पश्चात् इसमें संशोधन किया गया और 2002 में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति अपनायी गई थी । राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज में पहचानी गई कार्यनीतियों तथा राष्ट्रीय जल बोर्ड के विचार विमर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की समीक्षा शुरू की है ।

संसद सदस्य, अकादमियों, विशेषज्ञों एवं पेशवरों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्शी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी । राष्ट्रीय जल बोर्ड ने 7 जून, 2012 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रारूप (2012) पर विचार किया । प्रारूप नीति पर संसदीय परामर्शदात्री समिति द्वारा भी विचार किया गया । भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 28 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी 6ठी बैठक में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति, 2012 पर विचार किया जिसमें विचार विमर्श के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति, 2012 को अपनाया गया ।

राष्ट्रीय जल कानून ढांचा

राष्ट्रीय जल कानून ढांचा संघ के प्रत्येक राज्य में जल नियंत्रण संबंधी आवश्यक विधान के लिए तथा स्थानीय जल स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के निचले स्तर तक आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त होगा । प्रारूप ढांचा जल अधिनियम तैयार करने के लिए डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में 3 जुलाई, 2012 को एक समिति का गठन किया गया । समिति की रिपोर्ट मई, 2013 में प्रस्तुत की गई थी । राज्य के जल संसाधन / सिंचाई मंत्रियों के राष्ट्रीय मंच की दिनांक 29.05.2013 को नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में रिपोर्ट को उनके समक्ष रखा गया था तथा सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को भी यह उपलब्ध कराई गई थी । इसे विचार जानने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है । मसौदा राष्ट्रीय जल ढ़ांचागत कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

राज्यों के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों का राष्ट्रीय मंच

इस प्रकार के मंच से आशा की जाती है कि ये विचारों का आदान-प्रदान करने और बेहतर जल नियंत्रण के लिए नए और नवीन विचारों का समर्थन करने का कार्य करेगा । तदनुसार, विचारों का आदान-प्रदान करने, नए और नवीन विचारों का समर्थन करने तथा

देश में बेहतर जल नियंत्रण के लिए आम सहमति प्राप्त करने के लिए 14 दिसम्बर, 2012 को राज्यों के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों का राष्ट्रीय मंच बनाया गया था ।

जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ा प्रसार नीति

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर सक्रिय और आवधिक रूप से अद्यतन तरीके से पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार के स्वामित्व में भागीदारी करने योग्य आंकड़ों और सूचना तक पहुंच को सुविधा प्रदान करना है जिससे कि और अधिक व्यापक रूप से सूचना तक पहुंच तथा सार्वजनिक आंकड़ों और जानकारी का उपयोग संभव हो सके । जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एक मौसम जलविज्ञानीय आंकड़ा प्रसार नीति तैयार की है और उसका अनुसरण किया जा रहा है । इस नीति को माननीय जल संसाधन मंत्री के अनुमोदन से वर्ष, 2013 में प्रकाशित किया गया है । संपूर्ण अवर्गीकृत आंकड़ा भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है । नीति समीक्षा के अधीन है ।

3.2 बांध सुरक्षा बिल : बांधों के सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने तथा एकरूप बांध सुरक्षा कार्य विधियों को सुनिश्चित करने के लिए, जो मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति की सुरक्षा करने के द्वारा राष्ट्रीय निवेश और लाभ को सुनिश्चित करेगा, भारत में सभी बांधों के उपयुक्त बांधों की उपयुक्त निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव के लिए उपबंध करने हेतु एक व्यापक मसौदा बांध सुरक्षा विधेयक तैयार किया गया और पहले राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियां के लिए परिचालित किया गया ।

13 मई, 2010 को मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित, संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बांध सुरक्षा विधान के अधिनियम के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात इसे 15वीं लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और 30 अगस्त, 2010 को संसद के समकक्ष सदन में रखा गया और 9 सितम्बर,2010 को जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास जांच हेतु भेजा गया ।

संसदीय स्थायी समिति ने इसकी सिफारिशों को प्रस्तुत कर दिया जिनकी जांच उपयुक्त अनुपालन हेतु मंत्रालय द्वारा की गई । एक संशोधित बांध सुरक्षा विधेयक तैयार किया गया जिसकी विधि मंत्रालय ने यथा विधि विधीक्षा की । इसी दौरान 15 वीं लोकसभा ने प्रस्तुत किया गया । बांध सुरक्षा बिल, 2010 15वीं लोक सभा के भंग होने के कारण समाप्त हो गया ।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को अब तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में विभाजित कर दिया गया है। इस मामले पर विधि और न्याय मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और यह सलाह दी गई की नए रूप में सृजित दोनों राज्यों से उनके संबंधित सदनों में उक्त संकल्प की सहमति के लिए बात की जाए जैसा कि आंध प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा पारित किया गया था । तथापि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कोई प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

इसी दौरान बांध सुरक्षा कार्य विधि के कार्यालय ने महत्व पर विचार करते हुए विधेयक की राष्ट्रीय स्तर की अनुप्रयोगता (भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-। की प्रविष्टि 56 अथवा प्रवृष्टि 97 के अंतर्गत) की मांग करते हुए बांध सुरक्षा विधेयक (2014) का नया मसौदा सीडब्ल्यूसी द्वारा फिर से तैयार किया गया तथा अनुच्छेद 252 (जिसकी बहुत ही सीमित अनुप्रयुक्ता है) के स्थान पर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची-। की प्रवृष्टि 56/97 के अंतर्गत बांध सुरक्षा विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए इसके वैधानिक विचार हेतु यह फाइल विधि और न्याय मंत्रालय के विचाराधीन है ।

3.3 राष्ट्रीय जल मिशन : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु एनडब्ल्यूएम के परिव्यय में एनडब्ल्यूएम निदेशालय, बेसलाइन अध्ययन, राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं का निर्माण एच आर डी और क्षमता निर्माण, प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं की स्थापना और राष्ट्रीय जल प्रयोग दक्षता ब्यूरो स्थापित करना शामिल है। राष्ट्रीय जल मिशन की विभिन्न कार्यकलापों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

3.3.1 राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय

निदेशालय में अपर सचिव एवं एनडब्ल्यूएम मिशन निदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्रेणी के दो सलाहकार (समन्वय एवं निगरानी और तकनीकी) शामिल है । मिशन सचिवालय सीजीओ कांपलेक्स के दूसरे तल, ब्लॉक-।।।, लोधी रोड, नई दिल्ली से कार्य कर रहा है । पांच परामर्शदाता (विशेषज्ञ और केन्द्रीय सरकार से हाल ही में सेवानिवृत्त) चार युवा पेशेवर और एक कार्यकारी सहायक ने 2015 में एनडब्ल्यूएम में कार्यभार ग्रहण किया है । एक परामर्शदाता और एक युवा पेशेवर को सभी पांच लक्ष्यों (लक्ष्य I से लक्ष्य V तक) से संबंधित कार्यकलापों को सौंपा गया है । सभी पांच लक्ष्यों हेतु वर्ष 2016-17 के दौरान अंत:क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आईएलएजी) की बैठकें आयोजित की जाएगी । एनडब्ल्यूएम के मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से है :-

(1) एनडब्ल्यूएम वेबसाइट पोर्टल का विकास : एनडब्ल्यूएम वेब पोर्टल का कार्य एनआईसी/एनआईसीएसआई को सौंपा गया है और एनआईसी/एनआईसीएसआई के विशेषज्ञों द्वारा एनडब्ल्यूएम के सहयोग द्वारा कार्य किया गया है । साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली

का भी विकास किया गया है और वेब पोर्टल पर (प्रस्तावित डोमेन नाम : nationalwatermission.gov.in) पर उपलब्ध होगा । वेब पोर्टल पर खास जोर सतही जल, भूमि जल और अपशिष्ट जल के तथा मिशन दस्तावेज में वर्णित एनडब्ल्यूएम के विभिन्न कार्यकलापों पर दिया गया है।

(2) सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) हेतु सम्मेलन : जल प्रयोक्ता संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन और दो क्षेत्रीय सम्मेलन 2015-16 के दौरान हुए थे । 2016-17 के दौरान सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर जल प्रयोक्ता संगठनों के तीन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे । पीआईएम उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, जल के समान वितरण का प्रसार, जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता, जल की बर्बादी भूमि जल तालिका के रिक्तिकरण को कम करना और कमान क्षेत्रों के खेतों में जल दक्षता तकनीकों आदि को अपनाना है ।

(3) एनडब्ल्यूएम ने इस मंत्रालय की आर एवं डी स्कीम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन हेतु अनुसंधान संगठनों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और एनआईएच के साथ मिलकर आठ नदी बेसिनों (महानदी, माही, लूनी, तापी, सतलुज, साबरमती, सुर्बणरेखा और ताद्री से कन्याकुमारी तक दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां)की पहचान की है।

3.3.2 जल क्षेत्र के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना की तैयारी

यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य विशिष्ट कार्य योजना को बनाना, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक पूर्व अपेक्षा है और यह प्रस्तावित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजना की तैयारी सहभागी रूप से राज्य सरकारों और जल संरक्षण और प्रबंधन में शामिल अन्य पणधारियों के सक्रिय सहयोग से की जाएगी ।

राष्ट्रीय जल मिशन ने जलवायु परिवर्तन हेतु राज्य कार्य योजना को जल क्षेत्र के साथ जोड़ने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजना की तैयारी का कार्य आरंभ कर दिया है । यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार जल क्षेत्र के लिए एसएसएपी, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सिंचाई, कृषि, घरेलू जल आपूर्ति, औद्योगिक जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल के उपयोग शामिल है । एसएसएपी जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन, जल गवर्नेंस, संस्थागत व्यवस्था, जल संविधान नीतियों, सीमा-पार मुद्दों की व्यवस्था आदि के लिए स्थिति प्रदान करेगा । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं पर स्थिति रिपोर्ट/राज्य विशिष्ट जल संसाधनों के सभी आयामों से संबंधित मुद्दे और मुख्य मुद्दों/समस्याओं के क्षेत्रों के निदान के लिए संभावित समाधनों की पहचान करते हुए,

समाधान के फायदे और नुकसान बताना । राज्य विशिष्ट कार्य योजना में खासतौर से यह शामिल होंगे :

(क) जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन, जल संचालन, संस्थागत व्यवस्था, जल संबंधित नीतियां, सीमा-पार मुद्दे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना । इन दस्तावेजों में राज्य के जल संसाधनों के सभी आयामों से संबंधित समस्या/ मुद्दे का वर्णन किया जाना चाहिए ।

(ख) समाधानों के फायदे और नुकसान देखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों/समस्या क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए संभावित समाधानों का पता लगाया ।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यन्वयन किए जाने वाली एनडब्ल्यूएम में पहचानी गयी प्रत्येक कार्यनीति/कार्यकलाप के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करना ।

बारह राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा और तमिलनाडु से चरण-। में उनके राज्य विशिष्ट कार्य योजना को तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इन राज्य सरकारों से 18.9.2015 को हुई बैठक में एएस एवं एमडी, एनडब्ल्यूएम की अध्यक्षता में एसएसएपी की तैयार के लिए एक अभिकरण/संगठन को पहचानने का अनुरोध किया गया है कि उत्तर पूर्वी अनुसंधान संस्थान जल और भूमि प्रबंधन (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), तेजपुर,असम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत है उसे समन्वय, निगरानी और एसएसएपी की तैयारी के लिए चयनित राज्य अभिकरणों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।

"राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वय" की स्कीम में एसएसएपी के लिए 20.00 करोड़ रूपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया । एनडब्ल्यूएम ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य स्तर पर सीजीडब्ल्यूबी के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विचार व्यक्त किया है । एनडब्ल्यूएम ने जल क्षेत्र में बृहत/बड़े राज्य में एसएसएपी की तैयारी हेतु 50 लाख रूपये और छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 लाख रूपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया ।

3.3.3 (क) मानव संसाधन विकास/और क्षमता निर्माण/जागरूकता सृजन

राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य-।। "जल संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्य योजना प्रसर, संवर्धन और संरक्षण" है । पंचायती राज्य संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों, जल प्रयोक्ता संगठनों, अन्य प्राथमिक पणधारियों के संवेदीकरण और क्षमता निर्माण की

परिकल्पना की गई है । इस लक्ष्य के तहत मिशन दस्तावेज में एनजीओ, पीआरआई, स्थानीय निकायों के शामिल होने के बारे में कहा गया है ।

एनडब्ल्यूएम, टीआईएसएल-मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल हुआ है; एनआईआरडी, हैदराबाद प्रत्येक के लिए एक साल के लिए और आईसीएआर-आईआईडब्ल्यूएम, भुवनेश्वर के लिए जल संसाधन प्रबंधन, संवर्धन और संरक्षण के कार्यक्रमों में संवेदीकरण,प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण लाने हेतु दो वर्षों के लिए । एनडब्ल्यूएम, एचआरडी/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दिशानिर्देशों को तैयार करने की प्रक्रिया में है ।

टीआईएसएस अधिकारियों के साथ एनडब्ल्यूएम-टीआईएसएस परियोजना के निर्वहन कार्यान्वयन हेतु मुद्दों पर विचार करने के लिए मासिक बैठकों को आयोजन होता है जिसके टीआईएसएस को उपयुक्त वेबसाइट को विकसित करने, एनजीओ/वीओ को उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है । टीआईएसएस ने अन्य लक्ष्यों की कार्य पद्धतियों को संबोधित करने के लक्ष्य की सलाह दी गई और उनकी कार्य योजना का मूल्यांकन एनडब्ल्यूएम किया गया है । इसके अलावा टीआईएसएस एनजीओ/वीओ के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 25 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय करके आयोजन किया जाएगा ।

3.3.3 (ख) राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (एनबीडब्ल्यूयूई)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के गठन को प्रस्तावित किया है । ईएफसी की बैठक 22.07.2013 को वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई थी । ईएफसी ने एनबीडब्ल्यूयूई के गठन के लिए 50 करोड़ रूपये की सिफारिश की है । एनबीडब्ल्यूयूई, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा । एनडब्ल्यूएम ने एनबीडब्ल्यूयूई के सृजन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचना के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार किया है । एक मसौदा मंत्रिमंडल नोट को संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए मई, 2015 को प्रचालित कर दिया गया है । विभिन्न मंत्रालय/विभागों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पीएमओ ने एनबीडब्ल्यूयूई के सृजन पर कुछ टिप्पणियां दी है, जिनमें सुधार किया जा रहा है ।

3.3.4 जल उपयोग दक्षता की वर्तमान स्थिति पर सूचना प्राप्त करने हेतु बृहत/मध्यम जल संसाधन परियोजनाओं का बेसलाइन अध्ययन

एनडब्ल्यूएम स्कीम में बेसलाइन अध्ययन के लिए 36 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह उल्लेख किया गया है कि "जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना" राष्ट्रीय जल मिशन का चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्य है । हालांकि परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता की वर्तमान स्थिति और जल के सभी उपयोगों का पता लगाने के लिए बेसलाइन अध्ययन की आवश्यकता है । सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने पहले ही परियोजनाओं के जल उपयोग दक्षता/बेसलाइन अध्ययन 138 बृहत और 73 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की है । मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 बृहत-मध्यम परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता के बेसलाइल अध्ययन के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है । कार्य को वाल्मी औरंगाबाद, वलमतारी, हैदराबाद और नेरीवाल्म, तेजपुर के माध्यम से दो चरणों में किया जाएगा ।

चरण-। में पांच परियोजनाएं	-	182.42 लाख रूपये
चरण-।। में बीस परियोजनाएं	-	646.44 लाख रूपये
	कुल लागत	828.86 लाख रूपये

यह कहा गया है कि पांच परियोजनाओं के प्रथम चरण में (पाहूमारा- असम, लोकतक-मणिपुर, अरूणावती- महाराष्ट्र, राल्लापाडु- आंध्र प्रदेश और पेड्डावाडु-तेलंगाना) 182.42 लाख रूपये की राशि खर्च को प्रस्तावित किया गया है और पहली किस्त को 40 प्रतिशत@ की अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया गया है ।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और मणिपुर राज्यों में शेष बची 20 बृहत-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 646.49 लाख रूपये की अनुमानित लागत के साथ आरंभ किया जाना है । 40 प्रतिशत की अग्रिम भुगतान (258.58 लाख रूपये) पहली किस्त के रूप में जारी किया जाएंगा ।

नेरीवाल्म, तेजपुर - असम राज्य में कालीबोर लिफ्ट सिंचाई, रूपाही मध्यम सिंचाई और सुक्ला सिंचाई

बलमतारी, हैदराबाद- तेलंगाना राज्य में तोरीगुड्डा मध्यम सिंचाई, थटीपुड़ी मध्यम सिंचाई, गुंटर चैनल मध्यम सिंचाई, वेनंगालारायासागर मध्यम सिंचाई, तलीपेरू मध्यम सिंचाई, सथमल्ला मध्यम सिंचाई, आंध्र प्रदेश राज्य की मूसी मध्यम सिंचाई और वट्टीवागु मध्यम सिंचाई ।

वाल्मी, औरंगाबाद - महाराष्ट्र राज्य में बोर सिंचाई, गिरना बृहत सिंचाई, करपारा मध्यम सिंचाई, पलखेड़ सिंचाई, पंजारा बृहत सिंचाई और 4 अन्य परियोजनाएं।
2016-17 के दौरान सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक परियोजनाओं का आरंभ किया जाएगा ।

3.3.5 प्रर्दशनात्मक परियोजनाओं की तैयारी :

ईएफसी की 22.07.2013 को राष्ट्रीय जल मिशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर हुई बैठक में परियोजनाओं के प्रचालन और बेंचमार्किंग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी हेतु 50 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है । एनडब्ल्यूएम ने जल क्षेत्रों नामत: सिंचाई, उद्योग, घरेलू जल आपूर्ति और जल के पुन:चक्रण और पुन: उपयोग हेतु प्रदेर्शनात्मक परियोजना प्रस्तावों को आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है । इन प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का उद्देश्य जल के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है जिसमें आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकियां शामिल है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि जल उपयोग दक्षता में वृद्धि को विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग उपायों का कार्यान्वयन करके प्राप्त किया जा सकता है । सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए है : माइक्रो-सिंचाई तरीकों का उपयोग, ड्रिप, छिड़काव सिंचाई पद्धति, मात्रात्मक आधार पर जल आपूर्ति का कार्यान्वयन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा, जल शुल्क के संग्रहण हेतु जल प्रयोक्ता संगठनों का सृजन और जल संसाधन अवसंरचना का रखरखाव, सतही और भूमि जल क सिंचाई, ड्रेनेज आदि के पुन:उपयोग सहित, संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना । एनडब्ल्यूएम ने डीपीआर की तैयारी हेतु निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की है । इन परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए अनुपूरक अनुदान चरण में अधिक निधि प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है।

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना**
1.	तेलंगाना	कड्डम परियोजना (सीसीए- 27519 हेक्टे.)
2.	महाराष्ट्र	खेखरावाला परियोजना (सीसीए- 3810 हेक्टे.)
3.	राजस्थान	चंबल परियोजना (सीसीए- 2,29,000 हेक्टे.)
4.	राजस्थान	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चरण-।।, लिफ्ट स्कीम (सीसीए- 3,20,000 हेक्टे.)
5.	पंजाब	कोकारी वितरिका के नवीकरण हेतु परियोजना, अभोर शाखा, सरहिंद नहर प्रणाली (सीसीए- 28,756 हेक्टे.)
6.	हरियाणा	हिसार की मुख्य वितरिका, डब्ल्यूजेसी प्रणाली की उप-प्रणाली के नवीकरण हेतु परियोजना (सीसीए- 21270 हेक्टे.)

अन्य क्षेत्रों के लिए एनडब्ल्यूएम ने एनआईएच, रूड़की, सीपीडब्ल्यूडी, नीरी, नागपुर और सीएसआरआई, भावनगर, गुजरात के सहयोग द्वारा जल के पुन:चक्रण, पुन:उपयोग और जल गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रर्दशनात्मक परियोजनाओं को आरंभ करना प्रस्तावित किया है । परियोजना प्रस्तावों के नाम नीचे दिए गए है:-

(1) **एनआईएच, रूड़की** - रूड़की में मटमैले जल से नीले जल की ओर परिवर्तित करना- 1.34 करोड़ रूपये

(2) सीपीडब्ल्यूडी - जल का पुन: चक्रण और पुन:उपयोग 300 के एलडी क्षमता वाले सीवेज शोधित संयंत्र सीजीओ कांपलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आपूर्ति, संस्थापना, सीवेज की जांच और संयंत्रों को लगाना। लागत - 2.70 करोड़ रूपये

(3) सीएसआईआर - सेंट्रल साल्ट और मैरिन कैमीकल अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात में पहचानी गई 15 लवणता क्षेत्र । गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गांवों में नवीन जल- विलवणीकृत और शोधन इकाई के परीक्षण और संस्थापन का विकास- लागत 1.29 करोड़ रूपये

(4) सीएसआईआर - नीरी, नागपुर- ओड़िशा शहर (भुवनेश्वर) के लिए एकीकृत अपशिष्ट जल संयंत्र योजना- लागत प्रक्रियाधीन है ।

(5) दिल्ली जल बोर्ड- जल के पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग के लिए महरौली क्षेत्र, नई दिल्ली की मौजूदा परियोजना के एस टी पी का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण।

3.4 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण : सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बाद अंत:राज्यीय सम्पर्कों की डीपीआर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का कार्य एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की चौथी विशेष आम बैठक में अनुमोदित किया गया है । अंत:राज्यीय सम्पर्कों की डीपीआर तैयार करने के कार्य सहित एनडब्ल्यूडीए का संशोधित ईएफसी ज्ञापन अनुमोदित हो चुका है तथा बढ़ाए गए कार्यों के विषय में राजपत्र में अधिसूचना जारी की जा चुकी है । एनडब्ल्यूडीए ने बिहार के दो अन्त: राज्यीय सम्पर्कों अर्थात बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा और कोसी-मेची सम्पर्क की डीपीआर, XIवीं योजनाअवधि के संशोधित ईएफसी ज्ञापन के अनुमोदन के बाद 2011-12 में तैयार करनी शुरू कर दी थी तथा दो और सम्पर्कों (एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु) का कार्य वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया गया । दो और अंतर्राज्यीय संपर्कों (झारखंड का एक और ओड़िशा का एक) की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया है ।

नदियों को आपस में जोड़ने वाली विशेष समिति की अध्यक्षता माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) द्वारा की गई । इसका गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों

के अनुसार दिनांक 23 सितम्बर, 2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा किया गया है । अब तक इस समिति की 7 बैठकें क्रमश: 17.10.2014, 06.01.2015, 19.03.2015, 14.05.2015, 13.07.2015, 15.09.2015 और 18.11.2015 को नई दिल्ली में हो चुकी है। आईएलआर की विशेष समिति नियमित रूप से दो महीने में एक बार आईएलआर की प्रगति की समीक्षा कर रही है । सहमत राज्यों के मंत्री/प्रधान सचिव, विशेष समिति के सदस्य है ।

नदियों को आपस में जोड़ने वाली विशेष समिति ने चार विशिष्ट उप समितियों का गठन किया है; (i) विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों का विस्तृत मूल्यांकन करने वाली उप समिति (ii) अति उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान करने वाली, प्रणाली अध्ययन हेतु उप समिति (iii) संबंधित राज्यों के बीच बातचीत के माध्यम से और किसी समझौता तक पहुंचने पर सर्वसम्मति हेतु उप-समिति (iv) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की पुन: संरचना के लिए उप समिति ।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की पुन: संरचना हेतु बनायी गई उप समिति ने 7 बैठकें की है और अपनी रिपोर्ट को माननीय मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) और 21.09.2015 को विशेष समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है ।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईएलआर के लिए विशेष समिति का अनुमोदन करते समय उसकी 24 जुलाई, 2014 को हुई बैठक में निर्देश दिये कि विशेषज्ञों की समिति का गठन नदियों को आपस में जोड़ने के संबंधित मुद्दों को देखने के लिए किया गया है । केन्द्रीय मंत्रिमंडल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिशानिर्देशों की अनुपालना में दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल (टीएफ-आईएलआर) का गठन किया है। कार्यबल का समयकाल 2 वर्ष का है या जब तक आगे के आदेश नहीं आते जो भी पहले। कार्यबल आईएलआर की विशेष समिति की सहायता करेगी और जल संसाधन, नदी विकास और जल संरक्षण मंत्रालय आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य करेगा । कार्यबल की दो बैठकें क्रमश: 23 अप्रैल, 2015 और 5 नवम्बर, 2015 को हुई है।

3.5 सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम

XIIवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को कुल 6000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ जल क्षेत्र में सुधार करने को प्रोत्साहित नियोजित स्कीम नामत: सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम को प्रस्तावित किया है । इस स्कीम को बनाने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य विशिष्ट जल क्षेत्र सुपोरा और उपयुक्त ढांचे पर आधारित

राज्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली हेतु बैंचमार्क को विकसित किया जाए ।

राज्य विशिष्ट जल क्षेत्र सुधार उपयुक्त ढांचे पर आधारित राज्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली हेतु बैंचमार्क को विकसित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है । इसे राज्यों की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु भेज दिया गया है। राज्यों से उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

'जल क्रांति अभियान'- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली में वर्ष 2015-16 के दौरान देश में एक समग्र और एकीकृत विचार धारा के माध्यम से सभी पणधारियों को शामिल करके इसे एक जन आंदोलन बनाते हुए, जल संरक्षण और प्रबंधन को समन्वित करने हेतु 'जल क्रांति अभियान' का आयोजन कर रहा है । अभियान को देश भर में 5 जून, 2015 में आरंभ किया गया है और जयपुर, शिमला और झांसी में इसके विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए ।

जल क्रांति अभियान के अंतर्गत आने वाली पांच मुख्य कार्यकलाप यह है :

1. जल ग्राम योजना
2. मॉडल कमान क्षेत्र का विकास
3. प्रदूषण नियंत्रण
4. जन जागरूकता कार्यक्रम
5. अन्य कार्यकलाप

3.6 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग : भारत, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत विश्व बैंक के तत्वावधान में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को कार्यान्वित कर रहा है ।

क. सिंधु जल संधि 1960

- स्थाई सिंधु आयोग का निरीक्षण दौरा और बैठकें
- पाकिस्तान से आंकड़ा संग्रहण और आपूर्ति-
  1. पाकिस्तान को सिंधु बेसिन नदियों के प्रेक्षित और सूचीबद्ध स्थलों का दैनिक गेज और नि:सरण आंकड़ा उपलब्ध कराना।
  2. जिलावार/ तहसील वार खरीफ और रबी मौसम के लिए सिंधु बेसिन के पश्चिमी नदियों के लिए सिंचित फसल क्षेत्र सांख्यिकी उपलब्ध कराना।
  3. चिनाब, जम्मू तवी, रावी और सतलुज नदियों के संबंध में प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान का बाढ़ चेतावनी संदेश उपलब्ध कराना।

4. संधि के अनुसार पश्चिमी नदियों के संबंध में जल विद्युत (एचई) और भंडारण परियोजनाओं की सूचना देना, परियोजनाओं से आंकड़ा संग्रहण, निरंतरता विश्लेषण, समीक्षा और आपूर्ति।

- संधि की दृष्टि से सिंधु बेसिन की परियोजनाओं की स्वीकृति।
- समय-समय पर संधि की दृष्टि से परियोजनाओं के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर बातचीत। वर्तमान में सक्रिय
- सरकार के स्तर पर वार्ता के लिए पाकिस्तान के साथ सचिव स्तरीय बैठक के संबंध में कार्य।
- संधि के तहत उठे मुद्दों के संबंध में विदेश मंत्रालय के एलएंडटी, पीएआई प्रभागों के साथ बातचीत।
- संधि की दृष्टि से और समय-समय पर उठे अन्य मामलों के संबंध में जम्मू कश्मीर आदि में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा से संबंधित बैठकें।
- संधि के तहत अनुमत्य सीमा तक पश्चिमी नदियों के संरक्षण संबंधी मुद्दे।
- पूर्वी नदियों के जल के इष्टतम उपयोग संबंधी मुद्दे।
- समय-समय पर आवश्यकतानुसार पाकिस्तान से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण।

ख. सिंधु बेसिन के अन्तर-राज्यीय जल से संबंधित मुद्दे

- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच अन्तर-राज्यीय मुद्दे- शाहपुर कांडी परियोजना, रावी ब्यास के अतिरिक्त जल में राजस्थान के हिस्से के 0.6 एमएएफ का पुनर्स्थापन, रोपड़, फिरोजपुर और हरिक में हैड वर्क्स के नियंत्रण का हस्तांतरण, बीएमएल-हंसी शाखा-बुटाना शाखा बहुद्देशीय संपर्क चैनल, सतलुज-यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर, पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 के संदर्भ में राष्ट्रपतिय संदर्भ, आदि।
- रावी और सतलुज नदियों के आकस्मिक प्रतिरोधी सुरक्षात्मक कार्य के लिए केंद्रीय सहायता, और इसके संबंध में निगरानी समिति से संबंधित कार्य।
- इंदिरा गांधी नहर बोर्ड से संबंधित मामलें।
- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित मामलें।
- सिंधु बेसिन के अन्तर-राज्यीय मुद्दों से संबंधित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठकें।
- पोंग बांध विस्थापितों का पुनर्वास- उच्चस्तरीय समिति और उपसमिति की बैठकें,

(ग) घग्घर मामलों से संबंधित घग्घर स्थाई समिति

घ. आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग :

भारत और आस्ट्रेलिया की सरकार ने 10 नवम्बर, 2009 को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । इस एमओयू में परिकल्पना की

जाती है कि सतही और भूमिजल, दोनों जल प्रबंधन तथा विशेष रूप से नदी बेसिन प्रबंध और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नीतिगत और तकनीकी अनुभव को साझा करके जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष कार्य करेंगे । अन्य पांच वर्षों के लिए एमओयू को 05.09.2014 को नवीकरण किया गया।

उपर्युक्त एमओयू को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों से समान संख्या में सदस्यों वाले एक संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था । जेडब्ल्यूजी ने दिनांक 19.11.2012 को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक के दौरान उक्त एमओयू के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक कार्रवाई योजना को तैयार /अंतिम रूप दिया है । इस कार्रवाई योजना में एक प्रमुख कार्यकलाप, एकीकृत जल संसाधन प्रबंध (आईडब्ल्यूआरएम), प्रमुख नीतियों पर दोनों को एक साथ लाना, भारत में नदी बेसिन के लिए वैज्ञानिक और सूचना इनपुट्स एक साथ तैयार करने में सहयोगात्मक विकास की पहचान की गई थी ।

जेडब्ल्यूजी आस्ट्रेलिया के अधीन, आईडब्ल्यूआरएम में अपने अनुभव साझा कर रहा है और भारत के साथ योजना तैयार कर रहा है । आईडब्ल्यूआरएम के विकास के लिए ओड़िशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणी-बैतरणी नदी बेसिन को चुना गया है, जिसके साथ आस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सीएसआईआरओ), ई-वाटर और अन्य आस्ट्रेलियाई संगठनों के विशेषज्ञ भारत के समकक्ष अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं ।

29 अप्रैल से 03 मई, 2013 तक आस्ट्रेलिया में जेडब्ल्यूजी की दूसरी औपचारिक बैठक आयोजित की गई थी जिसके दौरान आस्ट्रेलिया द्वारा जल सुधार में नीतिगत अनुभव को साझा किया गया था। इस बैठक के दौरान अगले दो वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया था। तत्पश्चात्, नदी बेसिन सुधारों के रास्ते और ब्राह्मणी-बैतरणी बेसिन के लिए आईडब्ल्यूआरएम योजना तैयार करने और पर्याप्त जल उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और संबंधित संगठनों के लिए 30-31 अक्तूबर, 2013 को सीडब्ल्यूसी में आस्ट्रेलियाई जल विशेषज्ञों द्वारा एक दो दिवसीय कार्यकारी मास्टर क्लास (कार्यशाला) आयोजित की गई थी । उसके पश्चात्, 18-29 नवम्बर, 2013 तक के दौरान आस्ट्रेलियन जल विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में ई-वाटर पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था जिसमें सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच और आईएमडी से अभियंताओं / अधिकारियों ने भाग लिया। आस्ट्रेलिया के जल विशेषज्ञों ने आईडब्ल्यूआरएम योजना को तैयार करने के एक भाग के रूप में 10-13 मार्च, 2014 के दौरान ओड़िशा और झारखण्ड में ब्राह्मणी-बैतरणी नदी बेसिन का क्षेत्रीय दौरा शुरू किया है । इसके पश्चात् आगन्तुक प्रतिनिधिमण्डल जिसमें संबंधित राज्यों और जेडब्ल्यूजी के सदस्यों ने भी भाग लिया, के साथ नई दिल्ली में सचिव, (जल संसाधन) की अध्यक्षता में अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी ।

हाल ही में, ब्राह्मणी-बैतरणी बेसिन के लिए आईडब्ल्यूआरएम योजना में अब तक प्राप्त प्रगति की चर्चा और इसके भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए 19 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक का आयोजित की गई । गंगा नदी के संरक्षण पर अपने विशेष टिप्पणी देने हेतु आस्ट्रेलिया के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

ड.. अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग

जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भी अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । माननीय जल संसाधन मंत्री और रवांडा गणराज्य के माननीय कृषि और पशु संसाधन मंत्री ने 22 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । इसके पश्चात्, इस एमओयू के संभावित कार्यों को करने के लिए प्रत्येक पक्ष की ओर से तीन सदस्यों वाले एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया है ।

(i) भारत-ईरान संयुक्त आयोग की तेहरान में हुई 17वीं बैठक के दौरान, 4 मई, 2013 को जल संसाधन प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। वर्तमान में, एक संयुक्त कार्य दल के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

(ii) अगस्त, 2013 में इराक के माननीय प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत सरकार और इराक सरकार के बीच 23 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस एमओयू को लागू करने के लिए सितम्बर, 2014 में दोनों पक्षों से समान संख्या के सदस्यों वाले संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है।

(iii) फिजी गणराज्य सरकार के वित्त मंत्री के भारत दौरे के दौरान, जल संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में फिजी के साथ द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सचिव (जल संसाधन) और भारत में फिजी के उच्चायुक्त ने दिनांक 12.02.2014 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे । संयुक्त कार्यदल के गठन की प्रक्रिया जारी है ।

(iv) हाल ही में, नई दिल्ली में भारत बहरीन उच्चस्तरीय संयुक्त आयुक्त की बैठक के दौरान जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए 22 फरवरी, 2015 को बहरीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(v) जल संसाधन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए हंगरी और मोरक्को के साथ भी एमओयू विचाराधीन है ।

(vi) जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच सहयोग के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित मसौदा समझौता ज्ञापन को 02.12.2015 को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है । विदेश मंत्रालय से मंत्रालय के दिनांक 17.12.2015 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह मामले को समझौता ज्ञापन के जल्द हस्ताक्षरित होने के लिए इजाराइली पक्ष के साथ देखे ।

3.7 केंद्रीय और विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीडब्ल्यूपीआरएस): 2014-15 और 2015-16 के दौरान (31 दिसंबर, 2015 तक उपलब्धियां) उद्देश्यों और उपलब्धियों पर और 2015-16 की कार्य योजना पर प्रकाश डालता संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(क) जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, ज.सं.न.वि. और ग.सं. मंत्रा.- शीर्ष संगठनों में आर एवं डी- सी डब्ल्यू पी आर एस घटक।

उद्देश्य-

12वीं योजना स्कीम के तहत जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, सी डब्ल्यू पी आर एस का मुख्य लक्ष्य उसकी प्रयोगशालाओं, उपकरणों और आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण करना है। अन्य मुख्य मदों में आई सी टी, प्रशिक्षण और प्रसार, बुनयादी अनुसंधान और गणितीय माडलिंग साफ्टवेयर शामिल है।

2014-15 के दौरान कार्यकलाप-

2014-15 के दौरान, 9.00 करोड़ रू. के बजट परिव्यय के साथ आरंभ किए गए मुख्य कार्यक्लापों को शामिल किया गया है।

स्थापना- (प्रशिक्षण और बुनयादी अनुसंधान) (10.45 करोड़ रू.)

अवसंरचना- नदी के मुहाने के लिए ज्वारीय बेसिन सुविधा का विकास और मौजूदा हैंगर (0.45 करोड़ रुपए) के नवीकरण द्वारा ज्वारीय हाइड्रोडायानमिक अध्ययन, स्वलवे और ऊर्जा डिसीपेटर्स (0.0059) के अध्ययन के लिए प्रायोगात्मक सुविधा का विकास, विभिन्न कार्यकलाप-सह-प्रयोगशाला भवनों, बाधा दीवार, रोडो, का नवीकरण, आवासीय और कार्यालय भवन और बागवानी कार्यों (2.13 करोड़ रु.) आदि की विशेष मरम्मत।

स्टोर एवं मशीनरी - स्टोर और मशीनरी के लिए, जल स्तर (0.063 करोड़) को मापने के लिए डिजीटल गाज की खरीद, थर्मल डिसचार्ज (0.265 करोड़) के सिमुलेशन के लिए जल हीटर प्रणाली की खरीद, खरीज जैसे) सुदूर संवेदन/जीआईसी के लिए साफ्टवेयर (ii) सुदूर संवेदन/जीआईएस (0.45 करोड़) के लिए कार्यस्टेशन भूमि भेदने वाली रडार प्रणाली/(0.04 करोड़) के विनिर्देशों के लिए बैटरी और केबल, एलआईटीपीसी के, एमआईकेई 21 (0.223 करोड़) साफ्टवेयर की खरीद के लिए गणितीय मॉडलिंग साफ्टवेयर, फिल्टर असेम्बली (0.004 करोड़) की खरीद, एलएएन स्विचों और साफ्टवेयर (0.28 करोड़) की खरीद,

जीओटेक्निकल परमीमीटर, सीएफडी साफ्टवेयर (एफएलओ डब्ल्यू 3 डी की खरीद (उन्नत प्रशिक्षण और साफ्टवेयर का एक वर्ष का एएमसी) (0.014 करोड़)

संचालन लागत- इलैक्ट्रिकल उपयोग चार्ज, घरेलू/ विदेशी यात्रा, कार्यालय/स्टाफ कॉलोनी स्थल की सुरक्षा, सुरक्षा की आऊटसोर्सिंग और घरेलू-कार्यों आदि पर खर्च (1.19 करोड़) है।

2015-16 के दौरान कार्यकलाप :

2015-16 के दौरान, 31 दिसम्बर, 2015 तक (दिसम्बर 2015 तक व्यय 8.58 करोड़ रु. है) 11.65 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ, आरंभ किए गए मुख्य कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

अवसरंचना (9.05 करोड़)

नदी इंजीनियरी और गाद को कम करने के लिए अध्ययन (2.15 करोड़) के लिए हैंगर/कार्यालय भवन निर्माण और केन्द्रीय प्रयोगात्मक सुविधा। नदी मुहाने और ज्वारीय हाइड्रोडायनिमिक अध्ययन (0.30 करोड़) ज्वारीय बेसिन सुविधा के विकास के लिए संप और पंप हाऊस का निर्माण। टेहरयल डिस्परसन अध्ययन (1.05 करोड़) हेतु हेंगर, मॉउल ट्रे और जल पम्पिंग प्रणाली का निर्माण स्पिलवे में मूल अध्ययन और ऊर्जा डिसीपेंटर्स विभाजन (0.20) हेतु 2 डी स्पिलवे मॉडल का निर्माण। विभिन्न कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवनों, सीमा दीवार, रोडो, का नवीकरण, आवासीय और कार्यालय भवनों, सीमा दीवार, रोडो का नवीकरण, आवासीय और कार्यालय भवनो, सीवेज लाइन और बागवानी कार्यों के लिए विशेष मरम्मत आवासीय क्वाटरों आदि का नवीकरण (5.35 करोड़)

स्टोर एवं मशीनरी-(1.30 करोड़ रु.)

नवीनतम उपकरण और गणीतीय मॉडलिंग साफ्टवेयर की खरीद और यंत्रों जैसे डिजिटलमाइक्रो भूकंप रिकार्डर, फोर्स ट्रासडूयसर, जल गुणवत्ता निगरानी सैंसर और डिजिटल कम्पाउंड माइक्रोस्कोप, माइक साफ्टवेयर, डिजिटल स्टिल कैमरा, कम्प्युटर पेरीफेलस आदि (1.30 करोड़) कम्प्युटर द्वारा प्रयागशाला का अद्यतीकरण और आधुनिकरण

संचालन लागत (1.03)

बिजली बिलों, घरेलू/विदेश यात्रा, टेलीफोन बिलों, सुरक्षा, इटरनेट खर्चे आदि के प्रति खर्च (1.03 करोड़) है।

2016-17 की कार्य योजना

XIIवीं योजना का आरंभ और 2012 में, 72 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ हुआ। जिसमें से 2016-17 के लिए 15.00 करोड़ रु; का प्रावधान किया गया, जिसमें शामिल हे

स्थापना : 0.55 करोड़ रु. स्थापना के लिए (पशिक्षण और मूल अनुसंधान)

अवसंरचना

9.33 करोड़ रूपया अवसंरचना विकास के लिए जिसमें नदी अभियांत्रिकी के लिए केन्द्रीय प्रायोगिक सुविधा शामिल है और गाद कम करने के लिए अध्ययन (4.17 करोड़ रू.) नदी अभियांत्रिकी की अध्ययन (3.00 करोड़ रू.) हेतु केन्द्रीय सुविधा के लिए कार्यालय भवन का निर्माण। विभिन्न कार्यालय-सह-प्रयोगशाला। भवनों, सीमा दीवार, रोडो, का नवीकरण, आवासीय और कार्यालय भवनों बागवानी कार्यों (2.16 करोड़ रू.) की विशेष मरम्मत।

स्टोर एवं मशीनरी

स्टोर और मशीनरी के लिए 3.00 करोड़ रु. जिसमें प्रयोगशाला उपकरणों और गणीतीय माडलिंग साफ्टवेयरों की खरीद शामिल है। जैसे साइक्लिक ट्रिइक्सल मृदा टेस्ट प्रणाली की खरीद (0.47 करोड़) जियोटेक्सटाइल टेसिल टेंसिल टेस्टिंग मशीन (0.32 करोड़ रू.) यूडीईसी 2 डी और 3 डी ईसीसाफ्टवेयर (0.32 करोड़ रू.) की खरीद। सीएडी साफ्टवेयर की खरीद (0.10 करोड़) नदी अभियांत्रिकी की अध्ययन हेतु केन्द्रीकृत सुविधा (0.29 करोड़ रू.) वेल लॉगिंग ईकाई (1.5 करोड़ रू.)

संचालन लागत :

इलैक्ट्रिकल उपयोग खर्चे की संचालन लागत हेतु 2.12 करोड़ रू. घरेलू/विदेशी यात्रा, कार्यालय की सुरक्षा/स्टॉफ कॉलोनी स्थान, सुरक्षा और हाऊस कीपिंग कार्यों की आऊटसोर्सिंग के प्रति खर्च।

(ख) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

उद्देश्य -

सीडब्ल्यूआरएस, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण में मददगार की भूमिका निभा रहा है और अध्ययनों जिसमें, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के पूरे ढांचे के भीतर विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है।

2015-16 के दौरान कार्यकलाप

2015-16 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए -

- परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार की गई
- एनएचपी की लागत तालिका जो 56.26 करोड़ रु. है तैयार कर ली गई है।
- परियोजना के लिए अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

2016-17 के लिए कार्ययोजना

आगे आने वाली जलविज्ञान परियोजनाओं के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों को प्रस्तावित किया गया है (जो 8 वर्षों अर्थात-2015-2023 में खर्च होंगे और पीआईपी के लिए अनुमोदन, 2015-2016 के दौरान ले लिया गया।

- जल स्तर माप, गति माप, एफसीएस संचार प्रणाली, साफ्टवेयर विकास, कम्प्यूटर प्रयोगशाला के प्रशिक्षण हेतु राज्य आएए की मदद करने के लिए हाइड्रोमेट उपकरणीय प्रयोगशाला का निर्णय ।
- जल संसाधनों के विकास हेतु उद्देश्य प्रेरक अध्ययन एचपीआकंडा के उपयोग द्वारा जो कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जैसे जल उपलब्धता, जल गुणवत्ता, हाइड्रोजिकल सूखा, अन-गोगंड बेसिन आदि के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में सहयोग करेगा, जो राज्य की आवश्यकता आधारित है।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यालय/प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद ।
- सीडब्ल्यूपीआरएस ने विभिन्न राज्यों ने डीएसएस(पी) के प्रशाकरण और कार्यान्वयन के लिए एक दल के भाग का गठन करने का प्रस्ताव किया है और साथ स्थाई डीएसएस(पी) एवं डीएसएस-आर टी के लिए क्षमता निर्माण उपाय।
- सीडब्ल्यूपीआरएस में संस्थागत सुदृढ़ीकरण क्षमता निर्माण, विश्व बैंक सहायता पाप्त जलविज्ञानीय परियोजना-3 के पूरे ढांचे के अंतर्गत प्रशिक्षण अवसंरचना सुविधा प्रदान करने सहित, अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एच-पी-।।। की तैयारी।

(ग) तकनीकी ज्ञान का प्रसार- अन्य बातों के साथ-साथ सीडबल्यूपीआरएस के आदेशपत्र में अनुसंधान पत्रों का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, सेमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में प्रकाशन द्वारा तकनीकी ज्ञान का प्रसार शामिल है। प्रशिक्षण कोर्सों/कार्यशालाओं आदि में प्रकाशन द्वारा तकनीकी ज्ञान का प्रसार शामिल है, प्रशिक्षण कोर्सों/कार्यशालाओं का आयोजन तकनीकी ज्ञापन का प्रकाशन, भाषण देना और तकनीकी समिति सभाओं आदि में भाग लेना।

2014-15 के दौरान वास्तविक लक्ष्य, 2015-16 के दौरान उपलब्धियों और 2016-17 में विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में विभिन्न उद्देश्यों को नीचे तालिका में दिया गया है।

3.8 केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड- सीजीडब्ल्यूबी के सभी कार्यालयों में वेब आधारित वर्कफ्लो आवेदनों का कार्यान्वयन ई-गवर्नेन्स में मदद करेगा और सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता लाएंगे।

3.9 एनडब्ल्यूए, क्षमता निर्माण के भाग के रूप में जल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है। 2014-15 में स्कूल अध्यापकों के लिए कार्यशालाएं/कार्यक्रमों, का आयोजन जल संरक्षण, ग्राम पंचायत के अधिकारियों, एनजीओ और मीडिया से संबंधित व्यक्तियों द्वारा संदेशों को प्रसारित करने की परिकल्पना की गई है।

3.10 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को जुलाई, 2015 में आरंभ किया गया है जिसके तहत एआईबीपी, पीएमकेएसवाई घटकों के अंतर्गत (हर खेत को पानी) विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया गया है। पीएमकेएसवाई (प्रति बूंद प्रति खेत के लिए) और पीएमकेएसवाई (वाटरशेड विकास) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

निरंतर आधार से कृषि क्षेत्रों में वृद्धि नजदीकी रूप से भूमि और जल संसाधनों के कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के स्थाईकरण हेतु, विवेकपूर्ण उपयोग सं संबंधित है। वर्तमान में कुछ विभाग/मंत्रालय भूमि और जल संसाधनों के विकास के मुद्दों के हल के लिए, विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन में शामिल है। देश में बुवाई किए गए कुल क्षेत्रों में से लगभग 141मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर को वर्तमान में सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्षा पर वास्तविक निर्भरता, शेष बचे क्षेत्रों में जुताई को जोखिम से भरा और कम उत्पादक व्यवसाय बनाता है। अनुभवजन्य प्रमाण सुझाते हैं कि सुनिश्चित/संरक्षित कृषि/स्वास्थाने आर्द्रता संरक्षण किसानों को फार्मिंग प्रोद्योगिकी में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करती है और इस जानकारी द्वारा उत्पादकता और फार्म की आय में वृद्धि होगी।

पीएमकेएसवाई के कार्य, उद्देश्य और धारक निम्न प्रकार से हैं :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) यह नई स्कीम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भूमि संसाधन विभाग और कृषि एवं सहभागिता के एकीकृत प्रयासों द्वारा सिंचाई और उससे संबंधित सुविधाएं प्रदान करेगी। इसका यह भी उद्देश्य है कि अन्य स्कीमों का एकीकरण और समावेशन किया जाए, जिसके द्वारा सिंचाई सुविधाओं जैसे एमजीएनआरईजीए, और आरकेवीवाई आदि में लाभ हो सकता है। स्कीम को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए केन्द्रीय हिस्से के संयुक्त परिव्यय 50000 करोड़ रू. के साथ तैयार किया गया था जिसमें से 21010 करोड़ रु. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को आवंटित किए गए थे।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में पीएमकेएसवाई के अर्थात एआईबीपी और पीएमकेएसवाई -डब्ल्यूआर (एचकेकेपी) दो घटकों को शामिल किया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

यह स्कीम, एआईबीपी के अंतर्गत किसी अन्य नई परियोजना को शालि करने को छोड़कर सभी जारी परियोजनओ के जल्द से जल्द पूर्ण होने पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त 46 परियोजनाओं का दोबारा से 3 या 4 वर्षों में पूरा करने हेतु प्राथमिकरण किया गया है। जिसके लिएपहले ही आवंटित किए गए बजट के अतिरिक्त पर्याप्त बजट प्रावधान बनाए जाएंगे।

पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) के अंतर्गत चार घटक हैं :-

1. सीएडीडब्ल्यूएम
2. आरआरआर
3. एसएमआई
4. भूमि जल

स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :-

(क) फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेशों के समावेशन को प्राप्त करना (जिला स्तर की तैयारी, यदि आवश्यक हो तो उप-जिला स्तरीय जल उपयोग प्लान)

(ख) फारम में जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के अंतर्गत कृषि योग क्षेत्र का विस्तार ।

(ग) जल की बर्बादी को कम करने के लिए फॉरम में जल उपयोग कार्यक्षमता में सुधार और अवधि एवं मात्रा दोनों में ही उपलब्धता को बढ़ाना।

(घ) सूक्ष्म सिंचाई अन्य जल बचत प्रोद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना और (अधिक फसल प्रति बूंद)

(ङ) जलभृितों के पुनर्भरण को बढ़ाना और स्थाई जल संरक्षण तकनीकों को अम में लाना।

(च) मृदा और जल संरक्षण के प्रति, भूमि जल का पुनर्चक्रण, अपवाह को कम करके, जीविका के विकल्प प्रदान करके और अन्य एनआरएम कार्यकलापों द्वारा वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षापोषित क्षेत्रों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना।

(छ) जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल के संरेखण और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संबंधित कार्यकलापों के विस्तार को बढ़ावा देना।

(ज) अर्ध-शहरी कृषि के लिए सृजित नगरपालिका जल के पुन: उपयोग की सहायता का पता लगाना और

(झ) सूक्ष्म सिंचाई में अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।

3.11 सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन पूर्ववर्ती सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) द्वारा उसके दिनांक 4 सितम्बर 1980 के संकल्प द्वारा ईकाई-। (बाँध एवं आनुषांगिक कार्य) के सरदार सरोवर परियोजना के ईकाई-।।। के हाइड्रो पॉवर निर्माण कार्य के कुशलतम, मितव्यय और समय गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हुआ था। इसने दिसम्बर 1980 से कार्य करना आरंभ किया। सलाहकार समिति, सचिव द्वारा अध्यक्षित है, केन्द्रीय मंत्रालय जल संसाधन उसके अध्यक्ष है और उसके सदस्य, भारत सरकार और पक्षकार राज्यों में से है। एसएससीएसी, एसएससीएसी के सदस्य सचिव है। समिति के पास पूर्णकालिक सचिव है जिसकी श्रेणी संयक्त सचिव/मुख्य अभियंता की है, जो उप सचिवि सहायक सचिवों और उनके सचिवालय कार्य के लिए अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त है, एसएससीएसी का सचिवालय बड़ोदरा (गुजरात) में स्थित है।

एसएससीएसी के पास अनुमानों, संविदा दस्तावेजों, निर्माण कार्यक्रमों और परियोजना प्रगति आदि की संवीक्षा हेतु उप-समूह के रूप में कार्य करने के लिए एक स्थायी समिति (पीएससी) है। ढेकेदारों के दावों पर विचार करने हेतु जो परियोजना प्राधिकारियों की शक्तियों के बाहर हो सकती है पीएससी दावा समिति के रूप में भी कार्य करती है।

एसएसपीएसी/नियमित बैठकों के दौरान कार्यक्रम/सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की प्रगति , अनुमानों, दावों आदि से संबंधित बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श करती है।

सरदार सरोवर सलाहकार समिति (एसएससीएसी) की बैठक :

एसएससीएसी की 83वीं बैठक 26, जून 2015 को नई दिल्ली में हुई थी, मुख्य विचारार्थ मुद्दे निम्न प्रकार से है :

- सरदार सरोवर पावर हाऊस की बीमा कवरेज।
- तत्काल समय आंकड़ा अभिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) और जल प्रबंधन प्रणाली का आरंभ।
- एसएससीएसी सचिवालय की शेयर लागत की पक्षकार राज्यों द्वारा देयता।
- एसएससीएसी की पीएससी की 108वीं, 109वीं और 110वीं बैठकों की कार्यवाही पर संक्षिप्त रिपोर्ट।
- एसएसपी के ईकाई-। और ईकाई-।।। के निर्माण कार्यों हेतु, वार्षिक विकास योजना 2015-16।

  1993-94 से 1997-98 के विभिन्न सत्रों के दौरान सरदार सरोवर बाँध के स्विलवे को रेज् के कारण आयी बाधों के कारण एम/एस. जयप्रकाश एसोसिएट द्वारा प्रत्यक्ष प्रगति में आयी कमी के कारण किए गए दावों के विषय में।

- सरदार सरोवर परियोजना हेतु बाँध सुरक्षा पैनल की बैठक सरदार सरोवर परियोजना के ईकाई-। और ईकाई-।।। के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा :

सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई को क्रस्ट स्तर (अर्थात 121.92 मी.) तक उठाना ।

- एसएससीएसी की लेखा परीक्षा
- भूमिगत नदी तल पावर हाऊस और एसएसपी के मुख्य बाँध निर्माण कार्यों के सिविल निर्माण कार्यों हेतु समय को बढ़ाना और दरों का संशोधन।

<u>स्थाई समिति (पीएससी) की बैठके :</u>

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की स्थाई समिति (पीएससी) है, जिसमें कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनिधि और सभी चार पक्षकार राज्य सदस्यों के रूप में है। एसएससीएसी, पीएससी के सदस्य सचिव के रूप में है।

एसएससीएसी की स्थाई समिति की 110 वीं बैठक 9 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में हुई। मुख्य विचारार्थ मुद्दे निम्न प्रकार से हैं।

- ईएमसी के । और ।। के कार्य पैकेज हेतु एम/एस भेल (BHEL) के साथ संविदा का समापन।
- सरदार सरोवर परियोजना पॉवर हाउसों हेतु बीमा कवरेज।
- सरदार सरोवर परियोजना के ईकाई-। और ईकाई-।।। के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा।
- सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई क्रस्ट स्तर (अर्थात ईएल 121.92मी.) से उठाना ।
- सरदार सरोवर परियोजना के लिए बाँध सुरक्षा पैनल की बैठक।
- एसएसपी के गारूदेश्वर वियर का निर्माण ।
- एसएससीएसी सचिवालय के अंश लागत का भुगतान ।
- सरदार सरोवर परियोजना के रेडियल गेटों और उससे संबंधित हिस्सों का नवीकरण एवं पुनरूद्धार और उनका प्रचालन।
- 2015-16 की ईकाई-। (बाँध और अनुषांगिक निर्माण कार्य और सरदार सरोवर परियोजना की ईकाई-।।। (हाइड्रो पावर निर्माण कार्य) हेतु वार्षिक विकास योजना
- सरदार सरोवर परियोजना की अंश लागत का पक्षकार राज्यों द्वारा भुगतान।
- एनसीए के ईएमसी के कार्य पैकेज IV जो मैसर्स इंट्राक्स को सौंपा था, उसकी संविदा का समापन।

एसएससीएसी, केन्द्रीय मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। एसएससीएसी सचिवालय द्वारा कियागया व्यय, समान रूप से सरदार सरोवर परियोजना के चार पक्षकार राज्यों नामत: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान द्वारा उठाया गया है। प्रारम्भ में व्यय को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय बजट में दर्शाया गया है और ''गैर-योजना'' व्यय जिसकी तत्पश्चात , पक्षकार राज्यों द्वारा प्रतिपूरित की गई है।

एसएससीएसी में सभी समूह 'क' के पद केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर भरे जाएंगे। सभी 'ख' और 'ग' समूह के पद प्रतिनियुक्ति आधार पर राज्य के विभागों/केन्द्र सरकार या उसके उपक्रमों द्वारा भरे जाएंगे।

चूंकि आरटीआई अधिनियम-2005 के कार्यान्वयन सूचना को सरकारी वेबसाइट www.sscac.gov.in उपलब्ध कराया गया है, एसएससएसी के सिटिजन चार्टर को भी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

अध्याय-IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 पहले ही निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2014-15 और 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) के निष्पादन संबंधी संगत सूचना क्रमश: **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

4.2 इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम नामत: 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' और 'नमामि गंगे' है । इसके ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिये गए हैं ।

अध्याय V
समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आवंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे अनुलग्नक – **IV** पर दर्शाए गए हैं और वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना सहित **XII**वीं योजना परिव्यय के ब्यौरे अनुलग्नक-**V** और अनुलग्नक **-VI** में दर्शाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2015-16 में व्यय का रूझान :

5.2 वर्ष 2015-16 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन **3**607.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर में वृद्धि करके 6431.49 करोड़ रूपए कर दिया गया था। लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार दिसम्बर**, 2015** तक 2113.75 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है जो 201**5**-201**6** के बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 58.60 **%** और **32.87 %** है।

5.3 वित्त वर्ष 15-16 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुमोदित योजना परिव्यय(ब.प्रा./सं.प्रा. दोनों) तथा दिसम्बर, 2015 तक व्यय का क्षेत्रवार विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :

(रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	**ब.प्रा. 2015-16**	**सं.प्रा. 2015-16**	**दिसम्बर, 2015 तक व्यय**
मध्यम सिंचाई	2445.19	5167.12	1395.94
लघु सिंचाई	179.01	172.66	82.18
बाढ़ नियंत्रण	232.80	357.71	141.55
परिवहन क्षेत्र	100.00	84.00	60.08
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	650.00	650.00	434.00
कुल	**3607.00**	**6431.49**	**2113.75**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है. फरक्का बराज परियोजना एक ऐसी अकेली परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है . जल संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है.

5.5 चूंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है . इसलिए केन्द्र सरकार के बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ाया जाता है .

5.6 वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं

1. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण
2. फरक्का बैराज परियोजना
3. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल परियोजना

नमामि गंगे

5. नदी के अग्रभाग के सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण कार्य
6. राष्ट्रीय गंगा योजना

नदी बेसिन प्रबंधन

7. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन
8. नदी बेसिन संगठन
9. सीडब्ल्यूसी के पुनर्गठन
10. आईडब्ल्यूआरएसडी-एनडब्ल्यूडीए
11. आईडब्ल्यूआरएसडी-सीडब्ल्यूसी
12. ब्रमहपुत्र बोर्ड

13. बाढ़ पूर्वानुमान
14. नदियों को आपस में जोड़ने के लिए डीपीआर

जल संसाधन प्रबंधन

15. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
16. भूजल प्रबंधन और विनियमन
17. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
18. जल संसाधनों का अनुसंधान और विकास
19. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम
20. मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण
21. अवसंरचना विकास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और एचकेकेपी (राज्य / संघ राज्य योजना)

22. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
23. हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई)
24. एआईबीपी परियोजना के प्रभाव आकलन अध्ययन
25. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
26. नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा पार नदियों से संबंधित काम करता है
27. सिंचाई जनगणना

28. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

5.7 पिछले 2 वर्षों में आवंटित और खर्चे किए गए बजट को दर्शाती तुलनात्मक तालिका को टेबल क, ख, और ग, में वर्णित किया गया है. मंत्रालय के बजट का विवरण, विभिन्न क्षेत्रों में निधि को आवंटन (तालिका-क) और मत्रालय में व्यय को खर्चे किए गए तरीके के रूप को तालिका ख में दर्शाया गया है।

5.8 शेष बचे उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में विवरण तालिका-घ में दिया गया है.

5.9. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की नियोजित स्कीमों के तहत सामान्य बचत का विवरण तालिका (ङ) में दिया गया है.

5.10 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत कम / गैर-उपयोगी वापस की गई राशि का विवरण अनुलग्नक – च में दिया गया है.

तालिका - ए
एक नज़र में बजट
(सेक्टर वार)

क्र. सं	क्षेत्र/ संगठन / योजना	वास्तविक 2014-15		बीई 2015-16		आरई 2015-16	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**						
1	जल संसाधन मंत्रालय	0.00	39.04	0.00	46.35	0.00	47.81
2	रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण	0.00	0.37	0.00	0.44	0.00	0.40
3	कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण	0.00	2.39	0.00	2.89	0.00	2.05
4	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण	0.00	1.98	0.00	2.20	0.00	2.63
5	जल विवाद न्यायाधिकरण वंशधारा	0.00	3.57	0.00	4.35	0.00	4.13
6	महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण	0.00	2.61	0.00	2.80	0.00	2.39
	कुल: सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**49.96**	**0.00**	**59.03**	**0.00**	**59.41**
II	**मध्यम सिंचाई**						
	केंद्रीय जल आयोग						
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	31.13	0.00	33.82	0.00	33.36
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	94.16	0.00	97.84	0.00	93.48
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.28	0.00	0.48	0.00	0.28
4.	अनुसंधान	0.00	2.36	0.00	2.80	0.00	2.35
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	9.34	0.00	10.29	0.00	7.76
6.	परामर्शी	0.00	30.44	0.00	32.80	0.00	30.28
7.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान						
8.	जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
9.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00	0.20
10.	सीडब्ल्यूसी ऑफसेट प्रेस उपस्कर का आधुनिकीकरण	0.00	0.27	0.00	0.38	0.00	0.69
1 1.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	0.49	0.00	1.01	0.00	0.97
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	2.05	0.00	2.49	0.00	2.97
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	2.43	0.00	3.04	0.00	2.89
	कुल: सीडब्ल्यूसी	**0.00**	**173.12**	**0.00**	**185.16**	**0.00**	**175.24**
14.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	10.96	0.00	11.85	0.00	11.89
15.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	42.11	0.00	50.33	0.00	48.62
16.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	14.42	0.00	15.43	0.00	18.10
17.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.93	0.00	1.02	0.00	0.82
18.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.31	0.00	0.36	0.00	0.36
19.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90
20.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	0.67	0.00	2.34	0.00	0.64
21.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3.	मुल्लापेरियार बांध	31.95	0.00	30.00	0.00	5 4 .60	0.00
24.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	81.53	0.00	80.99	0.00	75.33	0.00
2 5.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	24.85	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00
2 6.	बुनियादी ढांचे का विकास	1.89	0.00	1.00	0.00	1 .00	0.00

2 7.	मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण	21.44	0.00	22.00	0.00	1 2.30	0.00
28.	नदी बेसिन प्रबंधन	75.54	0.00	45.20	0.00	87.00	0.00
29.	राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन	1.29	0.00	20.00	0.00	9.00	0.00
3 0.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
31.	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम	13.71	0.00	29.00	0.00	1 6.00	0.00
32.	बोडवाड परिसर सिंचन योजना	66.66	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
33.	एआईबीएफएमटी (प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन)	0.03	0.00	5.00	0.00	0. 13	0.00
34.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	3,261.04	0.00	1000.00	0.00	3009.76	0.00
35.	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	250.00	0.00	100.00	0.00	400 .00	0.00
36.	नदी को जोड़ने के लिए डीपीआर	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
37.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,500 .00	0.00
	कुल : मध्यम सिंचाई	**3,829.93**	**244.52**	**2,445.19**	**267.49**	**5,167.12**	**256.57**
III.	**लघु सिंचाई**						
1.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	145.09	0.00	152.06	0.00	154.13
2.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	125.29	0.00	163.00	0.00	1 से 6 3.00	0.00
3.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4.	बुनियादी ढांचे का विकास	3.55	0.00	9.00	0.00	3.00	0.00
5.	मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण	5.46	0.00	7.00	0.00	6. 65	0.00
	कुल: लघु सिंचाई	**134.30**	**145.09**	**179.09**	**152.06**	**172.66**	**154.13**
IV	**बाढ़ नियंत्रण**						
1.	केंद्रीय जल आयोग	0.00	81.16	0.00	89.37	0.00	81.70
2.	सरकार को भुगतान. भूटान की बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए	0.00	0.39	0.00	1.04	0.00	1.03
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	3.08	0.00	1.13	0.00	3.76
	कुल : केन्द्रीय जल आयोग	**0.0 0**	**84.63**	**0.00**	**91.54**	**0.00**	**86.49**
4.	पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ संरक्षण के उपाय	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00
5.	बाढ़ पूर्वानुमान	28.65	0.00	50.00	0.00	3 से 5 .00	0.00
6.	नदी प्रबंधन क्रियाएँ और वर्क्स सीमा क्षेत्रों से संबंधित	93.66	0.00	102.00	0.00	240.56	0.00
7.	बुनियादी ढांचे का विकास	12.20	0.00	7.00	0.00	4.00	0.00
8.	नदी बेसिन प्रबंधन	80.00	0.00	73.80	0.00	78.15	0.00
	कुल: बाढ़ नियंत्रण	**214.51**	**84.63**	**232.80**	**91.64**	**357.71**	**87.49**
V	**अन्य परिवहन सेवाएं**						
1.	फरक्का बैराज परियोजना	79.39	38.85	100.00	45.13	84 .00	34.18
2.	जंगीपुर बैराज	0.00	2.22	0.00	2.60	0.00	2.35
3.	फीडर नहर	0.00	6.95	0.00	7.48	0.00	6.81
	कुल: परिवहन सेवाएं	**79.39**	**48.02**	**100.00**	**55.21**	**8 4 .00**	**43.34**
VI.	**पारिस्थितिकी और पर्यावरण**						
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	337.46	0.00	550.00	0.00	550. 00	0.00
2.	राष्ट्रीय गंगा योजना	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1 0 00.00	0.00
2A	कम राशि एनसीईएफ से मुलाकात की			-2100.00	0.00	-10 00.00	0.00
3.	नदी अंग्रभागों केसौन्दर्यीकरण संबंधी घाटों का कार्य	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

4.	एनसीटी की जल परियोजनाएं	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल: पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**657.46**	**0.00**	**650.00**	**0.00**	**650 00**	**0.00**
	कुल: **(ISEVI) $** **कुल योग**	**4,915.59** **4,915.59**	**572.22** **572.22**	**3,607.00** **3,607.00**	**625.43** **625.43**	**6,431.49** **6,431.49**	**600.94** **600.94**

(करोड़ रुपए में)

वित्त का स्रोत : शीर्ष मांग संख्या 107-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, 2015-16

तालिका-ख

बजट एक दृष्टि में

(व्यय का प्रकार)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.नहीं	**सेक्टर / संगठन / योजना**	**वास्तविक 2014-15**		**बीई 2015-16**		**आरई 2015-16**	
		योजना	**गैर-योजना**	**योजना**	**गैर-योजना**	**योजना**	**गैर-योजना**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
क.	**प्रत्यक्ष व्यय**						
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.00	49.96	0.00	59.03	0.00	59.41
2.	केन्द्रीय जल आयोग						
	- मध्यम सिंचाई	0.00	173.12	0.00	185.16	0.00	175.24
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	84.63	0.00	91.54	0.00	86.49
3.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	10.96	0.00	11.85	0.00	11.89
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	42.11	0.00	50.33	0.00	48.62
5.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	145.09	0.00	152.06	0.00	154.13
6.	फरक्का बैराज परियोजना	79.39	48.02	100.00	55.21	84 .00	43.34
7.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	3.91	0.00	3.72	0.00	1.82
	कुल: प्रत्यक्ष व्यय	**79.39**	**557.80**	**100.00**	**608.90**	**84 .00**	**580.14**
ख. (ए)	**जारी की गई राशि स्वायत्त निकायों को अनुदान**						
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	14.42	0.00	15.43	0.00	18.10
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम						
	- मध्यम सिंचाई	31.95	0.00	30.00	0.00	5 4. 60	0.00
	उप-जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**31.95**	**14.42**	**30.00**	**15.43**	**5 4. 60**	**18.10**
(ख)	**बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता**						
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00
	उप-जोड़ (ख) : बाढ़ नियंत्रण/ कटावरोधी	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**1.00**

क्रम सं.नहीं	सेक्टर / संगठन / योजना	वास्तविक 2014-15		बीई 2015-16		आरई 2015-16	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
	कार्यों के लिए राज्यों को सहायता						
(ग)	**राज्य सिंचाई स्कीमें**						
1.	सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90
	राशि (क) से (ग)	31.95	14.42	30.00	16.53	54.60	20.00
	कुल : (क+ख)*	**111.34**	**572.22**	**130.00**	**625.43**	**138.60**	**600.94**
सी	**अन्य योजना योजनाएं मध्यम सिंचाई**						
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	81.53	0.00	80.99	0.00	75.33	0.00
2.	जल विज्ञान परियोजना	24.85	0.00	10.00	0.00	2 .00	0.00
3.	अवसंरचना विकास	1.89	0.00	1.00	0.00	1. 00	0.00
4.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	21.44	0.00	22.00	0.00	1 2. 30	0.00
5.	नदी बेसिन प्रबंधन	75.54	0.00	45.20	0.00	8 7.00	0.00
6.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	1.29	0.00	20.00	0.00	9. 00	0.00
7.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8.	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	13.71	0.00	29.00	0.00	16. 0 0	0.00
9.	बोर्डवाड परिसर सिंचन योजना	66.66	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
10	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	3,261.04	0.00	1000.00	0.00	3009.76	0.00
1 1.	एआईबीएफएमटी (प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन)	0.03	0.00	5.00	0.00	0.13	0.00
12.	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	250.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00
13.	नदी को जोड़ने के लिए डीपीआर	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
14.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,500.00	0.00
	कुल - मध्यम सिंचाई	**3,797.98**	**0.00**	**2,415.19**	**0.00**	**5,112.52**	**0.00**
	लघु सिंचाई						
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	125.29	0.00	163.00	0.00	1 से 63.00	0.00

क्रम सं.नहीं	सेक्टर / संगठन / योजना	वास्तविक 2014-15		बीई 2015-16		आरई 2015-16	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
2.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
3.	अवसंरचना विकास	3.55	0.00	9.00	0.00	3.00	0.00
4.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	5.46	0.00	7.00	0.00	6. 65	0.00
	कुल – एमआई	**134.30**	**0.00**	**179.09**	**0.00**	**172.66**	**0.00**
	बाढ़ नियंत्रण						
1.	बाढ़ पूर्वानुमान	28.65	0.00	50.00	0.00	35 .00	0.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य	९३.६६	0.00	102.00	0.00	२४०.५६	0.00
3.	अवसंरचना विकास	12.20	0.00	7.00	0.00	4. 00	0.00
4.	नदी बेसिन प्रबंधन	80.00	0.00	73.80	0.00	78 .15	0.00
	कुल- बाढ़ नियंत्रण	**214.51**	**0.00**	**232.80**	**0.00**	**357.71**	**0.00**
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण						
1.	राष्ट्रीय नदी योजना	337.46	0.00	550.00	0.00	550 .00	0.00
2.	राष्ट्रीय गंगा योजना	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1 000.00	0.00
	एनसीईएफ से प्राप्त कम राशि			-2,100.00		-1000.00	0.00
3.	नदी के अग्रभागों के सौंदर्यकरण के लिए घाटों का कार्य	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4.	एनसीटी की जल परियोजनएं	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**657.46**	**0.00**	**650.00**	**0.00**	**650 .00**	**0.00**
	कुल: अन्य योजना स्कीमों	**4,804.25**	**0.00**	**3,477.00**	**0.00**	**6,292.89**	**0.00**
	कुल- (क+ख+ग)*	**4915.59**	**572.22**	**3607.00**	**625.43**	**6431.49**	**600.94**
	सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4915.59**	**572.22**	**3607.00**	**625.43**	**6431.49**	**600.94**

वित्त का स्रोत : शीर्ष मांग संख्या 107-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, 2015-16

तालिक- सी

बजट एक दृष्टि में

(क्षेत्रवार)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम / कार्यक्रम	बीई 2016-17		कुल किया 2016-17
		योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.
I.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	0.00	61.70	61.70
II.	, संबंद्धअधीनस्थ और अन्य कार्यालयों			
1.	केंद्रीय जल आयोग	0.00	312.90	312.90
2.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	12.37	12.37
3.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	52.24	52.24
4.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	1.00	1.00
5.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.40	0.40
6.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	2.40	2.40
7.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	171.80	171.80
8.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	19.00	19.00
	कुल: संबद्ध, अधीनस्थ और अन्य कार्यालय	0.00	572.11	572.11
III.	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं			
1.	पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना	100.00	0.00	100.00
2.	फरक्का बैराज परियोजना	80.00	63.40	143.40
3.	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम			
	ए) ईएपी घटक	19.20	0.00	19.20
	ख) कार्यक्रम घटक	4.78	0.00	4.78
4.	पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में उभरे हुए संरक्षण निर्माण कार्य	0.00	3.00	3.00
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल परियोजना	0.02	0.00	0.02
	कुल: बृहद सिंचाई परियोजनाएं	204.00	66.40	270.40
IV.	नमामि गंगे			
1.	राष्ट्रीय गंगा योजना	2,150.00	0.00	2,150.00
2.	नदी के अग्रभाग के सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण कार्य	100.00	0.00	100.00
	कुल: नमामि गंगे	2,250.00	0.00	2,250.00
V	नदी बेसिन प्रबंधन			
1.	राष्ट्रीय जल मिशन	25.00	0.00	25.00
2.	नदी बेसिन प्रबंधन	173.60	0.00	173.60
3.	बाढ़ पूर्वानुमान	60.00	0.00	60.00
4.	नदियों को आपस में जोड़ने	1.00	0.00	1.00
	कुल: नदी बेसिन प्रबंधन	259.60	0.00	259.60
VI.	जल संसाधन प्रबंधन			
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	84.87	0.00	84.87
2.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	303.39	0.00	303.39
3.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना			
	ए) ईएपी घटक	77.50	0.00	77.50
	ख) कार्यक्रम घटक	87.50	0.00	87.50

क्रम सं.	योजनाओं के नाम / कार्यक्रम	बीई 2016-17		कुल किया 2016-17
		योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.
4.	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	55.00	0.00	55.00
5.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.01	0.00	0.01
6.	मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण कार्यक्रम	32.00	0.00	32.00
7.	बुनियादी ढांचे का विकास	20.00	0.00	20.00
	कुल: जल संसाधन प्रबंधन	**660.27**	**660.27**	**660.27**
सातवीं.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य / संघ राज्य योजना)			
1.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	1000.00	0.00	1000.00
2.	पीएमकेएसवाई (हरियाणा खेत को पानी)	500.00	0.00	500.00
3.	प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	1.00	0.00	1.00
4.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00
5.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	150.00	0.00	150.00
6.	नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	200.00	0.00	200.00
7.	सिंचाई जनगणना	25.13	0.00	25.13
	कुल: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य / संघ राज्य योजना)	**1,876.13**	**1.00**	**1,877.13**
आठवीं.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			
	क) ईएपी घटक	130.00	0.00	130.00
	ख) कार्यक्रम घटक	120.00	0.00	120.00
	कुल: राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	**250.00**	**0.00**	**250.00**
	सकल योग: (I से VIII)	**5,500.00**	**701.21**	**6201.21**

तालिका - घ

31.3.201 5 तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

31. 12 0.201 5 तक की स्थिति

आर / ओ अनुदान में बकाया यूसी का विवरण / ऋण विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जारी किया.

शेष बची राशि और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना (स्वायत्त निकाय एवं राज्य सरकारों)

(`करोड़ में)

ब्यौरे	**01.04.2012**	**1.04.2013 के अनुसार**	**30.09.2013 के अनुसार**	**31.12.2013 के अनुसार**	**31.03.2014 की स्थिति के अनुसार**	**31.12.2014 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	**31.12 2,015 के अनुसार**
शेष बची राशि	181.79	205.59	158.08	1379.73	1446.25	1462.91	1462.37	251.68
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (संख्या में)	327	285	260	259	264	241	241	252 ##
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	66.18	52.01	37.61	971.37	978.47	975.74	975.74	251.68

सूचना केवल स्वायत्त निकायों और सीएडी स्कंध से संबंधित है (31.03.15 तक)

II. शेष बची राशि और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना (स्वायत्त निकाय एवं राज्य सरकारों)

(`Rores में)

ब्यौरे	**01.04.2012**	**1.04.2013 के अनुसार**	**30.09.2013 के अनुसार**	**31.12.2013 के अनुसार**	**31.03.2014 की स्थिति के अनुसार**	**31.12.2014 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	**31.12 2,015 के अनुसार**
शेष बची राशि	14.99	14.02	17.12	1,238.77	1,236.44	1,236.36	1,235.82	149.62
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (संख्या में)	7	6	6	5	7	3	3	## 3
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	14.99	14.02	14.02	947.78	947.85	947.53	947.53	149.62

सूचना 31.03.2015 तक सीएडी स्कंध से संबंधित है और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सं. के विषय में गंगा स्कंध द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

III. शेष बची राशि और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना (स्वायत्त निकाय एवं राज्य सरकारों)

(`करोड़ में)

ब्यौरे	**01.04.2012**	**1.04.2013 के अनुसार**	**30.09.2013 के अनुसार**	**31.12.2013 के अनुसार**	**31.03.2014 की स्थिति के अनुसार**	**31.12.2014 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	**31.12 2,015 के अनुसार**
शेष बची राशि	166.8	191.57	140.96	140.96	209.82	226.55	226.55	102.06

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (संख्या में)	320	279	254	254	257	238	238	249
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	51.19	37.99	23.59	23.59	30.63	28.21	28.21	102.06

महत्वपूर्ण लेख:

1 *गंगा विंग से बकाया यूसी की संख्या की जानकारी नहीं मिली.*

2 सीएडी विंग से कोई सूचना प्राप्त नहीं

टेबल-ई

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की नियोजित स्कीमों के अंतर्गत साधारण बचत का विवरण तालिका ई

(रु. करोड़ में / निवल में)

क्रम सं.नहीं.	**योजना का नाम**	**बीई 2014-15**	**वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय**	**जमा पूंजी**
1	भूजल प्रबंधन और विनियमन	325.00	125.29	199.71
2	नदी बेसिन प्रबंधन	250.00	155.54	94.46
3	नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा पार नदियों से संबंधित काम करता है	175.00	93.66	81.34
4	अनुसंधान एवं विकास	50.00	31.95	18.05
5	मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण	50.00	26.90	23.10
6	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	225.40	81.53	143.87
7	फरक्का बैराज परियोजना	150.00	79.39	70.61
8	जल विज्ञान परियोजना	31.38	24.85	6.53
9	बुनियादी ढांचे का विकास	80.00	17.64	62.36
1 0	बाढ़ पूर्वानुमान	100.00	28.65	71.35
1 1	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम	30.00	13.71	16.29
1 2	बोड़वाड परिसर सिंचाई योजना	200.00	66.66	133.34
1 से 3	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	250.00	250.00	0.00
1 से 4	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	537.00	337.46	199.54
15	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल परियोजनाओं के लिए	500.00	320.00	180.00
16	त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी)	8992.22	3261.04	5731.18
17	राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन	40.00	1.29	38.71
18	परियोजना के प्रभाव आकलन अध्ययन (एआईबीएफएमपी)	50.00	0.03	49.97
	कुल योग	**12036.00**	**4915.59**	**7120.41**

<u>तालिका-एफ</u>

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत /उपयोग नहीं की गई और वापिस लौटा दी गई नियोजित स्कीमों का ब्यौरा

<u>(रु. करोड़ में / सकल)</u>

क्रम सं..	**योजना का नाम**	**बीई 2014-15**	**वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय**	**जमा पूंजी**
1	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	1.00	0.00	1.00
2 (क)	राष्ट्रीय गंगा योजना	1500.00	0.00	1500.00
(ख)	एनसीईएफ के अंतर्गत शेष राशि से पूरा	-1500.00	0.00	-1500.00
3	नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर	100.00	0.00	100.00
4	नदी किनारे के सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण का कार्य	100.00	0.00	100.00
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1000.00	0.00	1000.00
	कुल योग	**12 0 1.00**	**0.00**	**12 01.00**

वित्त का स्रोत : $2014-2015 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 106

मांग सं. 36 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित) 2015-16 से जल संसाधन मंत्रालय की मांग में यह स्कीम शामिल की गई है .

अध्याय - VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड

6.1.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन : ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन संसद के अधिनियम (ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम नामक 1980 का अधिनियम 46) द्वारा 1980 में किया गया था जिसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ तथा तट कटाव नियंत्रण एवं जल निकास में सुधार और तत्संबंधी मामलों अर्थात् क्षेत्र में जल संसाधन के विकास के लिए आयोजना और एकीकृत उपाय करना था। इस बोर्ड ने 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना प्रारंभ किया जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यक्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य और पश्चिम बंगाल (ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाले उत्तरी क्षेत्र) शामिल हैं ।

6.1.2 संघटन : बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक पूर्णकालीन सदस्यों के रूप में, वित्तीय सलाहकार पदेन सदस्य के रूप में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के 7 राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों अर्थात जल संसाधन, वित्त, कृषि, विद्युत, सतही परिवहन मंत्रालय तथा भारत सरकार के संगठनों नामत: केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय भू विज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। कुछ सदस्य - सलाहकार (पूर्वोत्तर), योजना आयोग, भारत सरकार, मुख्य अभियन्ता (ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग, सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, सचिव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिक्किम सरकार और सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर), भारत सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में भाग लेते हैं।

6.1.3 प्रमुख कार्य

(क) सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन एवं अन्य लाभदायी उद्देश्यों से ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधन के विकास एवं उपयोग सहित ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में 'सर्वेक्षण एवं अन्वेषण' शुरू करना और ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तटकटाव एवं जल निकास सुधार के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना और तत्संबंधी क्रियाकलाप;

(ख) बांधों और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात अन्य परियोजनाओं के चरणबद्ध निर्माण / कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार (सरकारों) के साथ परामर्श से कार्यक्रम तैयार करना,

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें एवं अनुमान तैयार करना और बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच लागत में भागीदारी,

(घ) ऐसे बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मानकों एवं विनिर्देशों को अन्तिम रूप देना और

(ड.) भारत सरकार के अनुमोदन पर मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात बहुउद्देशीय एवं अन्य जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण ।

6.1.4 क्रियाकलाप:

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 3 (तीन) उप-बेसिन मास्टर-योजना-बुगी, दरंग और उमसोहरिनंकेऊ की तैयारी शुरू की है और आंकड़ों को वर्ष 2013-14 के अंतिम भाग में संबंधित राज्य और केन्द्र सरकारी संगठनों से एकत्र किया जा सकता है और उमसोहरिनकेऊ तथा दरंग की मास्टर योजना पूरी करनी है । बुगी की उप बेसिन मास्टर योजना 2016-17 तक पूरी की जाएगी ।

मिजोरम का दक्षिणी भाग, ब्रह्मपुत्र के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है । लेकिन, इस क्षेत्र में आने वाले नदियों नामत: तुईचोंग और कालाडैन की मास्टर योजनाएं शुरू नहीं की है । अन्य मुद्दों अर्थात विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मृदा कटाव के अतिरिक्त म्यांमार के रास्ते समुद्री मार्ग की दृष्टि से यह क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व का है । इन दो बेसिनों की मास्टर योजना तैयार करने का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बेसिन का मास्टर योजना 1986 से तैयार की गई और आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करके ताजा आंकड़ों से इन मास्टर योजनाओं का विवरण तैयार करने की मांग सभी मंचों से उठी है । आधुनिक तकनीकी साधनों के प्रयोग द्वारा सभी आंकड़े एकत्र करने का प्रस्ताव है । मास्टर योजना को इस वर्ष से अद्यतन बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) 2 (दो) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने हेतु फील्ड जांच कार्य जारी है। वर्ष 2014 में नोवा-दिहिंग बहुउद्देशीय परियोजना और कुल्सी बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गयी है और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है और यह केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन हैं।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2003-04 में माजुली द्वीप पर बाढ़ सुरक्षा और कटावरोधी कार्य शुरू किए थे । प्रारंभ में 'तत्काल उपायों' के अन्तर्गत 6.09 करोड़ रुपये के व्यय से क्रियाकलाप शुरू किए गए थे और वर्ष 2004-05 में कार्य पूरा किया गया था । इन कार्यों के बाद चरण -I के तहत सुरक्षा कार्य किए गए । चरण -I के अन्तर्गत परिकल्पित कार्य अप्रैल, 2011 में पूरे किए गए थे । चरण - I के तहत कुल व्यय 52.63 करोड़ रुपये था । इसी बीच चरण II एवं III के अन्तर्गत कार्य शुरू करने से पहले 4.75 करोड़ रुपये की लागत से 'आपातिक कार्यों' के

रूप में कुछ अत्यावश्यक संरक्षण उपाय शुरू किए गए थे । चरण -II एवं III के अन्तर्गत 115.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्य जारी हैं और 111.82 करोड़ रुपये के व्यय से 90.61 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है । माजूली संबंधी विशेषज्ञ स्थायी समिति के 8वें दौरे के दौरान समिति को सिफारिश के अनुसार 213.61 करोड़ रूपए की राशि से तैयार स्कीम सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकनाधीन है। 'तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति' प्राप्त होने के बाद 'प्रशासनिक अनुमोदन' एवं 'व्यय स्वीकृति' कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) लोहित और दिबांग नदियों के मूल चैनलों के पुनरुद्धार का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपा गया था । इन कार्यों को चरणबद्ध रूप से किए जाने की योजना थी । पुनरुद्धार कार्य वर्ष 2003-04 में शुरू किए गए थे । चरण I (9.65 करोड़ रूपए), चरण II (3.76 करोड़ रूपए) और चरण III (8.45 करोड़ रूपए) के अन्तर्गत कार्य पूरे कर लिए गए थे । चरण IV के अन्तर्गत 54.43 करोड़ रुपये की लागत के कार्य जारी हैं और नवम्बर, 2014 तक 52.65 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 99.80 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है और मई, 2015 तक इन्हें पूरा किए जाने का लक्ष्य है । विशेषज्ञों की स्थायी समिति के 8वें दौरे के दौरान की गई सिफारिशों के आधार पर चरण-V के अंतर्गत 383.18 करोड़ रूपए की लागत से दीहिंग नदी के चैनेज 480.00 मी. से चैनेज 2550.00 मी. तक स्पिल चैनल पर वर्तमान जोड़ बंध को बाहबाड़ी में पूर्ण रूपेण तटबंध में तब्दील करने और दीबांग तथा लोहित नदियों के मूल चैनलों के पुनरूद्धार की योजना बनाई गई है । डीपीआर का सीडब्ल्यूसीमें मूल्यांकन किया जा रहा है । चरण-V के प्रस्तावों के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों को XIIवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाना है । 'प्रशासनिक अनुमोदन' व 'व्यय स्वीकृति मिलने पर कार्य शुरू किया जाएगा ।

(ङ.) ब्रह्मपुत्र नदी से मनकाचार, कलेयर-अलगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के कटाव की सुरक्षा जिसकी लागत 23.79 करोड़ रूपए है।

ब्रह्मपुत्र नदी से मनकाचार, कलेयर-अलगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के कटाव की समस्या बड़ी गंभीर है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कटाव से इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काफी संख्या में अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) से पत्र प्राप्त हुए । तदनुसार, क्षेत्र की कटाव से सुरक्षा के लिए डीपीआर तैयार की गई है । तकनीकी-आर्थिक स्वीकृतियां भी प्राप्त हो गई थीं तथा XIIवीं पंचवर्षीय योजना में 'नदी बेसिन प्रबंधन' के तहत ईएफसी प्रस्ताव में स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु शामिल कर लिया गया । 23.79 करोड़ रूपए के व्यय हेतु 11 जुलाई, 2014 को प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्राप्त हुई । निर्माण और आरसीसी इक्यूपाइन बिछाने के किनारे गोलाश्म रखने का कार्य शीघ्र आबंटित किया जाएगा ।

साथ हीं, ब्रह्मपुत्र द्वारा कटाव से जुलाई, 2015 में 470 मीटर सड़क बह गई । दरार के कारण बीएसएफ के कार्य में बाधा खड़ी हो गई ।

ब्रह्मपुत्र बेसिन मास्टर योजना में ब्रह्मपुत्र क इस खंड में कोई विशिष्ट समस्या पर विचार नहीं किया गया हलांकि यह स्पष्ट कहा गया था कि ब्रह्मपुत्र का कोई खंड, केवल उसे छोड़कर जहां चट्टाने हैं, मजबूत किनारा नहीं मान जा सकता ।

बिछाई जाने वाली 44,028 परक्यूपाइनों में से दिसम्बर, 2015 के पहले सप्ताह तक 15944 परक्यूपाइनें बिछा दी गई हैं । अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (बीसी) ने दिनांक 16.10.2015 को कटाव प्रभावित स्थानों का दौरा किया था ।

(च) मेघालय में उमंगी नदी के किनारे हालात गांव की सुरक्षा- अनुमानित लागत 10.16 करोड़ रूपए

मेघालय सरकार के अनुरोध पर मेघालय में उमंगी नदी के कटाव से बलात गांव की सुरक्षा के लिए डीपीआर की गई और वास्तविक फील्ड आवश्यकता के अनुरूप 10-18 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई । 5.63 करोड़ रूपए की लागत से चरण-I के कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति 21.11.2014 को दी गई । कार्य चल रहा है और नवम्बर, 2015 तथा 1.41 करोड़ रूपए की लागत से चरण-I का 54.12 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है । चरण-I का कार्य मार्च, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

(छ) ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से धुबरी जिले के मखलाबाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की सुरक्षा- अनुमानित लागत 5.76 करोड़ रूपये

उपर्युक्त क्षेत्र में कटाव बहुत गंभीर समस्या है तथा मनकाचार, कलेयार-अलगा क्षेत्र सहित ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु काफी संख्या में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्र मिले । ब्रह्मपुत्र नदी ब्रृहमपुत्र नदी के कटाव से धुबरी जिले के मसलाबाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रकी सुरक्षा हेतु अलग से डीपीआर तैयार की गई और 5.76 करोड़ रूपए के व्यय हेतु तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी गई । जल संसाधन मंत्रालय ने धुबरी जिले के मसलाबाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र संबंधी कुछ अनिवार्य कार्यों को मनकाचार, कलेयर-अलगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से सुरक्षा की स्कीम के लिए आवंटित 23.79 करोड़ रूपए की राशि में निष्पादित करने की मंजूरी दी । इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है ।

(ज) 4 (चार) जल निकासी विकास स्कीमें - बारभग(अनुमानित लागत -14.80 करोड़ रुपये), अमजुर (अनुमानित लागत - 14.15 करोड़ रुपये), जेंगराई (अनुमानित लागत -5.23 करोड़ रुपये) और जकाईचुक (अनुमानित लागत - 2.96 करोड़ रुपये) जारी हैं । इन स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धि क्रमश: 50.59 प्रतिशत, 33.50 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 93 प्रतिशत है ।

(झ) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के 'निगरानी' का कार्य भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपा गया है । XII वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु इन स्कीमों के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को

वित्तीय सहायता दी गई थी और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में स्कीमों का मूल्यांकन किया गया और इन्हें स्वीकृति भी दी गई है । ब्रह्मपुत्र बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

` करोड़ रुपये में'

राज्य	स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	31.03.12 तक जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	XIवीं योजना के दौरान पूरी की गई स्कीमों की संख्या	XIIवीं योजना में आगे ले जाई गई स्कीमों की संख्या	आगे ले जाया गया केंद्रीय हिस्सा	XIIवीं योजना में अनुमोदित स्कीमे	केंद्रीय हिस्सा
अरुणाचल प्रदेश	21	224.68	202.21	22.47	78.77	11	10	123.44	0	16.83
असम	100	1146.79	1032.12	114.67	744.9	77	23	287.22	41	35.92
मणिपुर	22	109.34	98.41	10.93	65.03	20	2	33.37		6.45
मेघालय	0	-	-	-	-	-	-	-		0
मिजोरम	2	9.13	8.22	0.91	3.4	Nil	2	4.82		0
नगालैंड	11	49.35	44.42	4.93	28.96	9	2	15.46	3	13.08
त्रिपुरा	11	26.57	23.91	2.66	20.91	4	7	3		0
सिक्किम	28	165.59	149.03	16.56	82.86	21	7	66.17	17	8.15
पश्चिम बंगाल	6	22.33	16.75	5.58	13.39	6	0	3.36		0
कुल	**201**	**1753.78**	**1575.07**	**178.71**	**1038.22**	**148**	**53**	**536.84**	**61**	**80.43**

6.1.5 निगरानी तंत्र : सभी फील्ड क्रियाकलापों की प्रगति का ब्यौरा प्रति माह मुख्यालय को भेजा जाता है और अगले माह एक समेकित रिपोर्ट के रूप में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड के क्रियाकलापों के निष्पादन मूल्यांकन का विवरण तिमाही आधार पर मंत्रालय को भेजा जाता है ।

6.1.6 सार्वजनिक सूचना प्रणाली : ब्रह्मपुत्र बोर्ड की कार्य योजना और तिमाही निष्पादन मूल्यांकन नियमित आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ।

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	स्कीमों का नाम/कार्य	XI वीं योजना का परिव्यय	XIवीं योजना वास्तविक	XI Iवीं योजना परिव्यय	बजट प्राक्कलन 2013-14	संशोधित प्राक्कलन 2013-14	वास्तविक व्यय 2013-14	बजट प्राक्कलन 2014-15	संशोधित प्राक्कलन 2014-15	वास्तविक व्यय 2014-15	बजट प्राक्कलन 2015-16	संशोधित प्राक्कलन 2015-16	वास्तविक व्यय 2015-16 नवम्बर'15 तक	बजट प्राक्कलन 2016-17	टिप्पणियां
1	XIवीं योजना में नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों संबंधी निर्माण कार्य	350.00	296.90												
2	XIIवीं योजना में नदी बेसिन प्रबंधन			528.00	100.00	85.00	87.92	143.00	80.00	70.06	73.80	88.59 (**प्रस्तावित**)	49.56	93.81	XII**वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य, "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से संबंधी निर्माण कार्य" स्कीम से "नदी बेसिन प्रबंधन" स्कीम में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।**

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण :

रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । यह रिपोर्ट मई, 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को तीसरे सदस्य के पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई करता रहा है लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पंजाब समझौता समापन अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपतीय संदर्भ के निष्कर्ष लंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष की मृत्यु और एक सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण अधिकरण की कार्य प्रणाली पुन:प्रभावित हुई है।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण :

अंतर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था जिसमें माननीय अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल थे । कावेरी जल विवाद अधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय सरकार को 05.2.2007 को प्रस्तुत किया। संबंधित राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार ने इस संबंध में इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की मांग की है।

संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी और केन्द्र सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए, न्यायालय में 10.07.2007 को सुनवाई हुई । संबंधित राज्यों ने अधिकरण के दिनांक 5 फरवरी, 2007 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली है और यह इस न्यायालय में लंबित है ।

तदनुसार, अधिकरण ने 10 जुलाई, 2007 को संबंधित राज्यों की याचिकाओं पर विचार किया । इस संबंध में अधिकरण ने अन्य बातों के साथ - साथ यह कहा कि :

"ऐसा प्रतीत होता है कि कर्णाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य ने इस अधिकरण के दिनांक 5 फरवरी, 2007 के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी । उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति प्रदान कर दी । अपीलें लम्बित हैं । हमारे अनुसार इस परिदृश्य में कथित अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत इन आवेदनों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण किए जाने के बाद आदेशों हेतु विचार किया जाना चाहिए" ।

यहां यह उल्लेख है कि तमिलनाडु राज्य के विरुद्ध कर्णाटक राज्य की 2007 की सिविल अपील संख्या 2453 और केरल राज्य एवं तमिलनाडु राज्य की क्रमश: 2007 की सिविल अपील संख्या 2454 और 2007 की सिविल अपील संख्या 2456 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हेतु क्रमश: दिनांक 28.07.2008, 12.05.2009 और 06.05.2010 रखी गई। लेकिन निर्णय नहीं दिया जा सका । मामला दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 को पुन:तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया जिसके लिए यह आदेश दिया गया कि इसे अक्तूबर, 2011 के तीसरे सप्ताह में सिविल अपील के साथ सूचीबद्ध किया जाए । 18 अक्तूबर, 2011 को सूचीबद्ध अपील के विषय में माननीय न्यायालय ने उल्लेख किया कि पक्षकारों की ओर से पैरवी कर रहे काबिल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दस्तावेज प्रस्तुत किया कि इन अपीलों के लिए 6 नियमित सुनवाई दिनों से अधिक समय लगने की सम्भावना है । इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के शर्ताधीन अपीलों को अन्तिम निस्तारण हेतु

फरवरी, 2012 के माह में उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। 'तथापि, फरवरी, 2012 में इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। इसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 के ओएस 3 के तहत 2013 की आईए 1, 2012 की आईए 5 एवं 6 में कावेरी के मुद्दों पर 04.01.2013, 04.02.2013, 07.02.2013 और अंतत: 25.02.2013 को सुनवाई की और केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र, लेकिन किसी भी मामले में 20 फरवरी, 2013 से पहले, सीडब्ल्यूडीटी के दिनांक 5.02.2007 के अंतिम निर्णय को प्रकाशित करने का निर्देश दिया और 2013 की आईए संख्या 1 संबंधी अवमानना याचिका सहित 2002 के ओएस 3 के तहत 2013 की आईए 1, 2012 की आईए 5 व 6 को निस्तारित किया । इसके अतिरिक्त, 6 अगस्त, 2013 को अंतिम सुनवाई करने हेतु संबंधित मामले के साथ 2007 का 2453 और 2001 को ओएस 3 तथा 2002 का ओएस 3 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तदनुसार केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में दिनांक 19.02.2013 की अधिसूचना के माध्यम से सीडब्ल्यूडीटी के दिनांक 5.2.2007 के अंतिम निर्णय को प्रकाशित कराया है।"

2007 की सिविल अपील संख्या 2456 संबंधी आईए संख्या 06 पर दिनांक 01.07.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही शुरू की गई थी और प्रत्युतर द्वारा जवाब देने के लिए 04 जुलाई, 2013 तक का समय देते हुए 05 जुलाई, 2013 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था । मामले पर 05 जुलाई ,2013 को पुन: सुनवाई की गई थी और यह आदेश दिया गया था कि तमिलनाडु राज्य द्वारा 3 सप्ताह के अंदर प्रत्युतर-शपथ पत्र दाखिल किया जाये और इसे 05 अगस्त, 2013 को सूचीबद्ध किया जाये ।

इस मामले पर 05 अगस्त, 2013 को सुनवाई की गई थी जहां यह आदेश दिया गया था कि अच्छी वर्षा होने के कारण तमिलनाडु राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता 2013 की आईए संख्या 06 पर जोर नहीं देना चाहते और तद्नुसार इस अपील को 15 जनवरी, 2014 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 के मूल वाद संख्या 3 पर दिनांक 03.12.2013 के सुनवाई की और आदेश दिया कि यह मामला मूल वाद 3/2001 से जुड़ा है तथा मामले को सूचीबद्ध करने की आगामी तारीख 15.01.2014 है । 15.01.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को 12.03.2014 को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया और उसके बाद 25.11.2014 को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया जो उसके बाद दिनांक 20.11.2015 को और उसके बाद, 10.02.2015, 03.11.2015 को सूचीबद्ध हुआ और 12.01.2016 को सूचीबद्ध होने की संभावना है ।

21 मई, 2014 को माननीय अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने पर अधिकरण में 15 जुलाई, 2014 को सीएमपी संख्या 01/2012 पर कार्यवाही शुरू की गई थी जहां अधिकरण ने दिनांक 15.07.2014 के आदेश द्वारा यह इच्छा जताई कि तमिलनाडु राज्य नए सिरे से आवेदन दायर करे अथवा इसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में 2007 की सिविल अपील संख्या

2453 में दायर किए गए आईए संख्या 11 पर जोर दे और उचित निर्देश प्राप्त करें जिससे अधिकरण, अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत आवेदन पर कार्यवाही कर सके ।

अधिकरण द्वारा किया गया व्यय:-

i)	वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकरण द्वारा किया गया व्यय	**2,38,840,26**
ii)	3/15 तक संचयी व्यय	**24,65,86,538**
iii)	2015-16 के लिए बजट आवंटन	**2,89,00,000**
iv)	4/15 से 12/16 तक व्यय	**1,76,29,334**
v)	31/12/15 तक संचयी व्यय	**26,42,15,877**

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण :

अंतर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित आंध्र प्रदेश, कर्णाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। रिट याचिका संख्या 408 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 01.02.2006 होगी । परिणामस्वरूप, अधिकरण का कार्यकाल आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार 31.12.2010 तक बढ़ा दिया गया था ।

अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत अधिकरण की रिपोर्ट और निर्णय की घोषणा की गई और 30 दिसंबर, 2010 को जल संसाधन मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था ।

तत्पश्चात संबंधित राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, महाराष्ट्र और और केन्द्र सरकार द्वारा अधिकरण को अधिनियम की धारा 5(3) के तहत 29 मार्च, 2011 को अपने संदर्भ आवेदन दायर किए गए थे । उनके बाद संबंधित मामलों और केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर और प्रत्युत्तर किए गए अधिकरणों ने राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई दलीलों पर दिनांक 30.08.2013 को सुनवाई पूरी की ।

आगे की रिपोर्ट के माध्यम से दिनांक 29.11.2013 को अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5(3) के तहत संदर्भ आदेश की घोषणा की गयी थी और इसे केन्द्र सरकार एवं संबंधित पक्षकार राज्यों को अग्रेषित किया गया था।

अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, अधिकरण द्वारा इसकी रिपोर्ट अग्रेषित किए जाने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि इस मामले में अधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही की जानी आवश्यक नहीं होगी, अधिकरण को भंग कर सकती है । तथापि, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 06) की धारा 89 के अनुसार केडब्ल्यूडीटी का कार्यकाल उपर्युक्त धारा के खंड (क) और (ख) में

निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के अनुसार बढाया जाना है । तद्नुसार केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.05.2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1290 (ई) और शुद्धि पत्र संख्या एस.ओ.1483 (ई) द्वारा अगली रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 01 अगस्त, 2014 से दो वर्ष की अवधि के लिए (अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो) बढा दी थी जिससे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट विचारार्थ विषयों का अनुसरण किया जा सके ।

अधिकरण ने सभी संबंधित राज्यों को और केन्द्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि पक्षकारों अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्णाटक को अधिकरण के समक्ष उनके अधिवक्ता के माध्यम से अथवा उनकी ओर से यथोचित रूप से प्राधिकृत एक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत होने के लिए तिथि 24 जुलाई, 2014 निर्धारित की गई है । सभी पक्षकारों के उत्तर एवं प्रतिक्रियाओं तथा प्रत्युतर पर विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने अगले सुनवाई के लिए 7 जनवरी, 2015 के पत्र द्वारा मुद्दे तय किए हैं । प्रारंभिक मुद्दों पर दिनांक 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी, 2015 को तीन बार और सुनवाई की । आगे की कार्यवाही 30 मार्च, 2015 और उससे बाद तय थी । लेकिन दिनांक 26 मार्च, 2015 को कार्यालय परिसर में आग लगने के कारण कार्यालय और अदालत स्कंध को भारी नुकसान पहुंचने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकी । अधिकरण के क्षतिग्रस्त न्यायालय स्कंध की मरम्मत चल रही है जो संभवत: फरवरी, 2016 तक पूरी हो जाएगी । उसके बाद, प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के उपाय किए जाएंगे ।

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रूपये में)

स्कीम कार्यक्रम का नाम	**2013-14 के लिए वास्तविक व्यय**	**ब. प्रा. 2014-15 गैर योजना**	**2014-15 के लिए वास्तविक व्यय**	**ब.प्रा. 2015-16 गैर योजना**	**सं. प्रा. 2015-16 गैर योजना**	**ब.प्रा. 2016-17 गैर योजना**
	20615	23000	19847	22000	24900	27900

6.5 वंसधारा जल विवाद अधिकरण

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 443/2006 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में वंसधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 24 फरवरी, 2010 को किया गया था ।

कार्यालय स्थान के अभाव के कारण अधिकरण ने केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, सेक्टर - 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 09 सितम्बर, 2010 और 23 नवम्बर, 2010 को दो प्रारंभिक बैठकें की थी । इसी बीच एक सदस्य माननीय श्री जस्टिस निर्मल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और केन्द्र सरकार ने उनके स्थान पर 08.05.2012 को माननीय श्री जस्टिस गुलाम मोहम्मद, पूर्व न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को नियुक्त किया ।

डब्ल्यू पी (सिविल) सं. 2006 का 443, दिनांक 13.12.2013 में आई ए सं. 2013 का 8 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 14 मार्च, 2014 की अधिसूचना एसओ 778 (ई) के माध्यम से यह निर्णय लिया था कि उल्लिखित अधिकरण के गठन की प्रभावी तिथि 17 सितम्बर, 2012 होगी और तद्नुसार उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट के प्रस्तुत करने हेतु 3 वर्ष की अवधि और वंसधारा विवाद जल अधिकरण द्वारा निर्णय देने की शुरूआत 17 सितम्बर, 2012 से होगी।

माननीय अधिकरण ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को 2010 की आईए संख्या 1 में अपना आदेश दिया था जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार को उनके प्रस्ताव के अनुसार आनुषंगिक कार्यों के साथ साइड वीयर का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ वंसधारा नदी पर एक तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण प्रवाह प्रबंधन एवं विनियमन समिति गठित करने का निर्देश दिया है । ओडिशा राज्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय में उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है और यह सुनवाई के लिए लम्बित है।

विवाद के मुद्दे पहले ही तय कर लिए गए हैं । अधिकरण ने ओडिशा राज्य के गवाहों के बयान भी रिकार्ड करने शुरू कर दिए हैं ।

अधिकरण ने प्रस्तावित कटारगड्डा साइड वीयर और प्रस्तावित नेराडी बैराज के भौतिक मॉडल की निगरानी के लिए 03.12.2014 से 05.12.2014 तक पुणे में सीडब्ल्यूपीआरएस कार्यालय का दौरा किया था और सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे में संबंधित अधिकारियों तथा पक्षकारों के साथ चर्चा भी की थी ।

सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध और अधिकरण के दिनांक 30.07.2015 के आदेशानुसार अधिकरण ने विवादों को पूरी तरह समझने के लिए दिनांक 10.09.2015 से 12.09.2015 तक विजयवाड़ा और दिनांक 06.10.2015 से 07.10.2015 तक कटक का दौरा किया ।

वर्तमान में अधिकरण ओड़िशा राज्य के गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है और दो गवाहों से एक्जामीवेश-इन-चीफ तथा जिरह पूरी कर ली है और ओड़िशा राज्य के तीसरे गवाह की

इक्जामीनेशन-इन-चीफ रिकार्ड कर ली गई है तथा उससे आंशिक जिरह की गई है । ओड़िशा राज्य का प्रमाण जुटा पाने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी । उसके बाद, अधिकरण में मुद्दों पर बहस शुरू की जाएगी ।

6.6 महादायी जल विवाद अधिकरण

1. गोवा, कर्णाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी महादायी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये अन्तर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत में 16 नवंबर, 2010 को भारत सरकार द्वारा महादायी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था । अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं।

अधिकरण के अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और अन्य दो सदस्य उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश हैं। माननीय न्यायमूर्ति जे.एम. पंचाल, अधिकरण के अध्यक्ष ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, दिनांक 1.11.2011 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति विनय मित्तल और न्यायमूर्ति पी.एस. नारायण ने क्रमश: 16.11.2010 और 1.12.2010 को सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

2. सम्पदा निदेशालय ने दिनांक 27.12.2011 के पत्र द्वारा नई दिल्ली के जनपथ भवन की 5 वीं मंजिल पर अधिकरण के कार्यालय हेतु 4159 वर्ग फुट का स्थान आवंटित किया है। अधिकरण ने उक्त परिसर में कब्जा ले लिया है। सीपीडब्ल्यूडी ने जुलाई, 2013 में कार्यालय स्थल की साज-सजा पूरी की और स्टाफ के सभी सदस्यों ने अधिकरण को उपलब्ध कराए गए परिसर में स्थान ग्रहण किया। अधिकरण ने अपनी पहली बैठक दिनांक 21.08.2013 को जनपथ भवन, नई दिल्ली के 5वें तल, 'ए' विंग में कोर्ट हाल में की और आगे की बैठकें जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली के 5वें तल पर अपने स्वयं के हाल में कर रहा है।

3. उल्लेखनीय है कि उपायुक्त (बीएम), जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 19.01.2015 के पत्र संख्या 19/04/2010 -एमबी /97-100 के जरिए, भारत सरकार द्वारा जारी 13 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना अग्रेषित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है :-

''इसलिए, उपर्युक्त समान मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए अब केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 21 अगस्त, 2013 होगी------।''

4. यह उल्लेख है कि 21 अगस्त, 2013 से अब तक कई बार अधिकरण द्वारा सुनवाई की गयी जिनमें तीनों प्रत्याक्षी राज्यों ने अपने विख्यात वकीलों के जरिए अपना-अपना पक्ष अधिकरण के समक्ष रखा है। अधिकरण ने प्रत्याक्षी राज्यों द्वारा प्रस्तुत कई आवेदनों को निस्तारित किया है। संबंधित राज्यों ने मामले के अपने बयान और मामले के संशोधित बयान ही

प्रस्तुत किए हैं जिन्हें अधिकरण ने रिकार्ड में ले लिया है। अधिकरण के दिनांक 17.07.2015 के आदेश के अनुपालन में पक्षकारों ने अपने दस्तावेजों को चिनिहत करते हुए प्रदर्शित किया है जिन्हें दिनांक 23.02.2016 को माननीय अधिकरण के समक्ष रखा जायेगा।

5. यह जाहिर है कि तीनों राज्यों ने दस्तावेजों समेत लम्बी और भारी भरकम दलीलें प्रस्तुत की हैं। तीनों राज्यों के वकीलों द्वारा अब तक प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डों की संख्या 175 तक पहुंच गयी है। मूल दलीलों और संशोधित दलीलों के आधार पर तथा तीनों राज्यों द्वारा दिए गए सुझावानुसार अधिकरण ने निर्णय के लिए 70 मुद्दे तय किए हैं। अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिए गोवा राज्य ने 11 गवाहों से पूछताछ का प्रस्ताव रखा है जबकि कर्णाटक राज्य ने 5 गवाहों और महाराष्ट्र ने अधिकरण के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक गवाह से पूछताछ का प्रस्ताव रखा है।

6. वित्तीय वर्ष 2014-15 का वास्तविक वित्तीय व्यय, वर्ष 2015-16 का बजट प्राक्कलन, दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक व्यय, 1.1.2016 से 31.03.2016 तक अनुमानित व्यय, 01.04.2015 से 31.03.2016 तक कुल अनुमानित व्यय और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मांगा गया बजट इस प्रकार है:

संशोधित चार्ट

(आंकडे हजार रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक 2014-15	ब.प्रा. 2015-16	वास्तविक 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक)	1.1.2016 से 31.3.2016 तक अनुमानित व्यय	1.4.2015 से 31.3.2016 तक अनुमानित कुल व्यय	बजट मांग 2016-17
1.	वेतन	18872	18710	15920	4200	20120	25879
2.	पारिश्रमिक	0	0	0	0	0	0
3	चिकित्सा उपचार	48	150	2	0	2	150
4.	समयोपरि भत्ता	0	10	0	0	0	10
5.	घरेलू यात्रा व्यय	0	700	33	0	33	700
6.	विदेश यात्रा व्यय	0	0	0	0		0
7.	कार्यालय का व्यय	3865+ *353	#5000	1889+274 @	950+108%	3221	5000
8.	प्रकाशन	83	200	84	50	134	200
9.	अन्य प्रशासनिक खर्च	7	30	18	4	22	30

10	अन्य संविदात्मक सेवायें	2922	3200	2807	1093	3900	4160
	कुल योग	**26150**	**28000**	**21027**	**6405**	**27432**	**36129**

मंत्रालय के दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के पत्र संख्या 2/23/2014-बीएम/596-600 के अनुसरण में एमडब्ल्यूडीटी ने अपने दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के पत्र फाइल सं. 9/एमडब्ल्यूडीटी/2015-16/बजट द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण के नवीकरण हेतु 5 लाख रूपए वापिस कर दिए थे क्योंकि आग लगने के कारण अधिकरण क्षतिग्रस्त हो गया था।

* अनुरक्षण सेवा के लिए वह सीपीडब्ल्यूडी हेतु बुक।

@ सीपीडब्ल्यूडी हेतु बुक 382 हजार रूपए के व्यय में से दिसम्बर, 2015 तक खर्च।

% सीपीडब्ल्यूडी हेतु बुक 382 हजार रूपए के व्यय में से शेष व्यय बुक किया जाना।

6.7 गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड:-

1. दिनांक 1 मार्च, 2014 को अधिसूचित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 85(1) यह आदेश देती है कि केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं, जो कि समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं, के प्रशासन विनियमन, अनुरक्षण और परिचालन के लिए गोदावरी नदी बोर्ड और कृष्णा नदी बोर्ड नामक दो अलग बोर्डों का गठन करेगी। इसके अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 28 मई, 2014 को क्रमश: अधिसूचना सं. एस ओ-1403(ई) और एसओ-1391(ई) के माध्यम से गोदावरी नदी बोर्ड और कृष्णा नदी बोर्ड का गठन किया। दोनों बोर्ड के मुख्यालय हैदराबाद में स्थित हैं ।

2. प्रत्येक बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) उत्तरवर्ती राज्यों को परियोजना से जलापूर्ति का विनियमन निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(i) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम,1956 के तहत गठित अधिकरणों द्वारा दिया गया पंचाट;

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य की मौजूदा सरकार और अन्य कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए किया गया कोई समझौता अथवा व्यवस्था;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य की मौजूदा सरकार और अन्य कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए किया गया कोई समझौता अथवा व्यवस्था से संबंधित विद्युत वितरण के प्रभारी प्राधिकरण को सृजित विद्युत आपूर्ति का विनियमन;

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों, जैसा कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उल्लेख कर सकती है, के माध्यम से नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से जुड़े शेष चालू अथवा नए कार्यों का निर्माण;

(घ) गोदावरी अथवा कृष्णा नदियों पर नई परियोजनाओं के निर्माण हेतु किसी परियोजना का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के पश्चात करना कि ऐसी परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई परियोजनाओं अथवा निर्धारित तिथि से पहले शुरू किए गए परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण 1956 के तहत गठित अधिकरणों के निर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी; और

(ड.) ऐसे अन्य कार्य जैसा कि ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर केन्द्र सरकार सौंपती है।

3. उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें बोर्ड के कार्यों को करने हेतु अपेक्षित सभी व्ययों (कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित) को पूरा करने के लिए बोर्ड को आवश्यक निधि हमेशा उपलब्ध करायेंगी और यह राशि संबंधित राज्यों के बीच इस अनुपात में बांटा जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार उल्लिखित राज्यों को लाभ पहुंचाने के अनुपात में विनिर्दिष्ट करती है ।

4. दिनांक 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में गोदावरी और कृष्णा नदी बोर्ड के गठन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय मंत्रिमंडल ने प्रतयेक बोर्ड के लिए एक करोड़ रूपए का प्रारम्भिक योगदान का भी अनुमोदन किया था, जिसे बाद में पक्षकार राज्यों से योगदान प्राप्त होने के पश्चात बोर्डों द्वारा केन्द्र सरकार को लौटा दिया जायेगा। दिसम्बर, 2014 में प्रत्येक बोर्ड को एक करोड़ रूपये का प्रारंभिक अंशदान जारी किया गया है ।

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :-

6.8 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतर बेसिन अंतरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) जो कि सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है, की स्थापना जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए 1982 में की गई थी। एनडब्ल्यूडीए के कार्य दिनांक 26.08.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या1(7)/80-पीपी के पैरा-4 के तहत प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात सरकार ने जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92-बीएम, दिनांक 26.08.1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 3 व 5 में उल्लिखित सोसाइटी व शासी निकाय के गठन के लिए 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002-बीएम द्वारा

संशोधन किया तथा राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के कार्य को शामिल करने के लिए दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या 2/18/2005-बीएम द्वारा एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में संशोधन किया।

यह निर्णय लिया गया है कि एनडबल्यूडीए अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर भी तैयार कर सकता है तथा बढ़ाए गए कार्यों की अधिसूचना "भारत के राजपत्र में दिनांक 11 जून, 2011" को प्रकाशित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए उनके कार्यों में निम्न संशोधन किए गए हैं :-

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

ड.) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अंत: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यतापूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना। व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें/डीपीआर प्रारंभ करने से पहले इन प्रस्तावों के लिए संबंधित सह बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त की जा सकती है।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, प्रासंगिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है।

माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन. डब्ल्यू डी ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए का शासी निकाय प्रत्येक छ: महीने में कार्यक्रम और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है। सभी संबंधित राज्यों का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, 23 सितम्बर, 2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने की विशेष समिति बनाई गयी है। इस समिति की दिनांक 17.10.2014, 6.01.2015, 19.03.2015, 14.05.2015, 13.07.2015, 15.09.2015 तथा 18.11.2015 को नई दिल्ली में 7 बैठकें हो चुकी हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने की विशेष समिति ने चार विशिष्ट उपसमितियां, (i) विभिन्न अध्ययनों /रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन हेतु उपसमिति ; (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना का पता लगाने के लिए प्रणाली अध्ययनों हेतु उपसमिति; (iii) संबंधित राज्यों के बीच बातचीत द्वारा सहमति बनाने और समझौता करने हेतु उपसमिति और (iv) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन हेतु उपसमिति, गठित की हैं। क्र.सं. (iii) पर उल्लिखित सहमति बनाने की उपसमिति सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सहमति समूह के रूप में पहले से कार्य कर रही है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अन्य तीन उपसमितियां गठित कर ली हैं।

विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआरएस) पूरी हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त हिमालयी घटक के अंतर्गत अन्य 7 संपर्कों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (भारतीय भाग) पूरे कर लिए गए है और प्रारूप एफआर तैयार की गयीं । मार्च, 2015 तक राज्यों द्वारा प्रस्तावित 35 अंत:राज्यीय संपर्कों की भी व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें (पीएफआरएस) पूरी कर ली गई हैं और वर्ष 2015-16 के दौरान एक संपर्क की साध्यतापूर्व रिपोर्टें जारी रही ।

एनडब्ल्यूडीए द्वारा 2015-16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम पर 39.78 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान एनडब्ल्यूडीए द्वारा विभिन्न अध्ययन जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त, केन-बेतवा संपर्क चरण-I की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी करके मई, 2010 में संबंधित राज्यों को भेज दी गई है। केन-बेतवा संपर्क चरण-I की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकनाधीन है। केन-बेतवा संपर्क चरण-।। तथा दमनगंगा-पिंजाल की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2013-14 के दौरान पूरी हो गया था।। केन-बेतवा सम्पर्क चरण -II और दमनगंगा पिंजाला की डीपीआर तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। बिहार के 2 अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी 2013-14 में पूरा हुआ । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, एक महाराष्ट्र की और एक तमिलनाडु की, का कार्य भी शुरू किया गया है और 2015-16 के दौरान जारी रहा । झारखंड और ओड़िशा के दो और अंत:र्राज्यीय सम्पर्कों की डीपीआर तैयार करने का भी कार्य वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया जो वर्ष 2015-16 में जारी रहा।

पार-तापी-नर्मदा की डीपीआर अगस्त, 2015 में पूरी हुई और पोन्नियार -पलार सम्पर्क की डीपीआर 2015-16 में पूरी की जानी है तथा अन्य कार्य प्रगति पर रहे। केन-बेतवा सम्पर्क चरण-I की डीपीआर के बाद के कार्य उन्नत चरण में हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान एनडब्ल्यूडीए के लिए 73.50 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। एनडब्ल्यूडीए सर्वेक्षण एवं जांच कार्य जारी रखेगा और हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में तीन संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है। केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना चरण-I, केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना चरण-II और दमन-गंगा पिंजाल सम्पर्क परियोजना और पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क की डीपीआर तैयार करने के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य, सीडब्ल्यूसी/राज्य सरकार/अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ बैठक आयोजित करने आदि से संबंधित कार्य वर्ष 2016-17 के दौरान किया जायेगा। दो अंत:राज्यीय सम्पर्कों की डीपीआर भी वर्ष 2016-17 में पूरी की जायेगी।

वित्तीय परिव्यय

(रूपए करोड़ में)

स्कीम/गतिविधि का नाम	**XII वीं योजना परिव्यय**	**वास्तविक व्यय 2014-15**	**वास्तविक व्यय 2015-16**	**बजट अनुमान 2016-17**
जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच-नदी सम्पर्क प्रस्तावों की जांच	280.00	62.01	39.78*	73.50 (प्रस्तावित)

*दिसम्बर, 2015 तक

6.9 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) :

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल संसाधन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना दिसम्बर, 1979 में रूड़की में हुई थी। यह संस्थान जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहा है।

***उद्देश्य**

जल संसाधन मंत्री एनआईएच सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और जल संसाधन राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। राज्यों में सिंचाई/जल संसाधन के प्रभारी मंत्री भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव, और जल विज्ञान तथा जल संसाधन संबंधी श्रेष्ठ विशेषज्ञ सोसाइटी के सदस्य हैं। सचिव (जल संसाधन) शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा संस्थान के अनुसंधान तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों की निगरानी तथा मार्गदर्शन किया जाता है। संस्थान के निदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

यह संस्थान जल विज्ञान के विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, का अंतरण मानव संसाधन विकास और सांस्थानिक विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर प्रयोक्ता-अनुकूल, मांग के अनुरूप अनुसंधान

करता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान, राष्ट्रीय जल मिशन के प्रभावी-कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के नोडल केंद्र के तौर पर कार्य करता है।

अध्ययन एवं अनुसंधान : संस्थान में अध्ययन और अनुसंधान, पांच वैज्ञानिक विषयों के तहत मुख्यालयों, दो बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र और चार क्षेत्रीय केंद्रों में किए जाते हैं। संस्थान में एक अनुसंधान समन्वय एवं प्रबंधन इकाई है जो विभिन्न अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। संस्थान में जल विज्ञान में परमाणु अनुप्रयोग, जल गुणवत्ता, मृदा जल, दूर संवेदी एवं जीआईएस अनुप्रयोग, जल विज्ञानीय उपकरण और भूमि जल मॉडलिंग के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रयोगशाला सुविधाएं हैं।

तकनीकी प्रकाशन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण : संस्थान के अनुसंधान का परिणाम, रिपोर्टों, वैज्ञानिक पर्चों, मार्ग निर्देशों, नियमावली आदि के तौर पर प्रकाशित होते हैं। लक्षित प्रयोक्ताओं को विकसित प्रौद्योगिकी और तकनीकों के अंतरण के लिए संस्थान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कोर्स, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन और गहन विचार विमर्श सत्र आयोजित करता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान निष्पादन एवं वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

क्रम सं.	**मद का विवरण**	**वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक लक्ष्य**	**वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्धियां ***	**वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य**
1.	तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करना/पूर्ण हो चुके अध्ययन	50	15	50
2.	शोध पत्रों का प्रकाशन	148	96	150
3.	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों को तैयार करना	2	0	2
4	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	25	14	25
5.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	40	30	40

*दिसम्बर, 2015 तक

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.10 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड (वाप्कोस):

प्रस्तावना :

जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के संरक्षण में "मिनी रत्न-1" सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी अधिनियम, 1956

के अंतर्गत 26 जून 1969 को निगमित वाप्कोस, जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है। कम्पनी का ध्येय ''भारत और विदेशों में समग्र परियोजना समाधानों हेतु जल, विद्युत और अवसरंचना विकास में एक ब्रांड के तौर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी परामर्शी संगठन बनना है।''

विजन

भारत तथा भारत से बाहर समग्र परियोजना समाधान हेतु जल विद्युत और संरचना विकास में ब्रांड के रूप में जाने गए अग्रणी परामर्शी संगठन हो।

मिशन

सोसाइटी की वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थायी लाभ प्रद वृद्धि, उत्कृष्ट निष्पादन, आधुनिकतम तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग, नवीनता और क्षमता निर्माण है ।

उद्देश्य

- परियोजनाओं की इष्टतम आयोजना तथा विकास के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधकीय गुणवत्ता की सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रस्तुत करने हेतु एक प्रमुख अभिकरण की भूमिका निभाना।
- गुणवत्ता तथा परिशुद्धता का निर्माण करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों को अपनाकर उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि सुनिश्चित करना ।
- घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विकास की गति को बनाए रखना तथा जानकारी को अन्य विकासशील देशों में अंतरित करना ।
- जल संसाधनों, विद्युत तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लागत-प्रभावी तथा एकीकृत विकास हेतु पर्यावरणीय अध्ययनों तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, डिजाइनों, लागत अनुमानों, परियोजना आयोजना में अंतर्राज्यीय मानकों को अपनाना।
- अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ।
- संबद्ध क्षेत्र में विविधता के माध्यम से परामर्शी क्षेत्र में उत्कर्षता बनाए रखना ।
- सुधारीकृत उत्पादकता के माध्यम से अपने प्रचालन के परिणामस्वरूप उद्यम के उचित लाभ को सुनिश्चित करना ।
- अभिनव डिजाइन विकल्पों के लिए नवीनतम परामर्शओं के उपयोग में सक्रिय भूमिका निभाना।
- उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ योग्यता को आकर्षित करना तथा दृढ़ संकल्प एवं निष्ठ कार्यबल को

प्रोत्साहित करना ।

- ग्राहक संतुष्टि की पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना ।
- वाप्कोस को ब्रैंड नाम के रूप में प्रचारित करना ।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

कंपनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण और भूमि पुनरूद्धार, नदी प्रबंधन बांधों जलाशय इंजीनियरिंग और बैराज एकीकृत कृषि विकास वाटर शेड प्रबंधन, जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन, विद्युत पारेषण और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूजल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सहित पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पत्तन और बंदरगाह तथा अन्तर-देशीय जलमार्ग, वर्षा जल संचयन, घाट विकास, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन और सूचना तकनीक शामिल है । वाप्कोस ने साफ्टवेयर विकास, शहरी विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण देख-रेख, सड़क एवं पुल जैसे कुछ नए क्षेत्रों में कार्य शुरू किया है । भारत तथा भारत से बाहर विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सेवाएं शुरू करने हेतु अवधारणा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने अपने संगमज्ञापन में संशोधन किया है।

परामर्शी सेवाओं की सीमा

वाप्कोस द्वारा प्रदत्त सेवाओं के तहत व्यापक कार्यकलाप अर्थात व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुरूपण अध्ययन, नैदानिक अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, मास्टर योजनाएं और क्षेत्रीय विकास योजनाएं, क्षेत्र अन्वेषण, अभिकल्पों सहित विस्तृत अभियांत्रिकी, विस्तृत विनिर्देश, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध और निर्माण प्रबंधन, प्रारंभ और जांच, प्रचालन एवं अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन व प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन विकास शामिल हैं ।

वाप्कोस के यूएसपी में भारतव विदेशों में सिंचाई, जल संसाधन एवं कृषि संबंधी 300 से ज्यादा परियोजनाओं जिनसे 12 मिलियन हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता का विकास होगा; का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/साध्यतापूर्व रिपोर्ट/डीपीआर; पोत पत्तन एवं अंतर्देशीय नौचालन की 180 परियोजनाएं; जलापूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण एवं शहरी विकास, सड़क एवं राजमार्ग अभियांत्रिकी की 250 से अधिक परियोजनाएं; सिंचाई/हाइड्रो/ताप विद्युत, पोत पत्तन एवं बंदरगाह के क्षेत्र में 250 परियोजनाओं का इर्आईए शामिल है । इसी प्रकार, जल विद्युत क्षेत्र में वाप्कोस ने 19 देशों में लगभग 51 जल विद्युत परियोजनाएं पूरी की है जिनकी संस्थापित क्षमता 20,500 मेगावाट से अधिक है; भारत में 47 जल विद्युत परियोजनाएं पूरी की हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 9000 मेगावाट है; ताप विद्युत में कंपनी ने विदेशों में 10 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 2900 मेगावाट से अधिक है तथा भारत में 9 परियोजनाएं पूरी की है जिनकी संस्थापित क्षमता 12000 मेगावाट से अधिक है। संचार और संवितरण में वाप्कोस ने

भारत तथा विदेशों में 25 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पंजीकरण:

वाप्कोस, वित्तपोषित परियोजनाओं में सहभागिता के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक, एशियायी विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जेवीआईसी) और संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) के साथ पंजीकृत है ।

विदेशों में प्रचालन

भारत के अतिरिक्त वाप्कोस ने विदेशों में सफलतापूर्वक परामर्शी सेवाएं पूरी की हैं/कर रहा है और इस समय निम्नलिखित देशों में परामर्शी सेवाएं दे रहा है:

अंगोला, अफगानिस्तान, बंग्लादेश, बेनिन, भूटान, बुरकिनाफासो, बरूंडी, कम्बोडिया, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चैड, डीआर कांगो, इथोपिया, फीजी, घाना, गिनि कोनाकरी, कीनिया, लाओ पीडीआर, लेसोथो, लिबेरिया, मालदीव, मलावी, माली, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, फिलिपींस, रवांडा, सेनेगल, दक्षिणी सुडान, श्रीलंका, स्वाजीलैंड, सियरा लिओन, तंजानिया, टोगो, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे ।

लाभांश

वर्ष 2014-15 कम्पनी के उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए जिसमें लाभांश 16.50 करोड़ रूपए रहा, जो कि कम्पनी के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक लाभांश है और प्रदत्त पूंजी 25.00 करोड़ रूपए का 66% है, का सितम्बर, 2015 में भुगतान किया गया।

6.11 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.):

प्रस्तावना : राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) की स्थापना सिंचाई तथा जल संसाधन, विद्युत और भारी उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अग्रणी निर्माण कंपनी के रूप में वर्ष 1957 में की गई थी । इसका प्रशासनिक नियंत्रण वर्ष 1989 में सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था । वर्तमान में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिल्चर, शिलांग, इटानगर, रायपुर, मुंबई, जम्मू तथा कश्मीर, बंगलोर, पटना, रांची, लखनऊ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुड़गांव और देहरादून में स्थित 15 क्षेत्रीय कार्यालयों और 105 प्रचालन इकाइयों के साथ संपूर्ण भारत में एनपीसीसी की उपस्थिति है। एनपीसीसी लि. सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए आईएसओ 9001-2008 की गुणवत्ता प्रबंधन आवश्यकताओं की अनुपालना करता है । निगम को आईसीआरए द्वारा ए+ कंपनी की श्रेणी में भी रखा गया है । इस समय कंपनी की कुल जनशक्ति दिनांक 31.01. 2016 को 1045 है ।

विजन: "विश्वस्तरीय अभियांत्रिकी परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना । "

मिशन: "हमारे ग्राहकों के साथ वार्ता के सभी बिंदुओं पर बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देकर 2021-22 तक धनात्मक निवल राजस्व के साथ 3500 करोड़ रूपए से अधिक का व्यापार करना और नवाचार के माध्यम से लगातार संगठन और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना । "

उद्देश्य :

1. निम्न के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना :

- निर्धारित समय एवं लागत के अंदर परियोजनाओं का निष्पादन,
- संविदा के विनिर्देशों तथा शर्तों का अनुपालन करना,
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया एवं सुधार करके ।

2. समझौता ज्ञापन के अनुसार व्यापार का लक्ष्य प्राप्त करना ।
3. व्यापार से तीन गुणा अधिक कार्य आदेश पुस्तिका स्थिति बनाये रखने के लिए व्यापार सुनिश्चित करना ।
4. एनपीसीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अधिकतम स्तर तक एवं शीघ्र पुराने बकाये चुकाना ।
5. कार्मिकों की जानकारी एवं कौशल में लगातार सुधार करना ।
6. व्यापार में लाभ और ग्राहक संतुष्टि पर जोर देते हुए सतत संगठनात्मक पुनर्संरचना एवं विविधीकरण ।
7. क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में आईएसओ 9001-2008 आधारित प्रबंधन प्रणालियों का रखरखाव एवं सुधार ।

प्रचालन के क्षेत्र

- टाउनशिप और अन्य रिहायशी भवन
- संस्थागत भवन
- कार्यालय भवन
- सड़कें, पुल और फ्लाईओवर
- अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं
- औद्योगिक संरचनाएं
- सतही परिवहन परियोजनाएं
- पर्यावरणीय परियोजनाएं
- ताप विद्युत परियोजनाएं
- जल विद्युत परियोजनाएं
- बांध, बैराज और नहर
- सुरंग और भूमिगत परियोजनाएं
- रीयल एस्टेट कार्य

वित्तीय स्थिति : कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी 700 करोड़ रूपए है और इसकी प्रदत्त पूंजी 94.53 करोड़ रूपए है । कॉरपोरेशन ने पिछले वर्ष के 1174 करोड़ रूपए के व्यापार की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 1108.51 करोड़ रूपए का व्यापार किया । वर्ष 2015-16 के दौरान

1100 करोड़ रूपए का व्यापार होने का अनुमान है जबकि दिसम्बर, 2014 तक 676 करोड़ रूपए का व्यापार किया गया है । 31 दिसंबर, 2015 तक 583.12 करोड़ रूपए का कारोबार किया गया है।

कम्पनी ने लगातार 5 वर्षों तक निवल लाभ कमाया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान धनात्क निवल पूंजी है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्याक्षित निवल लाभ 14.15 करोड़ रूपये (अनुमानित) है।

कम्पनी ने वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय सूचक	उत्कृष्ट श्रेणी हेतु लक्ष्य
1	सकल मार्जिन	34.75
2	सकल बिक्री	1200
3	सकल लाभ	30.40
4	नया व्यापार	1200

2014-15 का निष्पादन

अनुलग्नक - I

(अध्याय -IV)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)**		225.40				
	जलवैज्ञानिक प्रेक्षण एवं निगरानी प्रणाली						
	मौजूदा एचओ स्टेशनों का उन्नयन और नए एचओ स्थलों की स्थापना करना	1) हिम जल विज्ञान, जलगुणवत्ता तथा ग्लेशियर झीलों की निगरानी सहित जल विज्ञानीय प्रेक्षण कार्यकलापों को जारी रखना। 2) आधुनिक तकनीकों तथा उपस्करों के साथ जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार तथा आधुनिकीकरण । 3) जल वर्ष पुस्तक के रूप में आंकड़ों का संग्रह,संकल्नभण्डारण, प्रसार, विश्लेषण और प्रकाशन।		933 स्थानों पर आंकड़ों का प्रेक्षण जारी रहा तथा जी एवं डी स्थलों और हिम प्रेक्षण स्थलों पर विभिन्न उपयोगों आदि के लिए आंकड़ा संग्रहण जारी रहा । मौजूदा 100 स्थलों पर उन्नयन, 236 नए केन्द्रों की स्थापना करके आंकड़ा प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार	स्थापित प्रेक्षण के अनुसार जल मौसम विज्ञान का प्रेक्षण, हिम प्रेक्षण, जल गुणवत्ता मानकों का प्रेक्षण दैनिक/आवधिक आधार पर साल भार जारी रहा	(i) बर्फ आंकड़ा और ग्लैशियर झीलों की निगरानी सहित 878 कार्यस्थलों पर जल विज्ञानीय आंकड़ों का प्रेक्षण जारी है । (II) संग्रह, संकलन, भंडारण, प्रसार, विश्लेषण और जल वर्ष पुस्तक के रूप में आंकड़ों का प्रकाशन किया गया (III) 100 एचओ स्टेशनों का अपग्रडेशन किया गया । जल वर्ष पुस्तिका के प्रपत्र में आंकड़ों विश्लषण और प्रकाशन किया गया । (iv) 177	बजट प्राक्कलन केवल प्रेक्षण घटक के लिए, आरएमसीडी, सीडब्ल्यूसी

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						नए स्थल खोले जाने हैं।	
	देश में बड़े जलाशयों के संबंध में भंडारण आंकड़ों का संग्रह	उनके आंकड़े 120 जलाशयों का जलाशय जल स्तर संग्रह करना, जिसका सक्रिय भंडारण टेलीमेट्री प्रणाली द्वारा सीडब्ल्यूसी द्वारा मॉनीटर करने का प्रस्ताव है ।		87 जलाशयों पर टेलीमीटरी प्रणाली स्थापित की जाएगी ।	12वीं योजना अवधि में पूरे किए जाने वाले कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वर्ष भर कार्यकलाप जारी रहे ।	जलाशय भंडारण डेटा पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर एकत्र किया जा रहा है। निविदाएं टेलीमेटरी आधारित निगरानी प्रणाली के लिए मसौदा तैयार किया गया है।	
	तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास (सीएमआईएस)	डेटा संग्रह और प्रलेखन (6 साइटों) सहित तलछट सेल / कटाव के कारण तलछट परिवहन/तलछट प्रकोष्ठ की परिमाण/तलछट बजट का निर्धारण तटीय डेटा का संग्रह, विश्लेषण, प्रसंस्करण और डब्ल्यूआरआईएस में एकीकरण सीपीडीएसी, उप समितियों, क्षेत्रीय दौरे, प्रशिक्षण / अध्ययन दौरे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सुदृढ़ीकरण,		दो साइटे शुरू करना और डेटा संग्रह सीपीडीएसी और इसकी उप-समितियों की बैठक का आयोजन समुद्र तट कटाव निदेशालय का सुदृढ़ीकरण।	कार्यकलाप पूरे वर्ष जारी रहेंगे।	आईआईटी, मद्रास के साथ एक बैठक आयोजित की गयी थी और 66 करोड़ के लिए उनके अनुमान पर चर्चा की गई। उन्हें संशोधित करके प्रस्तुत करने की सलाह दी गई । एनआईओ गोवा से भी इसी तरह का प्रस्ताव	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		तट कटाव निदेशालय को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सुदृढ़ करना, मैनुअल, दिशानिर्देश तैयार करना, कार्यशाला/ सेमिनारों आदि				प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।	
	सिंचाई गणना						
	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)	पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके देश में 5वीं लघु सिंचाई गणना।		(i) पारम्परिक पद्धति से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5वीं लघु सिंचाई गणना का आयोजना- राज्यों द्वारा प्रशिक्षण फील्ड कार्य तथा एनआईसी द्वारा साफ्टवेयर का विकास (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना (iii) एनआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तथा एनआईसी को पहली किस्त जारी करन। वास्तविक लक्ष्य : एनआईसी द्वारा, गणना के लिए आंकड़ा प्रविष्टि का विकास/ साफ्टवेयर संसाधन (iv) 6वीं लघु सिंचाई		1.छह क्षेत्रों में 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं, आयोजित की जिसमें राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को 5वीं लघु सिंचाई जनगणना के कार्यक्रम / नियमावलियों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। 2. दिसंबर,.2014 तक 25 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को गणना के लिए निधि जारी/पुन: वैध की गई 3. डेटा प्रविष्टि / सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर के विकास के	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				गणना हेतु अध्ययन, आऊटसोर्स स्टॉफ का वेतन, मूल्यांकन अध्ययन, तकनीकी परामर्श करना ।		लिए एनआईसी के साथ इस हसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।	
	बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रायोगिक गणना	आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रथम चरण में शामिल आठ परियोजनाओं के आउटलेट के स्तर पर जनगणना के आंकड़ों का संग्रह (द्वितीय चरण)		गणना और तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देना।		बृहत और मध्यम परियोजनाओं की प्रायोगिक गणना के पहले चरण के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य क्षेत्र से आठ परियोजनाओं चयन किया गया था। भौतिक संपत्ति अर्थात पहले चरण के दौरान परियोजनाओं की सूची संबंधी डेटा इकट्ठा करने के उद्देश्य से अनुसूची और दिशा- निर्देश तैयार करन के राज्य परियोजना अधिकारियों से जानकारी इकट्ठा करने	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को भेजा गया था। सात से आठ से बाहर का सम्मान क्षेत्रीय सीई से परियोजनाओं में प्राप्त हुए थे। एक ही जांच पर, कुछ अधूरापन । तदनुसार इन अनुसूचियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय सीईएस वापस भेजा गया था । क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं (सीई) से, आठ में से सात (ऊपरी गंगा नहर परियोजना को छोड़कर) परियोजनाओंके बारे में भरी हुई अनुसूचि प्राप्त हुई थी । जांच करने पर भरी गई अनुसूचियों में कुछ कमियां पाई गई।	
	जल गुणवत्ता मूल्यांकन	डब्ल्यूक्यूएए को सौंपे गए दायित्वों के		(i) जल गुणवत्ता निगरानी संबंधी समरूप	कार्यकलापों को जारी रखना		

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्राधिकरण और निगरानी प्रणाली	निर्वाह के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करना		प्रोटोकॉल (ii) डब्ल्यूक्यूएए की बैठकें आयोजित करना (iii) जल गुणवत्ता के मुद्दों पर प्रशिक्षण/कार्यशाला /सेमिनार आयोजित करना। (iv) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/लघु कोर्स आयोजित करना । (v) डब्ल्यूक्यूएए के अनुसंधान एवं विकास कार्य करना/आयोजित करना ।			
	सीडब्ल्यूसी में निगरानी इकाई का सुदृढ़ीकरण	बृहत / मध्यम / ईआरएम परियोजनाओं की सामान्य / एआईबीपी निगरानी		**Q1** में **13 + 36** दौरे / **Q2** में **14 + 37** दौरें /**Q3** में **13 + 37** दौरे / **Q4** में **14 + 37** दौरे। अग्रिम भुगतान / कार्य सौंपने / अधिप्राप्ति एवं प्रसंस्कृत छायाचित्रण / डिजिटलीकरण और मूल्यांकन अध्ययन के अनुमोदन के लिए कार्यवाही करना।		क्षेत्रीय मॉनिटरिंग इकाईयों द्वारा 1 और 2 तिमाही के लिए सामान्य मॉनिटरिंग दौरे 4 (2+2) 27 में से, तथा 73 में से 12 एआईबीपी मॉनिटरिंग दौरे।	
	डाटा बैंक और सूचना प्रणाली						
	वेब-आधारित जल संसाधन	वाटरशेड मानचित्रण तैयार करना तथा		**(i)** एनआरएससी द्वारा		एनडब्ल्यूआईसी और **19**	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र स्थापित करना	1 : 50000 पैमाने पर देश की वेब आधारित जल सूचना प्रणाली का विकास। राष्ट्रीय जल संसाधनों की योजना हेतु बेसिन वार जल उपलब्धता का पुन: आकलन ।		इण्डिया डब्ल्यूआरआईएस को पूरा करना **(ii)** सीडब्ल्यूसी द्वारा इण्डिया डब्ल्यूआरआईएस परियोजना को लेकर तथा सीडब्ल्यूसी मुख्यालय में केन्द्र स्थापित करना **(iii).** इण्डिया डब्ल्यूआरआईएस को अद्यतन बनाना और सुधार करना **iv).** एमओडब्ल्यूआर द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन **(v)** फेस-**I** डाटा संग्रह और सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों का क्षमता निर्माण **(vi)** फेस **II** - डेटा की निरंतरता की जाँच करना और डेटा और मॉडल मापदंडों को मापना। **(vii)** चरण-**II** जारी		बेसिनों की पानी की उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव (**6** करोड रुपये) अनुमोदन के लिए जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिया गया है। अनुममोदन प्राप्त नहीं हुआ है।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	सीडब्ल्यूसी में पुस्तकालय सूचना ब्यूरो का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	पुस्तकालय की सुविधाओं को उन्नत बनाकर और पुस्तकालय सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण द्वारा विषयगत बेहतर सामग्री उपलब्ध कराकर सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों का ज्ञान बढ़ाना ।		पुस्तकों/प्रकाशन/सॉफ्टवेयर खरीद इत्यादि पुस्तकालय एवं पुस्तकालय भवन का आरएंण्डएम, एमएण्डई +एसी+कम्प्यूटर की खरीद, सीडब्ल्यूसी के प्रकाशनों का डिजटीकरण, पुस्तकालय और पुस्तकालय भवन का आरएण्डएम +होर्टीक्ल्चर सेवाओं के लिए भुगतान		पुस्तकों / प्रकाशनों /पत्रिकाओं /जरनल आदि प्राप्त करना। एसी/कम्प्यूटर और स्टेशनरी/पुस्तकालय फर्नीचर प्राप्त करना। बिजली /पानी /सीवेज का शुल्क । स्टाफ को प्रशिक्षण।	
	सीडब्ल्यूसी में सॉफ्टवेयर प्रबंधन	वेब आधारित कस्टम निर्मित सॉफ्टवेयर के साथ ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाना। सीडब्ल्यूसी-मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों को मजबूत बनाना		लैपटॉप / कंप्यूटर / प्रिंटर की खरीद, सीडब्ल्यूसी-मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों को अपग्रेड करना और मजबूत बनाना।		सीडब्ल्यूसी-मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों को अपग्रेड करना और मजबूत बनाना।	
2	**बाढ़ पूर्वानुमान**	1) 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए मौजूदा 147 स्तर पूर्वानुमान और 28 अंतरवाह पूर्वानुमान स्थलों से बाढ़ पूर्वानुमान	100.00	(i) तत्काल समय के आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और	12वीं योजना के दौरान कार्यक्रम को पूरा करने के	1). कुल 31.10. 2015 तक 4772 पूर्वानुमान जारी किए गए जिसमें से 4667	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		जारी रखना।. 2) रियल टाइम डेटा के संचार तथा अन्य आधुनिक उपस्करों के लिए टेलीमेट्री प्रणाली सहित पूर्वानुमान स्थलों के मौजूदा नेटवर्क को स्वाचालित बनाना। 3) सीडब्ल्यूसी के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को शामिल करने वाले 219 मौजूदा स्टेशनों में स्वचालित सुविधा और टेलीमेट्री प्रणाली।.		बाढ़ तथा अंतर्वाह पूर्वानुमान तैयार करना और प्रयोक्ता अभिकरणों को इनका प्रसार जारी रहा । (ii) तत्काल समय के आंकड़ों के संचार तथा अन्य अत्याधुनिक उपकरणों हेतु टेलीमीटरी प्रणाली सहित मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों को स्वचालित बनाना	एक भाग के रूप में वर्ष भर कार्य जारी रहेंगे ।	(97.8%) सही होने के अनुमत्य सीमा के भीतर थे। 2). 11वीं योजना में 205 केन्द्रों को टेलीमीटरी प्रणाली से सुसज्जित किया गया । 3). गणितीय मॉडल अध्ययन जारी रहें । ईएफसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में काम पूरा नहीं किया जा सका।	
3	**जलविज्ञान परियोजना**	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।	31.38	परियोजना घटकों का कार्यान्वयन जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वर्टिकल एक्सटेंशन (डीएसएस-योजना, डीएसएस-रीयल टाइम, जल विज्ञानीय डिजाइन सहायता सामग्री और 10 उद्देश्य प्रयोजन उन्नमुख अध्ययन सहित) तथा 4 बड़ी परामर्शी	मई, 2014 के अंत तक केन्द्रीय एजेंसियों जैसे पीसीएस (एमओडब्ल्यूआर), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस	(क) आंकड़ा प्रेक्षण और वैलिडेशन नियमित आधार पर किया जा रहा है । (ख) निर्णय सहायता प्रणाली के तहत आयोजना परामर्श, 9 एचपी-I राज्यों में पहचाने गए बेसिनों के लिए डीएसएसविकसित (ग)	परियोजना अब बंद कर दी गयी है और सभी प्रतिपूर्ति 30 नवंबर, 2014 तक पूरी कर ली गयी है।

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				संस्थाओं की सहायता से हॉरीजेंटल एक्सटेंशन । 6 बड़े अध्ययन क्षेत्रों में जलभृत्त मानचित्रीकरण	, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से नियोजित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। विश्वबैंक की प्रतिपूर्ति 30 सितम्बर, 2014 तक पूरी हो जायेगी।	बीबीएमबी की डीएसएस-तत्काल समय हेतु आरटी डीएसएस की संस्थापना (घ) जल विज्ञानीय डिजाइन (एचडीए) सहायता मॉडल के मॉड्यूलों के विकास का कार्य पूर्ण होने वाला है । (ड.) दो उद्देश्यपरक अध्ययन पूर्ण कर लिए गए हैं और इन्हें अनुमोदित किया गया है।शेष पीडीएस पूर्ण होने वाले हैं। परिणामों की व्याख्या और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है । (च) 6 प्रायोगिक क्षेत्रों में हैलीबोर्न सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है । परिणामों की व्याख्या और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						पर है ।	
4	भूजल प्रबंधन और विनियमन	- 1) एक्वीफर मैपिंग - - मौजूदा आंकडों का संकलन (वर्ग कि.मी. में) -	325.00	5.89 लाख वर्ग कि.मी.	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च ,2015	137.82 रूपये (जी) 125.42 रूपये (एन) 5.89 लाख वर्ग कि.मी.	
		जलभृत्त मानचित्रण हेतु आंकड़ों के अंतर का पता लगाना (लाख वर्ग कि.मी.		5.89 लाख वर्ग कि.मी.	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च ,2015	5.89 लाख वर्ग कि.मी.	
		आंकड़ा सृजन • अन्वेषणात्मक कुएं • वर्टीकल इलेक्ट्रीकल साउंडिंग • बोरहोल लॉगिंग • जैव रसायन विश्लेषण		700 कुएं 2000 आवश्यकता आधारित 20000 मनूने		664 कुएं 2124 143 20017 नमूने	
		(ख) कुओं की निगरानी • अतिरिक्त नए प्रेक्षण कुओं का निर्माण		23000 कुएं	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015	अप्रैल/मई, 2014, अगस्त, 2014 और नवम्बर, 2014 तथा जनवरी, 2015 की	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						निगरानी पूरी हुई ।	
		• अतिरिक्तनए प्रेक्षण कुओं का निर्माण		7000 कुएं		2007 कुएं	
		(ग) जलापूर्ति स्रोत अन्वेषण के लिए संगठनों को तकनीकी सहायता		आवश्यकता आधारित	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015	121 अन्वेषण	
		(घ) भूजल संसाधन मूल्यांकन		गत्यात्मक भूजल संसाधन मूल्यांकन (2013 की स्थिति के अनुसार)	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015	• 36 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 23 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों ने (31 मार्च 2013 के अनुसार) संबंधित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के गतिशील भूजल संसाधनों के आकलन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		(ड.) प्रोद्योगिकी के उन्नयन के लिए मशीनरी और उपकरण प्राप्त करना		- रिग प्राप्त करना	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च,2015	**9 रिग प्राप्त करना** – • डीटीएच रिग (500मी.) 9 जुलाई, 2014 को डीजीएसएण्ड डी द्वारा 3 रिग का आपूर्ति आदेश किया गया। क्रमश: डिवीजन IX, हैदराबाद डिवीजन XII, भोपाल डिवीजन XIV, बेंगलुरू को 3 रिगों की सुपुर्दगी की गई । • डुअल रोटरी रिग (500 मी.) - 25 सितम्बर, 2014 को डीजीएसएण्डडी द्वारा 2 डुअल रोटरी रिगों का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। • डीटीएच रिग (300 मी.) 27 जनवरी, 2015 को डीजीएसएण्डडी द्वारा	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				- वैज्ञानिक उपस्करों/सॉफ्टवेयर और आंकड़ों को प्राप्त करना।	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015	डीटीएच रिग के आपूर्ति आदेश को अंतिम रूप दिया गया। • **15 एयर कम्प्रेसर की खरीद**:- सीपीपी पोर्टल और सीजीडब्ल्यू वेबसाइट पर ई-निविदा डाली गई है। ऑनलाइन निविदा खुलने की तारीख 25.5.2015 है । अधिप्रापण का ब्यौरा इस प्रकार है • 4 **हाइड्रोजोलोजिकल उपस्करों को प्राप्त करना– ई-प्राप्ति के लिए मंत्रालय से अनुमोदन मिल चुका है। 24.2.2015 को सीपीपी पोर्टल पर निविदा**	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।.निविदा खुलने की तारीख 23.4.2015 है । • 4 जीओफिजिकल उपस्करों को प्राप्त करना- निविदा दस्तावेज की तकनीकी विशिष्टताओं में संशोधन करके एफएओ की मंजूरी हेतु फिर से प्रस्तुत किया गया है ताकि मंत्रालय का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। • 6 रसायनिक उपस्करों को प्राप्त करना- अधिप्रापण के लिए मंत्रालय का प्रशासनिक अनुमोदन मिल गया है। निविदा दस्तावेज के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव, जल संरक्षण,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेजा गया है। • 4 रसायनिक उपस्करों	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						की प्राप्ति-ई प्राप्ति के लिए निविदा दस्तावेज दिनांक 19.2.2015 को सीपीबी पोर्टल पर अपलोड किया गया है । निविदा खुलने की तारीख 21.4.2015 है । • 7 वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर प्राप्त करना- सभी संबंधित सॉफ्टवेयर के आपूर्ति आदेश 30.3.2015 को दे दिए गए हैं । • एचपी-।। के तहत ई-जीएमएस के विकास हेतु 11 वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर का अधिमापण- दिनांक 30.3.2015 को 10 साफ्टवेयरों के लिए आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं । दृश्य स्टूडियोंके लिए एनआईक्यू जारी की गई थी, केवल एक कोटेशन प्राप्त हुई है।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		(च) वैज्ञानिक सूचना के प्रसार के लिए रिपोर्टों, मानचित्रों को तैयार करना			1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च,2015		
		(क) राज्य की रिपोर्ट		18		**10**	
		(ख) जिला विवरणिका		125		**125**	12वीं योजना का लक्ष्य (625) प्राप्त
		(ग) भूमि जल वर्ष पुस्तक		23		**24**	तेलंगाना राज्य समेत
		(छ) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सूचना, शिक्षा एवं संचार)					
		• राष्ट्रीय भूमिजल सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करना • चित्रकला प्रतियोगिता				**सीजीडब्ल्यूबी ने कोलकाता, पटना, चंडीगढ़,रायपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में 6 कार्यशालाएं**	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						आयोजित की । पांचवीं राष्ट्र स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 16 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । राष्ट्र स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में सभी 13 विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया गया। रांची, झारखंड के ब्रिज फोर्ड स्कूल के आंठवीं कक्षा के छात्र अभयम राठौड़ ने 1,00,000 (एक लाख) रूपए का प्रथम पुरस्कार जीता ।	
5	**जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम**	इसमें तकनीकी रिपोर्टें तैयार करना शामिल है। इसमें शोध पत्र प्रकाशित करना/ मैनुअल/ दिशानिर्देश, प्रशिक्षण/ कार्यशाला आयोजित करना इत्यादि भी	**50.00**	तकनीकी रिपोर्टें तैयार करना -229. शोध पत्र का प्रकाशन - 270 कार्यशाला/ सेमिनार/	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य का कार्यान्वयन किया	दिसंबर 14 तक तकनीकी रिपोर्टें तैयार करना-170 शोध पत्र का प्रकाशन-	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		शामिल हैं।		सीमपोजिया/ प्रशिक्षण आयोजित करना-37	जाना है।	229 कार्यशाला/सेमिनार/सीम पोजिया/प्रशिक्षण आयोजित करना-35	
6	**मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण**		50.00				
(क)	**मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम के घटक की सूचना, शिक्षा और संचार।**	लोगों में जल के महत्व और इसके संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।	30.00	जल संरक्षण हेतु **जनजागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसार** 23.8.2014 से 20.10.2014 तक दूरदर्शन राष्ट्रीय, दूरदर्शन न्यूज और 18 क्षेत्रीय केन्द्रों पर 60 सेकेंड की अवधि के वीडियों स्पॉटों का प्रसारण करके इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण के संदेशों का प्रचार किया गया। इनका प्रचार 22.8.2014 से 20.10.2014 तक लोक सभा टीवी पर भी किया गया। इसी प्रकार से 26	23.8.2014 से 24.9.2014	सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				अगस्त, 2014 से 24 सितम्बर, 2014 तक नेशनल न्यूज, विविध भारती (37 केन्द्र), एफएम रेडियों (20 रेनबो+4 गोल्ड) और क्षेत्रीय न्यूज (31 स्टेशन) पर 60 सेकेंड का ओडियो स्पॉट भी प्रसारित किए गए। **चित्रकला प्रतियोगिता** 6, 7 और 8 कक्षा के छात्रों के लिए 'सेव वाटर लिव बैटर" के विषय पर स्कूल स्तर चित्रकला सफलतापूर्वक संपन्न प्रतियोगिता पूरे देश में स्कूलों में अक्टूबर, 2014 से सितंबर, 2014 से आयोजित की गयी थी।. ii. "भविष्य को बचाने के लिए एक बूंद सहेजें" विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला	सितम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक	सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				प्रतियोगिता विद्यालय स्तर प्रविष्टियों में से हर राज्य 50 सर्वश्रेष्ठ छात्रों के बीच 26.11.2014 को देश भर में आयोजित की गयी थी। iii. विषय "भविष्य के लिए जल संचय करें 'पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 28 जनवरी 2015 को आयोजित की गई । मेलों/ प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से प्रचार मंत्रालय ने कोलकाता में, 03-07 सितम्बर, 2014 को सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के माध्यम से 18 वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।	3-7 सितम्बर, 2014	सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				(ii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 14-27 नवम्बर को प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 34 वें संस्करण में हॉल .7-ई में "स्वच्छ नदी-उज्ज्वल भविष्य" के विषय पर एक पंडाल लगाया था **प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्र/पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार।** चित्रकला प्रतियोगिता पर एक रंगीन विज्ञापन 18 अक्टूबर 2014 को देश भर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जारी किया गया । ii हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख समाचार	14 से 27 नवंबर, 2014 18 अक्तूबर, 2014	सफलतापूर्ण संपन्न सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				पत्रों में आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन 20 नवंबर 2014 को 'जल मंथन' के अवसर पर जारी किया गया था। **कार्यशालाओं /सेमिनारों/ सम्मेलनों का आयोजन।** भारत जल सप्ताह, विज्ञान भवन और प्रगति मैदान में 13 से 17 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया। आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2015 का मुख्य विषय "सतत विकास के लिए जल प्रबंधन था । मुख्य विषय को 8 उप विषयों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक उप विषय के अंतर्गत कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए ।	20 नवंबर, 2014 13 से 17 जनवरी, 2015	सफलतापूर्ण संपन्न सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				ii. नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह के आयोजन के साथ देश के जिलों में ''हमारा जल- हमारा जीवन''' कार्यक्रम आयोजित किया गया। **प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शनी** गांधी नगर गुजरात में 8 से 13 जनवरी तक '7 वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो' में मंत्रालय भाग लिया । **जनजातीय उप योजना के तहत कार्य** मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों अर्थात सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जन जातीय उप	8 से 13 जनवरी जनवरी, से मार्च, 2015	सफलतापूर्ण संपन्न सफलतापूर्ण संपन्न	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम/कार्य किए गए ।			
(ख)	**राष्ट्रीय जल अकादमी : राष्ट्रीय जल अकादमी का उन्नयन जारी**	इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करते हुए जल क्षेत्र के सभी पणधारियों के लिए डब्ल्यूआरडीएंडएम की सभी पहलुओं में प्रशिक्षण। प्रचालन एवं अनुरक्षण	6.00	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 32 (ख) राष्ट्रीय जल अकादमी के परिसर और उसकी अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण (ग) नए वाहन की खरीद, नवनिर्मित अतिथि गृह एवं सौध इमारत के शेष भाग की साज-सज्जा	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष भर किए जायेंगे और अनुमोदित प्रशिक्षण कलैन्डर के अनुसार आयोजित किए जाऐंगे। (ख) पूरे वर्ष (ग) मार्च, 2015 तक पूरे किए गए।		
(ग)	आरजीएन भूजल प्रशिक्षण संस्थान	भूमि जल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	7.00	आयोजित प्रशिक्षणों की सं. टियर- I -32	एक वर्ष	टियर - I:- 33 टियर - II - 50	मार्च, 2015 तक टियर-I

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				टियर-II- 50 टियर- III -350		टियर -III - 35	और टियर-II के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जायेंगे। उपलब्ध निधि का उपयोग करके 35 टियर-III प्रशिक्षण पूरे कर लिए जायेंगे।
(घ)	**क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम)**	क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	5.00	60	प्रशिक्षण कैलेंडर 2015-16 के अनुसार		
(ड.)	**जल संसाधन मंत्रालय अधिकारियों का प्रशिक्षण**	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को दिए गए दायित्व के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भारत ओर विदेश में स्थित संस्थाओं में मंत्रालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।	2.00	-	-	-	वर्ष के दौरान प्रशिक्षण नीति अनुमोदित नहीं की गई।
7	**अवसंरचना विकास - सीजीडब्ल्यूबी- भूमि एवं भवन**	स्वयं के कार्यालय भवनों की स्थापना	80.00	निम्नलिखित के कार्यालय इमारत का निर्माण 1. गुवाहाटी में क्षेत्रीय और	1-2 वर्ष	1. कुछ छोटे-छोटे कार्यों को छोड़कर गुवाहाटी में इमारत का निर्माण	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				प्रभागीय कार्यालय 2. बंगलौर में प्रभागीय स्टोर और कर्मशाला 3. भुवनेश्वर में सीजीडब्ल्यूबी के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर 4. भोपाल में प्रभाग-बारह के लिए प्रभागीय स्टोर और कर्मशाला 5. अहमदाबाद में क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालय 6. अंबाला में प्रभागीय कार्यालय, कर्मशाला और स्टोर 7. जम्मू में क्षेत्रीय और प्रभागी कार्यालय के लिए इमारत 8. नया रायपुर में आरजीएनजी डब्ल्यूटीआरआई (आरजीआई) के लिए चारदीवारी और भवन		लगभग पूरा हो गया है। 2. बैंगलोर और भोपाल में भवन निर्माण पूरा हो गया है । 3. 12वीं योजना के ईएफसी के अनुसार शेष सात परियोजनाओं का कार्य मंत्रालय का अनुमोदन/मंजूरी मिलने पर निष्पादित किया जाएगा ।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	अवसंरचना विकास (भूमि एवं भवन) सीडब्ल्यूसी	सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने कर्मचारियों को उत्तम, अच्छी और स्वस्थ कार्य करने की स्थिति प्रदान करने हेतु सीडब्ल्यूसी के कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण		9. चेन्नई में प्रभागीय कर्मशाला और स्टोर के लिए भवन 10. जोधपुर में प्रभागीय कर्मशाला और स्टोर के लिए भवन कोलकाता, गुवाहाटी, पटना में सीडब्ल्यूसी इमारत, हटमेंट्स का निर्माण जारी । इटानगर में चारदीवारी का निर्माण । रोंगपुर, सिलचर में कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के निर्माण का प्रस्ताव है । नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) का आधुनिकीकरण	अधिकांश कार्य सीपीडब्ल्यूडी //सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।	कोलकाता, गुवाहाटी, बालासोर (स्वर्ण रेखा उप प्रभाग) हटमेंट्स में भवन निर्माण जारी रखा गया चार दीवारी के निर्माण का कार्य ईटानगर में जारी रखा गया। रोगंपुर, सिलचर में कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण जारी है। नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) के आधुनिकी करण का कार्य जारी रखा गया। एनपीसीसी के माध्यम से आधुनिक निर्माण कार्य हेतु नये प्रस्ताव के लिए कार्यवाही की गई।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	अवसरंचना विकास-सीजीडब्ल्यूबी (आईटी)	1. 2000 पीसी, प्रिंटर एवं एमएस ऑफिस का आधिप्रापण 2. ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग का डिजाइन एवं विकास		1. 200 पीसी, प्रिंटर और एमएस ऑफिस का अधिप्रापण ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए कार्य प्रवाह अनुप्रयोग का डिजाइन और विकास	1 वर्ष 3 वर्ष	200 पीसी खरीदकर सीजीडब्ल्यूबी के सभी कार्यालयों में लगाए गए । (वित्तीय प्रगति 0.5 करोड़) कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि एनआईसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।	संशोधित प्राक्कलन चरण में कम आवंटन के कारण पीसी के भुगतान और एमएस आफिस का अधिप्रापण नहीं किया गया।
	अवसंरचना विकास स्कीम - ई-गवर्नेंस घटक	तीव्र, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कार्य करने का वातावरण सुदृढ़ करना। जल संबंधी मुद्दों पर जन केन्द्रित सूचना का प्रसार		• भारत सरकार की वेबसाइट संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में मंत्रालय की वेबसाइट का विकास/फिर से डिजाइन करना • रोडमैप परियोजना के अंतर्गत निर्धारित अथवा भारत सरकार द्वारा अनिवार्यत: कार्यान्वित किए जाने वाले निर्धारित आईटी/	31.12.2014 (एनआईसी/संबंधित अभिकरण के प्रस्ताव के अनुसार)	• जल संसाधन क्षेत्र के लोगों/विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु देश में एक व्यापक वेबसाइट उपलब्ध है जिसमें मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यो और जल संसाधनों के विषय में पूरी सूचना दी गई है। एनआईसी ने दिनांक 11.6.2014 को इस मंत्रालय की नई	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन		वेबसाइट शुरू की है। • मंत्रालय का फेसबुक पृष्ठ 12.11.2014 को शुरू किया गया। • मंत्रालय के प्रमुख कार्य और उपलब्धियों के विषय में एक ई-बुक तैयार करके दिनांक 26.12.2014 को अपलोड की गई। इसे उपयुक्त ढंग से ई-बुक फार्मेट में तब्दील किया गया था। • मंत्रालय की ई-गवर्नेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस बजट शीर्ष से हार्डवेयर खरीदा गया जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर,यूपीएस आदि शामिल हैं ।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	जीए - आईटी **जीए - भूमि एवं भवन**	कंप्यूटरों, प्रिंटरों, स्कैनरों, लैपटॉप, यूपीएस, विविध कार्यकारी मशीन, डिजीटल कॉपीयर, उपयोज्य मदों का अधिप्रापण		ई-गवर्नेंस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आंकड़ा आधार की नेटवर्किंग के साथ-साथ आधुनिक आईटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अधिप्रापण, उन्नयन तथा रखरखाव	एक्सपी विंडो को बदलना एक समय खफाऊ प्रक्रिया है, कुछ लक्ष्य अगले वर्ष में चले गए हैं। कमरों का नवीकरण अगले वर्ष किया जाएगा।	डेस्कटॉप कंप्यूटरों, और तत्संबंधी उपकरणों का अधिप्रापण फोटोकॉपियर मशीनों, स्कैनरों की खरीद, फोटो कॉपियरों की एएमसी, यूपीएस की एएमसी । मंत्रालय में आईपीवी-6 के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना उपलब्ध कराना । ई-गवर्नेंस/ई-आफिस के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना उपलब्ध कराना ।	
8	**नदी बेसिन प्रबंधन**		250.00				
क	**नदी बेसिन संगठन**	स्कीम अनुमोदन के चरण में है।	1.00				
ख	**जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच**	नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में सर्वेक्षण, फील्ड जांच और अंतर-राज्यीय संपर्क प्रस्तावों की पूर्व साध्यता रिपोर्ट/एफआर/डीपीआर तैयार करना और उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सांयोगिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझे गई गतिविधियों से संबंधित कार्यकलापों को	105.00	**(क) हिमालयी घटक की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच** 1. मानस-सनकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) संपर्क 2. जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क (एम-एस-टी-जी का	अन्वेषण कार्य/ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य एक से अधिक वर्ष में किया गया है और इन्हें बाद के वर्षों में ले जाया	1. एवं 2. एनडब्ल्यूडीए ने जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एम-एस-टी-जी का विकल्प) से बचने के लिए मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा का वैकल्पिक अध्ययन किया है । एम-एस-टी-जी संपर्क के वैकल्पिक प्रस्ताव	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		करना।		विकल्प) 3. सोन बांध-एसटीजी संपर्क 4. कोसी-घागरा संपर्क	गय है ।	में मानस बाघ अभ्यारण्य तथा बक्सा बाध अभ्यारण्य व अन्य वनों को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए, एनडब्ल्यूडीए ने एमएसटीजी संपर्क का वैकल्पिक संरेखण किया है जिससे एमएसटीजी और जेटीएफ संरेखण आपस में मिल गए हैं । वैकल्पिक संरेखण का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण चल रहा है । 3. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य प्रगति पर है । 4. भारतीय भाग के संपर्क का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है ।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				(ख) पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क और महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-वैगई-गुंडार संपर्क प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया ।	मार्च, 2015	जल संसाधन मंत्रालय/ एनडब्ल्यूडीए ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क की डीपीआर तैयार करने हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के लिए संबंधित राज्यों- मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया है। 8 संपर्क प्रणाली के तहत संपर्कों पर सहमति बनाने का कार्य प्रगति पर रहा। एनडब्ल्यूडीए ने मणिभद्रा बांध स्थल की अपेक्षा अन्य जगह से महानदी के जल के डाइवर्जन के लिए महानदी की टेलअप-बेसिन में विविध वैकल्पिक अध्ययन किए हैं ।	ओड़िशा के जल संसाधन विभाग के सुझाव पर, एनडब्ल्यूडीए ने महानदी-गोदावरी संपर्क परियोजना का संशोधित प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें आप्लावन कम होगा । महानदी-गोदावरी संपर्क परियोजना के संशोधित प्रस्ताव पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ
				(ग) राज्य सरकारों के प्रस्तावों के अनुसार अंतर-राज्यीय संपर्क प्रस्तावों की साध्यता पूर्व रिपोर्टें	मार्च, 2015	वर्ष 2014-15 में दो साध्यता पूर्व रिपोर्ट पूरी हुई	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				तैयार करना। **(घ) केन-बेतवा संपर्क परियोजना चरण-I का डीपीआर चरण के बाद का कार्य** **(ड.) केन-बेतवा संपर्क (चरण-II) की डीपीआर तैयार करना** (च) पार-तापी-नर्मदा संपर्क की डीपीआर तैयार करना **(छ) अंत:राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करना** **(i) बराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क** **(ii) वेनगंगा-नलगंगा (पूर्णा तापी) संपर्क**	डीपीआर तैयार करने में 3-4 वर्ष लगते हैं । 12वीं योजना के दौरान पूरा करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष भर कार्य जारी रहा।	सीडब्ल्यूसी ने तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया है। पर्यावरणीय,वन्य जीव और वन स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है । पर्यावरणीय, वन्य जीव और वन स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । पार-तापी-नर्मदा की डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी रहा । डीपीआर तैयार करने का	अधिकारियों ने दिनांक 29.05.2015 को ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति पेश की। इस संबंध में ओडिशा सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है । ओडिशा सरकार एनडब्ल्यूडीए द्वारा संपर्क परियोजना के किए गए जल संतुलन अध्ययनों से सहमत नहीं है। एनडब्ल्यूडीए संशोधित

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	आईडीडब्ल्यूआरडी-सीडब्ल्यूसी	जल संसाधन विकास हेतु पता लगाई गई परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य		**(iii) पोन्नियार-पालार संपर्क** **1) त्वांग चू, उझ, किरथई-।।, सुंतले, कालेज खोला एचईपी की डीपीआर तैयार करना** **2) खोबई और रूकनी सिंचाई परियोजना मानस-सनकोश-तीस्ता संपर्क नहर, ग्यास्पा परियोजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य जारी रहा** **3. भूटान में सनकोश बेसिनमें 4 केन्द्रों पर जल विज्ञानीय एवं भूकंप विज्ञानीय प्रेक्षण जारी रहा।** **4. वाप्कोस द्वारा सीतामढ़ी जिले में अधवारा नदी समूह की साध्यता रिपोर्टें तैयार करना**		कार्य जारी रहा 1. उझ और किरथई-।। एचईपी की डीपीआर प्रस्तुत की 2. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य जारी रहे तथा त्वांग चू, एचईपी खोवई और रूकनी सिंचाई परियोजना का जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा सनकोश बेसिन में जल विज्ञानीय एवं भूकंप विज्ञानीय प्रेक्षण 3. वन विभाग से स्वीकृति की अनुपलब्धता और बांध के अक्ष स्थानांतरित करने के कारण क्रमश: सुतले एवं कालेज खोला एचईपी का कार्य रोक दिया गया । 4. परियोजना क्षेत्र में स्थानीय बाधाओं के कारण ग्यास्पा परियोजना का कार्य चल नहीं सका । 5. अधवारा नदी समूह के संबंध में वाप्कोस को एनआरएससी से उपग्रह चित्र	प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						प्राप्त हुए । 6. नई परियोजनाओं (काली खोला एवं तारूम चू एचईपी, सिक्किम, त्वांग मिजोरम) का कार्य शुरू हुआ ।	जाएगी । ।
ग	**सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन**	स्कीम अनुमोदन के चरण में है (ईएफसी द्वारा सिफारिश नहीं की गई है)	1.00				
घ	**ब्रह्मपुत्र बोर्ड**	✓ 'सर्वेक्षण और जांच' और निम्नलिखित को तैयार करना- o मास्टर प्लान o जल निकासी विकास स्कीम के लिए डीपीआर	143.00	✓ 'सर्वेक्षण और जांच' और निम्नलिखित को तैयार करना- o 3 मास्टर प्लान o डीडीएस की डीपीआर	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कार्य	✓ 'सर्वेक्षण और जांच' और निम्नलिखित को तैयार करना- o 2 प्रारूप मास्टर योजनाएं पूरी o डीडीएस हरिया-	नदी बेसिन प्रबंधन

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		○ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डीपीआर ✓ कटाव रोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन ✓ जल निकास विकास स्कीमों का निष्पादन ✓ एनईएचएआरआई का प्रचालन और अनुरक्षण तथा उन्नयन ✓ बोर्ड द्वारा मुख्यालय परिसर का निर्माण और सृजित संपत्ति का आर एवं एम ✓ ऊंचे उठाए गए प्लेटफार्मों का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के चैनलीकरण का साध्यता अध्ययन		○ कुल्सी एमपी का डीपीआर ✓ कटाव रोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन • माजुली द्वीप की सुरक्षा - चरण-II और III - 23.52% • धोला हाथीगुली-चरण- IV में ब्रह्मपुत्र का एवल्सन-0.2% • बलात गांव, मेघालय- 35% • मानकछार, कलायरलगा, असम- 50% मसलाबारी क्षेत्र, असम- 50% ✓ जल निकासी विकास स्कीमों का निष्पादन		ननोई की 2 डीपीआर को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ○ कुल्सी एमपीपी की डीपीआर पूर्ण ✓ कटाव रोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन • माजुली द्वीप-चरण-II और III की सुरक्षा कार्य का 12.03% पूर्ण • शेष कार्य प्रगति पर है। • कार्य आदेश जारी • इन स्कीमों के लिए निष्पादन संबंधी निविदा देने की प्रक्रिया	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				○ बरभाग डीडीएस का 25% कार्य ○ अमजुर डीडीएस का 30% कार्य ○ जांगराई का 50% ○ जकाइचुक का 35% ✓ एनईएचएआरआई का आर एवं एम ✓ बोर्ड द्वारा सृजित सम्पत्ति का आर एवं एम ✓ 1 ऊंचे उठाए गए प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी के चैनलीकरण का साध्यता अध्ययन		शुरू कर दी गई है। ✓ जल निकास विकास स्कीमों का निष्पादन ○ बरभाग डीडीएस में जल निकासी की समस्या के कारण प्रगति शून्य है। ○ डीपीआर की पुनर्समीक्षा के कारण अमजुर डीडीएस की प्रगति रूकी हुई है। ○ जैंगराई डीडीएस के स्लुइस के निर्माण के निष्पादन हेतु दो बार निविदा आमंत्रित करने के बाद भी	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						निविदाकारों की ढ़ीली प्रतिक्रिया ○ जकाइचुक डीडीएस का 26% पूरा कर लिया गया है। ✓ जारी ✓ गतिविधि जारी ✓ ऊपर उठाए गए बरबालाचार प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूर्ण ✓ कार्य प्रगति पर	
9	**नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती नदियों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य**	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधन तथा समुद्री कटाव रोधन कार्य, कोसी और गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण	175.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, और ii.पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण iii संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी	कार्य सीडब्ल्यूसी, गंगा बांढ़ नियंत्रण आयोग और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अन्य सीमावर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किये जाएंगे	बांग्लादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल विज्ञानीय प्रेक्षण जारी (ii) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ से संबंधित आंकड़ों अंतरण जारी (iii) सप्त कोसी सनकोशी परियोजनाओं की संयुक्त विस्तृत	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				iv साझी/सीमा नदियों पर विकास कार्य। (v) संघ राज्य क्षेत्रों का कटावरोधी और समुद्र कटावरोधी कार्य (vi) कोसी और गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) की बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव		रिपोर्टें तैयार करने का कार्य जारी। स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य की प्रगति नहीं हो सकी है। (iv) रूपालीगाद कार्यस्थल पर पंचेश्वर परियोजना के लिए जांच का कार्य जारी है लेकिन क्योंकि कार्य स्थल नेपाल के क्षेत्र में स्थित होने के कारण नेपाल पक्ष से उचित सहयोग की कमी के कारण प्रगति नहीं हो सकी है।	
10	**फरक्का बैराज परियोजना** • बैराज की सुरक्षा के लिए संरक्षात्मक	• फरक्का बैराज और उसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव तथा चरणबद्ध ढंग से गेटों को	150.00	• मुख्य बैराज गेटों की विशेष मरम्मत/बदला जाना	क्षेत्र की असुरक्षा/जोखिम	1212.00	सीमित कार्य समय के

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	उपायों सहित बैराज तथा आनुषंगिक संरचना का प्रचालन और अनुरक्षण • नेवीगेशनल लॉक आदि सहित फीडर नहर और आनुषंगिक संरचनाओं का अनुरक्षण और संरक्षात्मक उपाय	बदलना • फीडर नहर का रखरखाव और स्काउट पॉकेटों को भरना		• फीडर नहर और नौचालन लॉक का प्रचालन अनुरक्षण • फरक्का बैराज के गंगा/पद्मा नदी और वितरिकाओं के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह के साथ 6540 मीटर की लंबाई में नियमित और आकस्मिक कटावरोधी कार्य निष्पादित।	के आधार पर कार्यों का पता लगाया जाता है और एफबीपी की टीएसी के अनुमोदन के बाद निर्धारित किए जाते हैं ।	619.00	कारण 33 गेटों को बदलने के कार्यों में धीमी गति के कारण व्यय कम हुआ। एनटीपीसी से गैर उपयोगी कोयले के पत्थरों की अनुपलब्धता के कारण बागमारी साइफन के स्काऊट पॉकेट को भरने का कार्य पहले बंद हो जाने के कारण व्यय कम हुआ। इसके अतिरिक्त, फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक के नवीकरण/ आधुनिकीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब हुआ जिससे आगे

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
							के सुधारात्मक उपायों को अंतिम रूप देने पर प्रभाव पड़ा।
	• जांगीपुर बैराज-गेटों एवं आनुषंगिक संरचनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण, गंगा/पद्मा नदी के एफलक्स बंद के लिए सुरक्षा उपाय	• जांगीपुर बैराज का रखरखाव और बैराज गेटों की मरम्मत		• 70%		7.00	जांगीपुर बैराज का प्रचालन और अनुरक्षण
	• फरक्का, जांगीपुर और खजुरिया घाट में टाउनशिप, बैराज अस्पताल एफबीपी एचएस स्कूल, सड़क, भवन, नाला, वैद्युतिक कार्य, वाहन, औजार आदि अनुरक्षण	• लगभग 2700 आवासीय इकाइयों की टाउनशिप का रखरखाव		• परियोजना कालोनी, इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों, अतिथि गृहों आदि का अनुरक्षण 90 प्रतिशत		1448.61	
	• भूतनीदियरा सहित	• एफबीपी के गंगा/पद्मा प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में नियमित		• गंगा/पद्मा/भगीरथी		2916.00	टीएसी की

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी बंगाल में फरक्का बैराज और गंगा नदी की वितरिकाओं के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में गंगा/पद्मा नदी के साथ कटावरोधी और बाढ़ प्रबंधन कार्य	और आपाती समुद्री कटावरोधी कार्य		नदी के किनारे विभिन्न स्थलों पर कटावरोधी कार्य			सिफारिश पर कटावरोधी कार्य शुरू और समाप्त किया गया ।
11	**राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन (एनडब्ल्यूएम)-नई स्कीमें**	जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य 'जल का संरक्षण जल के अपव्यय को कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों में और राज्यों के बीच इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना' है। मिशन के 5 लक्ष्य हैं और विभिन्न कार्य नीतियां अभिज्ञात की गई हैं।	40.00	1. राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय की स्थापना	31.03.2015	वर्ष 2014-15 में 1.29 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं। 1. राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण 2. राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना। दिशानिर्देश तैयार किए गए और विभिन्न राज्यों से पहले चरण में उनके एसएसपी तैयार करने का अनुरोध किया गया है।	एनडब्ल्यूएम XIIवीं योजना का कार्यान्वयन-नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। दिनांक 25.10.2013 को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम का अनुमोदन दिया गया था और दिनांक

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. एनआईआरडी एवं पीआर, एलबीएसएनएनए, आरजीएनजीडब्ल्यूटीआर वाई, सीडब्ल्यूआरडीएम, टीआईएसएस, एनडब्ल्यूए जैसी राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं से तालमेल करके मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण किया जा रहा है । जल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । भागीदारी सिंचाई प्रबंधन के जल प्रयोक्ता संघों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । 4. राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यरो की स्थापना। राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरों की स्थापना का प्रस्ताव मंत्रालय में चल रहा है।	27.11.2013 को मंजूरी आदेश जारी किया गया था। एनडब्ल्यूएम गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						5. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 बृहत, मध्यम परियोजनाओं के जल उपयोग दक्षता के संबंध में आधारभूत अध्ययन के प्रस्ताव चलाए जा रहे हैं । कार्य, डब्ल्यूएएलएमआई, औरंगाबाद; डब्ल्यूएएलएएमटीएआर आई, हैदराबाद; एनईआरआईडब्ल्यूएएलए एम, तेजपुर द्वारा दो चरणों में किया जाना है। 6. प्रदर्शनात्मक/ मानक परियोजनाएं तैयार करना । एनडब्ल्यूएम ने राज्य सरकारों से परामर्श करके सिंचाई के क्षेत्र में प्रदर्शनात्मक	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
						परियोजनाएं चलाने हेतु कार्य शुरू किया है।	
12	**सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम**	सिंचाई प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना	1.00	-	-	वर्ष के दौरान स्कीम को अनुमोदन नहीं मिला।	
13	**बांध पुनरूद्धार एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)**	सहभागी राज्यों में डीआरआईपी का समन्वय अौर पर्यवेक्षण तथा सीडब्ल्यूसी का बांध सुरक्षा सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण	30.00	अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन परामर्शदाता फर्मों की सेवाएं भुगतान के आधार पर लेना	डीआरआईपी संबंधी कार्यान्वयन अविध 6 वर्ष है। डीआरआईपी बांधों के पुनरूद्धार कार्यों के चरण के अनुसार निर्माण कार्य किया जाएगा।	1. 50 डीआरआईपी बांधों की डिजाइन बाढ़ समीक्षा 2. बाढ़ सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) द्वारा 22 बांधों का निरीक्षण, केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के बांध सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा 40 बांधों का निरीक्षण और सीपीएमयू के गुणवत्ता और निर्माण विशेषज्ञ द्वारा 10 बांधों का निरीक्षण 3. 40 बांधों के लिए (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तर्ज पर)	दिसम्बर, 2014 तक डीआरआईपी में कुल निधि का उपयोग सं.प्रा. 14.30 करोड़ रूपये की तुलना में 7.107 करोड़ रूपये है।

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						परियोजना जाँच टेम्पलेट का अनुमोदन 4. नौ बांधों के लिए निविदा दस्तावेजों का अनुमोदन; 6 बांधों के लिए काम प्रदान करना। 5. लगभग 300 अधिकारियों को लाभ पहुँचाने वाले बांध सुरक्षा, आपातकालीन कार्य योजना, खरीद प्रक्रिया, और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर कुल 11 प्रशिक्षण का आयोजन 6. चार मसौदा दिशानिर्देशों नामत: 'आपातकालीन कार्ययोजना', 'बांध में दरार का	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						विश्लेषण', 'ठोस और अर्थफिल बांधों के भूकम्परोधी पुनरूद्धार डिजाइन के लिए दिशानिर्देश' और बृहत बांधों का जोखिम वर्गीकरण 7. सामान्य जन के लिए सूचना के प्रसार हेतु डीआरआईपी संबंधी वेबसाइट (http://damsafety.in/) सभी डीआरआईपी कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेजों की साझेदारी सहित कार्यान्वयन अभिकरणों के क्रास लर्निंग को प्रोत्साहित करना, कार्यगति की स्थिति को जांचना और विश्लेषण के लिए मेटा आंकड़ा को लेने सहित अंतिम मुख्य दस्तावेजों को	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						अपलोड करना। 8. अप्रैल, 2015 तक आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लक्ष्य से जुड़े केन्द्रीय बांध सुरक्षा संगठन के लिए लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन। 9. कर्नाटक को उनके 27 बांधों के पुनर्वास के लिए नए राज्य के रूप में डीआरआईपी में शामिल किया गया है।	
14	**महाराष्ट्र की बोडवाड परिसर सिंचन योजना**	राज्य सरकार को अनुदान जारी किया गया	200.00	-	-	-	महाराष्ट्र सरकार को एक बारगी अनुदान जारी किया गया।
15	**त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम**	एआईबीएफएमपी के तहत परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन	50.00	-	-	-	वर्ष के दौरान स्कीम

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन (एआईबीएफएमपी)						अनुमोदित नहीं की गई।
16	**पोलावरम परियोजना प्राधिकरण**	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार पोलावरम परियोजना का कार्यान्वयन । विशाखापट्टनम, इस्पात संयंत्र को आपूर्ति । कृष्णा नदी बेसिन को वर्ष में 80 टीएमसी जल अंतर की परिकल्पना है।	250.00	मौजूदा आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना (जिसे इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना के रूप में भी जाना जाता है) 2.91 लाख हेक्टेयर की आकलित कृषि योग्य कमान क्षेत्र और 960 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें विशाखापट्टनम शहर और अन्य क्षेत्रों के लिए डी लिंकिंग जल आपूर्ति और विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र को भी औद्योगिक जल आपूर्ति के रूप में, 23.44 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) की आपूर्ति का भी प्रावधान है। कृष्णा नदी बेसिन को वार्षिक 80 टीएमसी जल का अंतर-बेसिन	प्रकिया/ समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	राज्य सरकार से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				स्थानांतरण भी अभिकल्पित है।			
17	**राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए, कार्यक्रम को बेहतर दक्षता के साथ पूरा करने के लिए बजट प्रावधान है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जल संसाधन मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है।	537.00	वाराणसी में डब्ल्यूबी द्वारा सहायता प्राप्त और जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना को यहां शामिल किया गया । दिल्ली में जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त यमुना कार्य योजना के तहत 10 परियोजनाओं को 950 एमएलडी एसटीपी क्षमता के पुनर्वास के लक्ष्य सहित मंजूरी दी जाएगी। एनजीआरबीए के तहत गैर ईएपी परियोजनाओं को यहां शामिल किया गया है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों पर चालू गैर ईएपी परियोजनाओं को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को	एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत अभिज्ञात परियोजनाओं को 2020 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। जेआईसीए सहायता प्राप्त यमुना कार्य योजना-।।। के तहत परियोजनाओं को 2018 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। ये परियोजनाएं 2020 तक पूरी होंगी।	इस योजना के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के लिए प्रदूषण निवारक उपाय, नदी तट विकास, वनरोपण और जलीय जीवन का संरक्षण, संचार और सार्वजनिक आउटरीच, जल गुणवत्ता निगरानी आदि तथा अविरल और निर्मल गंगा सुनिश्चित करने के लिए मानकों और अन्य नीति पहलों को लागू करना शामिल है।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				हस्तांतरित किया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।			
18	**राष्ट्रीय गंगा योजना (एनसीईएफ के तहत बकाए से पूरा करना)**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। गंगा सफाई के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि को राष्ट्रीय सफाई ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से पूरा किया जाना है।	1500.00	**5** गंगा राज्यों के 49 नगरों में 74 स्कीमों, 5 सांस्थानिक विकास परिजनाएं और स्वचालित जलगुवत्ता निगरानी तथा गंगा ज्ञान केन्द्र सहित एक कार्यान्वयन सहायक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 702.23 एमएलडी की परिशोधन क्षमता (पुरानी एसटीपी के पुनर्वास के लिए 64 एमएलडी सहित) सृजित की जाएगी जिसमें से अब तक 123 एमएलडी की एक उपचार क्षमता सृजित कर ली गई है। 2015-16 के दौरान एनजीआरबीए के तहत 126.5 एमएलडी की सीवेज परिशोधन क्षमता लक्षित है।	गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए खासकर लघु और मध्यम अवधि के तहत किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से, 2020 के संदर्भ में 'नमामि गंगे' के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों की शामिल करते हुए एनजीआरबीए के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा दर्शाई गई है। तथापि दीर्घावधि कार्ययोजना के	इस योजना के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के लिए प्रदूषण निवारक उपाय, नदी तट विकास, वनरोपण और जलीय जीवन का संरक्षण, संचार और सार्वजनिक आउटरीच, जल गुणवत्ता निगरानी आदि तथा अविरल और निर्मल गंगा सुनिश्चित करने के लिए मानकों और अन्य नीति पहलों को लागू करना शामिल है।	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
					तहत कार्य, आईआईटी संघ के गंगा नदी बेसिन परियोजना पर आधारित होगी, इसका पहला मसौदा 31 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गया है और वर्तमान में इस मंत्रालय में जांचाधीन है।		
19	**नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी डीपीआर**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट प्रावधान है।	100.00				वर्ष के दौरान स्कीम अनुमोदित नहीं हुई
20	**नदी तटों के सौंदर्यीकरण हेतु घाट विकास कार्य**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। नदी तट विकास और इसके घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए बजट प्रावधान है।	100.00	प्रस्तावित घाट विकास/नदी तट परियोजनाओं के लिए 7 नगरों की पहचान की गई है जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।	ये परियोजनाएं 2020 तक पूरी कर ली जाएंगी।	इस योजना के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के लिए प्रदूषण निवारक उपाय, नदी तट विकास,	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						वनरोपण और जलीय जीवन का संरक्षण, संचार और सार्वजनिक आउटरीच, जल गुणवत्ता निगरानी आदि तथा अविरल और निर्मल गंगा सुनिश्चित करने के लिए मानकों और अन्य नीति पहलों को लागू करना शामिल है।	
21	**एनसीटी के लिए जल परियोजनाएं**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है । बजट प्रावधान एनसीटी, दिल्ली की जलापूर्ति में सुधार करने के लिए है। इस राशि में रेणुका बांध के लिए प्रावधान भी शामिल है ।	500.00			270 करोड़ रूपये एनसीटी दिल्ली को जल परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं।	एनसीटी दिल्ली सरकार को दिल्ली में जल क्षेत्र में सुधार के लिए 500 करोड़ रूपये के मुकाबले 320 करोड़ का एक बारगी अनुदान दिया गया ।
22	**त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम**						

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
i	**एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाएं**	राज्य सरकारों को निर्माण के उन्नत चरण में चल रही उन चालू बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं को (क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने और (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान जारी किया जाता है, जो राज्य सरकार की संसाधन क्षमता से बाहर होती हैं । 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता सृजित करने वाली एसएमआई परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्यों को अनुदान जारी किया गया ।	6265.22	निधि का अनुमान, 149 चल रही परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए लगाया गया है । राज्य सरकार की मांग पर संबंधित राज्य सरकार को एसएमआई स्कीम के तहत निधि जारी की गई ।	1अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है । 1अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है ।	राज्य सरकार से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं । राज्य सरकार से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं ।	एआईबीपी में शामिल परियोजनाएं, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जानी है । बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि 5 वर्ष है जिसमें उन्हें एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष भी शामिल है ।
ii	**कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)**	राज्य सरकारों को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान जारी किया जाता है । **XII**वीं योजना के दौरान प्रत्येक नई परियोजना का कम से कम 10% कृषि कमान क्षेत्र (सीसीए) सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाना है।	**1077.00**	राज्य सरकारों को उनकी मांगों के अनुसार अनुदान जारी किया गया । मात्रात्मक परिणाम हैं: **(i) 3.5** मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 प्रगति की तिमाही आधार पर	राज्य सरकार से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं ।	प्रगति, राज्यों से पूर्णरूपेण प्रारूप प्राप्त होने पर निर्भर करती है ।

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				जाने का लक्ष्य है । **(ii)** केंद्रीय सहायता जारी की गई ।	निगरानी की जा रही है।		
iii	**जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर)**	राज्य सरकारों को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार के लिए अनुदान जारी किया जाता है।	750.00	राज्योंको उनकी मांग के अनुसार अनुदान जारी किया गया । मात्रात्मक परिणाम हैं:- **(i)** 0.40 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है **(ii)** केन्द्रीय सहायता जारी करना है ।	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तिमाही आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है।	राज्य सरकार से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं ।	राज्यों से पूर्ण रूप से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर प्रगति निर्भर करती है ।
iv	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	विभिन्न राज्य सरकारों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जलनिकासी विकास, बाढ़ रोधन, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार और समुद्री कटाव रोधन संबंधी कार्यों, आवाह क्षेत्र सुधार और संबंधित डीपीआर के कार्य के लिए वित्तीय सहायता देना ।	**900.00**	**(i)** गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य **(ii)** कटाव-रोधी कार्य, जलनिकासी विकास कार्य **(iii)** देश के गंभीर क्षेत्रों में समुद्र कटाव-रोधी कार्य **(iv)** आवाह क्षेत्र सुधार कार्य और संबंधित डीपीआर **(v) XII**वीं योजना के दौरान एफएमपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए कुल 97	परियोजना को पूरा करने की समयावधि सामान्यत: 2 से 4 वर्ष होगी ।	दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह गतिविधि राज्यों को बाढ़, नदी तट कटाव, समुद्र तटीय कटाव के कारण क्षति को कम करने में और चयनित नदी आवाहों में गाद से कटाव में कमी लाने में	

क्र.सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट प्राक्कलन 2014-15	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिव्यय	प्रक्रिया/ समय सीमी	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलब्धियां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। .		सहायक होगी। चालू और नए कार्यों के लिए 12वीं योजना के 2012-13 और 2013-14 में कार्यक्रम के तहत 572.85 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी।	
		कुल: एआईबीफएमपी	8992.22				
23	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**		1000.00				वर्ष के दौरान स्कीम अनुमोदित नहीं हुई और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समन्वित की जाती है ।
		कुल योग	**14737.00**				

2015-16 का निष्पादन

अनुलग्नक - II

(अध्याय -IV)

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)**		81.00				
	मौजूदा एचओ स्टेशनों का उन्नयन और नए एचओ स्थलों की स्थापना करना	1) हिम जल विज्ञान, जलगुणवत्ता तथा ग्लेशियर झीलों की निगरानी सहित जल विज्ञानीय प्रेक्षण कार्यकलापों को जारी रखना। 2) आधुनिक तकनीकों तथा उपस्करों के साथ जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार तथा आधुनिकीकरण । 3) जल वर्ष पुस्तक के रूप में आंकड़ों का संग्रह, संकलन, भण्डारण, प्रसार, विश्लेषण और प्रकाशन।		878 स्थलों पर आंकड़ों का प्रेक्षण जारी रहे और विभिन्न प्रयोजनों के लिए जी एवं डी स्थलों तथा हिम प्रेक्षण स्थलों पर आंकड़ा एकत्रीकरण का कार्य जारी रहेगा । वर्तमान स्थलों का उन्नयन, नये केन्द्रों की स्थापना करके आंकड़ा प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार ।	स्थापित प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के अनुसार जल मौसम वैज्ञानिक, हिम प्रेक्षण, जल गुणवत्ता प्राचलों का दैनिक आवधिक प्रेक्षण पूरे वर्ष जारी रहेगा ।		
	देश में बड़े जलाशयों के संबंध में भंडारण आंकड़ों का संग्रह	उन 120 जलाशयों का जलाशय जल स्तर संग्रह करना, जिसका साझा भंडारण टेलीमेट्री प्रणाली द्वारा सीडब्ल्यूसी द्वारा मॉनीटर करने का प्रस्ताव है ।		**87** जलाशयों में जल स्तर के स्वचालित सैंसरों और टेलीमेट्री प्रणाली की संस्थापना ।	बारहवीं योजना अवधि में पूरे किए जाने वाले कार्यक्रम के भाग के रूप में		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
					कार्यकलाप पूरे वर्ष जारी रहने हैं ।		
	तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास (सीएमआईएस)	डेटा संग्रह और प्रलेखन (6 साइटों) सहित तलछट सेल / तलछट बजट आदि को परिभाषित करने के कटाव / तलछट परिवहन के कारणों / का निर्धारण तटीय डेटा का संग्रह, विश्लेषण, प्रसंस्करण और एकता डब्ल्यूआरआईएस में सीपीडीएसी का सुदृढ़ीकरण / यह समुद्र तट कटाव निदेशालय के सुदृढ़ीकरण उप समितियों, क्षेत्रीय दौरे, प्रशिक्षण / अध्ययन दौरे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, है। आदि उत्कृष्टता का एक केंद्र, मैनुअल, निर्देश, कार्यशाला / संगोष्ठी की तैयारी		दो स्थल चालू करना और आंकड़ा एकत्रीकरण सीपीएडीसी और इसकी उपसमितियों की बैठक आयोजित करना । समुद्र तट कटाव निदेशालय का सुदृढ़ीकरण ।	क्रियाकलाप पूरे वर्ष जारी रहेंगे ।	एक बैठक में आईआईटी, मद्रास के साथ आयोजित की गयी थी और 66 करोड़ के लिए अपने अनुमान पर चर्चा की गई। इसे संशोधित करने और एक ही प्रस्तुत करने के लिए वे सूचित किया गया था। एनआईओ गोवा में भी इसी तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।	
	सिंचाई गणना		0.00				
	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)	पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके देश में 5 लघु सिंचाई जनगणना।		1. क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राज्यों को धन जारी करना।	5 लघु सिंचाई जनगणना (यानी फील्ड कार्य व पर्यवेक्षण आदि)	1. सात राज्यों ने फील्ड कार्य पूरा कर लिया है और इनमें से पांच राज्यों को उनकी	दिसंबर 2014 तक व्यय 19.57 करोड़ रूपए है।

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए डाटाएंट्री/वैलिडेशन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण 3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डाटाएंट्री/वैलिडेशन 4 जनगणना आंकड़ा प्राप्त करना और केन्द्रीय स्तर पर जनगणना आंकड़ों की जांच।	के संबंध में क्रियाएँ साल भर जारी रखना।	आवश्यकता के आधार पर दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। सात और राज्यों ने भी फील्ड कार्य का 85 प्रतिशत से भी अधिक कार्य कर लिया है। 2. पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहली किस्त की आंशिक/पूर्ण राशि जारी की गई है। 3. एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित की गई है। 4. चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय आंकड़ा प्रक्रियान्वयन कार्यशालएं आयोजित की गई थी जिनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कर्चचारियों को पांचवी लघु सिंचाई गणना के साफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया था।	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की गणना	आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रथम चरण में शामिल आठ परियोजनाओं के आउटलेट के स्तर पर जनगणना के आंकड़ों का संग्रह (द्वितीय चरण)		चरण-। में शामिल 8 परियोजनाओं के संबंध में चरण-।। के दौरान आऊटसोर्सिंग के माध्यम से आऊटलेट स्तर पर आंकड़ों को संग्रह किया जाना।	कार्य को प्रदान करने के समय पर निर्णय लिया जाएगा ।		प्रायोगिक गणना के चरण 1-के सफलतापूर्वक करने के पश्चात् ही चरण 2-को आरंभ किया जाएगा ।
	जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण और निगरानी प्रणाली	डब्ल्यूक्यूएए को सौंपी गई गतिविधियों को करने के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करना		1. जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में एक समान प्रोटोकोल (यूपीडब्ल्यूक्यूएन), 2. डब्ल्यूक्यूएए की बैठकों का आयोजन करना 3. जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण/कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन 4. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/लघु पाठयक्रम	क्रियाकलाप जारी रखे जायेंगे ।		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				चलाना।			
	सीडब्ल्यूसी में निगरानी इकाई का सुदृढ़ीकरण	वृहत और मध्यम सिंचाई तथा बहुद्देशीय परियोजनाओं को मोनीटर करना ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो सकें । जल संसाधन परियोजनाओं तथा संबंधित विषयों की राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रणाली विकसत करना । रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए आईपी सृजन का मूल्यांकन करना ।		वृहत और मध्यम परियोजनाओं की निगरानी। एआईबीपी घटक चरण-।। में शेष क्षमता के विवरण सहित एनआरएससी द्वारा 13 चयनित परियोजनाओं के लिए कार्टोसैट उपग्रह आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य में एनआरएससी के समान अपरिष्कृत उपग्रह चित्रों एवं क्षमता आकलन अध्ययन का उपयोग करने के लिए सीडब्ल्यूसी में इनहाऊस क्षमता विकसित करने हेतु एनआरएसई प्रयोक्ता मैनुअल के अनुसार भुवन पोर्टल का उपयोग करते	क्रियाकलाप योजना अवधी के दौरान जारी रहेंगे		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				हुए प्रौयोगिक अध्ययन करना।			
	डाटा बैंक और सूचना प्रणाली						
	वेब-आधारित जल संसाधन सूचना प्रणाली और नेशनल वाटर इनफारमेटिक सेंटर स्थापित करना	1:50,000 के पैमाने पर वाटरशेड एटलस का सृजन और देश की वैब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना । राष्ट्रीय जल संसाधनों की योजना बनाने के लिए बेसिन वार जल उपलब्धता का पुन: आकलन करना।		**(i)** इंडिया डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल का उन्नयन एवं सुधार कार्य **(ii)** देश के 19 बेसिनों में जल की उपलब्धता का पुन: आकलन करना।	क्रियाकलाप योजनावधि के दौरान जारी हैं ।		जल गुणवत्ता के बेसिन वार पुनआकलन : के लिए यन अध्य सरकार के अनुमोदन के बाद आरंभ किए जा सकते हैं ।
	सीडब्ल्यूसी में पुस्तकालय सूचना ब्यूरो का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	पुस्तकालय में सुविधाओं का उन्नयन तथा पुस्तकालय सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण के माध्यम से सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को सर्वोत्तम साहितय उपलब्ध करवा कर उनके ज्ञान आधार में वृद्धि करना ।		सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय औरन सूचना ब्यूरो का उन्नयन और आधुनिकीकरण	क्रियाकलाप योजनावधि के दौरान जारी हैं ।		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	सीडब्ल्यूसी में सॉफ्टवेयर प्रबंधन	वेब आधारित कस्टम मेड सॉफ्टवेयर के साथ ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाना । सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और फीडल कार्यालयों के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर/ नेटर्वक संसाधनों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण।		लैपटॉप / कंप्यूटर / प्रिंटर की खरीद, सीडब्ल्यूसी-मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / नेटवर्क संसाधनों को अपग्रेड करना और मजबूत बनाना।	सतत प्रक्रिया		
2	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के विस्तार के लिए 176 केन्द्रों पर समय पर बाढ़ पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए 72 नदी उपबेसिनों सहित 10 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए सीडब्ल्यूसी द्वारा देश भर के जल विज्ञानीय प्रेक्षण कार्यस्थलों के नेटवर्क को बनाए रखना।	50.00	तत्काल समय आंकड़ा संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान के मुद्दों के लिए (लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रतिवर्ष जारी किए जाते है।)	पूरे वर्ष केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्यान्वित	कुल 4055 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए थे। 4055 बाढ़ पूर्वानुमान में से 3978 पूर्वानुमान 98.10 प्रतिशत की सटीकता के साथ जारी किए गए थे।	स्कीम के विलंब से अनुमोदन के कारण बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के विस्तार के नए गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सका।
3	जलविज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के	10.00	तत्काल समय आंकड़ा भेजने तथा अन्य आधुनिक उपकरणों के लिए टेलिमीटरी प्रणाली सहित मौजूदा बाढ़	मई, 2014 के अंत तक केन्द्रीय एजेंसियों जैसे पीसीएस		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।		पूर्वानुमान कार्यस्थलों को स्वचालित बनाना।	(एमओडब्ल्यूआर), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से नियोजित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा।		
4	भूजल प्रबंधन और विनियमन	**क) एक्वीफर मैपिंग -** **डेटा तैयार करना -** • **अन्वेषनात्मक ड्रिलिंग** • **वर्टिकल इल्कट्रिकल साऊडिंग (वीईएस) (संख्या)** • **बोर होल लॉगिंन (संख्या)** • **जल-रासायनिक विश्लेषण (संख्या)**	163.00	**700 कुएं** **2000** **आवश्यकता आधारित** 2000 **नमूने**	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च ,2016 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च ,2016	85.77 रू. (जी) 76.54 रू. (एन) 457 कुएं 2013 89 21496 नमूने	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		ख) कुओं की निगरानी • **मौजूदा भूमिजल प्रेक्षण कुओं की निगरानी (संख्या)** • **अतिरिक्त नए प्रेक्षण कुओं की स्थापना (संख्या)** **ग) जलापूर्ति स्रोत जांच के लिए संगठनों को तकनीकी सहायता** **घ) भूमिजल संसाधन आकलन**		23000 **कुएं** **2000 कुएं** आवश्यकता आधारित **गत्यात्मक भूजल संसाधन मूल्यांकन (2013 की स्थिति के अनुसार)**	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च ,2016 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च , 2016 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च , 2016	अप्रैल/मई, 2015, अगस्त 2015 और नवम्बर 2015 की निगरानी पूरी कर ली गई। 509 कुएं 170 13 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप में	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						भूमिजल संसाधन आकलन (31 मार्च, 2013 तक) कर लिया गया है।	
		ङ) प्रोद्योगिकी के उन्नयन के लिए मशीनरी और उपकरण प्राप्त करना		- रिग प्राप्त करना	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016	**9 रिग प्राप्त करना** – • डीटीएच रिग (500 मी.)- 3 रिग प्राप्त किए गए और मार्च, 2015 में क्रमश: डिविजन IX हैदराबाद, डिविजन XII भोपाल और डिविजन XIV बंगलौर को आपूर्ति की गई तथा मार्च, 2015 डीजीएसएण्डडी द्वारा 90 प्रतिशत भुगतान अर्थात् 184703111 रूपए जारी किए गए। • डिविजन XII भोपाल और डिविजन XIV बंगलौर में 2 रिगों को शुरू करने का कार्य कर लिया गया है तथा डिविजन IX हैदराबाद	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						में कार्य प्रगति पर है। • डूअल रोटरी रिग (400 मी.)- 25 सितम्बर, 2014 को डीजीएसएण्डडी द्वारा दो डूअल रोटरी रिगों के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है। रिगों की आपूर्ति मार्च, 2016 तक होने की संभावना है। • डीटीएच रिग (300 मी.)- 27 जनवरी, 2015 को डीजीएसएण्डडी द्वारा 4 रोटरी रिगों के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है। रिगों की आपूर्ति जनवरी, 2016 तक होने की संभावना है।	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				- वैज्ञानिक उपस्करों/सॉफ्टवेयर और आंकड़ों को प्राप्त करना।		**15 एयर कम्प्रेसर की खरीद**:- • निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन पूरी कर ली गई है और वित्तीय बोली दिनांक 07.01.2016 को खोली गई थी। • जल भूविज्ञानीय उपकरणों के लिए निविदा दिनांक 15.12.2015 को खोली गई थी। • भू-भौतिकी उपकरणों के लिए निविदा दिनांक 17.12.2015 को खोली गई थी। • रासायनिक उपकरणों के लिए निविदा दिनांक 16.12.2015 को खोली गई थी। • रासायनिक उपकरणों के	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						लिए निविदा दिनांक 13.01.2016 को खोली खोली जानी है। • साफ्टवेयरों के लिए निर्यातकों को संपूर्ण अदायगी (2,32,64,138 रूपए) जारी की गई है। दिनांक 12.01.2016 को मानचित्र इनफो फ्लोटेड खोली जानी है।	
		(च) वैज्ञानिक सूचनाओं के प्रसार के लिए रिपोर्टों, मानचित्रों को तैयार करना • राज्य रिपोर्ट (संख्या) • भूमिजल वर्ष पुस्तिका (संख्या) **(छ) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सूचना शिक्षा और संचार)-** • राष्ट्रीय जीडब्ल्यू कांग्रेस, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन करना। • पेंटिंग प्रतियोगिता		6 24 11	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016	कार्य प्रगति पर है। 15 16 कार्य प्रगति पर है।	
5	जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	स्कीम का उद्देश्य देश की जल संसाधन से संबंधित समस्याओं का व्यावहारिक	**30.00**	भौतिकीय/गणितीय/मॉडल/ डेस्क अध्ययन पूर्ण-165			

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		समाधान निकालना और उपलब्ध प्रौद्योगिकी इंजीनियरी प्रणालियों, प्रक्रियाओं में सुधार करना और राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत प्रमुख संगठनों के शोध संस्थानों की शोध सुविधाओं एवं बेंचमार्किंग का सृजनउन्नयन करना / है। जल क्षेत्र में शैक्षिक, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना।		तकनीकी रिपोर्टें तैयार करना -229. शोध पत्र का प्रकाशन - 270 दिशा-निर्देशों/मैनूअलों को तैयार करना-6 कार्यशाला/सेमिनार/कार्यशाला/ सेमिनार/सीमपोजिया/प्रशिक्षण आयोजित करना-37 कार्मिक प्रशिक्षण-250			
6	**मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण**		29.00				संशोधित प्राक्कलन 2014-15 के प्रति (18.00 करोड़ रूपए) 10.14 रूपए की धनराशि खर्च की गई।
(क)	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम के घटक की सूचना, शिक्षा और संचार।	लोगों में जला के महत्व और इसके संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।	10.00	**मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 14 से 27 नवम्बर, 2015 तक प्रगति मैदान में आईटीपीओ द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 35वें संस्करण में हॉल संख्या-7-ई में एक पेवेलियन बनाया था। पेवेलियन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत 10 संगठनों द्वारा शुरू किए गए	14 से 27 नवम्बर, 2015	सफल निष्पादन	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को दर्शातें हुए विभिन्न प्रदर्शनात्मक सामाग्रियों अर्थात् विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों का वास्तविक मॉडल, बैनरों, पोस्टरों आदि को रखा गया था। जल संरक्षण और जल विभिन्न पहलुओं के संबंध में जनजागरूकता तैयार करने के लिए पेवेलियन में एक क्विज और पैंटोमाईम शो का आयोजन किया गया था। जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता, नदी प्रदूषण को रोकन और गंगा की सफाई पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वर्ष के लिए पेवेलियन का थीम **'जल क्रांति अभियान'** था। **<u>जल क्रांति अभियान</u>** i) कार्यशालाओं/सेमिनारों/ सम्मेलनों का आयोजन	संपूर्ण वित्तवर्ष 2015-16	सफलतापूर्वक कार्यान्वित	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				"**जल क्रांति अभियान**" की शुरूआत एक साथ जयपुर, शिमला और झांसी में दिनांक 05.06.2015 को की गई थी। जल क्रांति अभियान का आयोजन सभी पणधारियों को शामिल करने के व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से और व्यापक जनजागरूकता लाने के लिए देश में जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी जागरूकता फैलाने हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया था। विभिन्न गतिविधियों में जल ग्राम योजना, मॉडल कमान क्षेत्र का विकास, प्रदूषण निवारण और व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कई कार्यशालाएं आयोजित की जानी हैं।			

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				ii) भूजल मंथन जल क्रांति अभियान के भाग के रूप में सीजीडब्ल्यूबी के माध्यम से मंत्रालय ने दिनांक 21.08.2015 को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा में एकदिवसीय **भूजल मंथन** का आयोजन किया था। चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए विभिन्न तकनीकी सत्रों के दौरान देश भर से जनप्रतिनिधि, भूमि जल विशेषज्ञयों, केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, किसानों, विद्यार्थियों और गैर-सरकारी संगठनों आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान चयनित लेखों से सुसज्जित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। **पेंटिंग प्रतियोगिता** वित्तीय वर्ष 2015-16 में	21 अगस्त, 2015	सफलतापूर्वक कार्यान्वित	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				मंत्रालय द्वारा "नदी प्रदूषण," "नदी की सफाई" और "जलवायु परिवर्तन" विषय पर स्कूल स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।	नवंबर, 2015 से मार्च, 2016 तक		
(ख)	राष्ट्रीय जल अकादमी-राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) का निरंतर उन्नयन	(i) इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करते हुए जल क्षेत्र के सभी पणधारियों के लिए डब्ल्यूआरडीएंडएम की सभी पहलुओं में प्रशिक्षण।	6.00	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 32 क) 25 कंप्यूटरों की खरीद और सर्वर नेटवर्किंग सुविधा	(क) दिनांक 31.12.2015 तक 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए। (ख) सितंबर, 2015 तक 100 प्रतिशत कार्य पूरा। (ग) अतिथि गृह में सुविधाओं के उन्नयन आदि जैसी निर्माण गतिविधियों मुख्य भवन में हाइड्रोलिक	4.16	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
					एलीवेटर, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण, कृष्णा में 4 सूट और गोदावरी में 8 सूटों का निर्माण और बहुद्देशीय हॉल के लिए पहल को बजट में कटौती के कारण शुरू नहीं किया गया।		
(ग)	आरजीएन भूजल प्रशिक्षण संस्थान	भूमि जल क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	7.00	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या- टियर I - 32 टियर-II -50 टियर- III -350	एक वर्ष	टियर I - 32 टियर-II -25 टियर- III -50	टियर I - 32 टियर-II -25 टियर- III -50 के लिए बजट के आवंटन के अनुसार लक्ष्य को घटाया गया।
(घ)	जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण	जल संसाधन मंत्रालय को दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भारत अथवा भारत से बाहर स्थित संस्थानों में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	1.00	(i) अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी नई-नई तैनाती हुई है, के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण का आयोजन करना (ii) मंत्रालय में चयन/भर्ती के संबंध में इंडक्शन प्रशिक्षण	मंत्रालय की प्रशिक्षण नीति के अनुसार पूरे वर्ष अधिकारियों/कर्म चारियों को प्रशिक्षण दिया	(i) 200 अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य और गैर अनिवार्य प्रशिक्षण पर भेजा गया था। (ii) विभिन्न विषयों पर	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				पर अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात करना। (iii) अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कैरियर के विभिन्न स्तरों/चरणों में मिड कैरियर प्रशिक्षण पर नियुक्त करना। (iv) कार्यस्थल पर इनहाउस/कार्यरत अवस्था में प्रशिक्षण आयोजित करना। (v) विषय आधारित प्रशिक्षण जैसे नेतृत्व क्षमता का विकास, स्ट्रेस प्रबंधन नीति एवं मूल्य, वित्तीय प्रशासन आदि के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करना।	जाएगा।	इनहाउस प्रशिक्षण आयोजित की गई थी।	
(ड.)	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम)	क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	5.00	60	प्रशिक्षण कैलेन्डर, 2015-16 के अनुसार		
7	**अवसंरचना विकास - सीजीडब्ल्यूबी - भूमि और भवन**	अपना कार्यालय भवन स्थापित करना	17.00	निम्नलिखित के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (I) गुवाहाटी में क्षेत्रीय और	1-2 वर्ष	1 गुवाहाटी में भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है और विकास कार्य जैसे सड़क, शोधन संयंत्र और	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				डिविजनल कार्यालय (II) बंगलौर में डिवीजनल भंडार और वर्कशाप बिल्डिंग (III) भुवनेश्वर में सीजीडब्ल्यूबी के कर्माचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर (IV) भोपाल में डिवीजन XII के लिए डिवीजनल भंडार और वर्कशाप (V) अहमदाबाद में क्षेत्रीय और डिवीजनल कार्यालय (VI) अंबाला में डिवीजनल कार्यालय और वर्कशाप तथा भंडार (VII) जम्मू में क्षेत्रीय और डिवीजनल कार्यालय (VIII) नया रायपुर में आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई (आरजीआई) के लिए बाउंडरीवाल		वानिकी कार्य आदि किए जा रहे हैं। 2 बंगलौर और भोपाल में भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 3 मंत्रालय में अनुमोदन हेतु जम्मू, अंबाला में निर्माण कार्य के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। चेन्नई जोधपुर के लिए संशोधित अनुमान और एनपीसीसी से एमओए प्राप्त नहीं हुआ है। 4 मंत्रालय के अनुमोदन/निर्णय के पश्चात रायपुर/पुणे में आरजीआई भुवन संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। 5 भुवनेश्वर स्टाफ क्वार्टर के लिए संशोधित डीपी आर सीजीडब्ल्यूबी में विचाराधीन है। 6 अहमदाबाद के लिए एमओए में छोटे परिवर्तनों पर सीजीडब्ल्यूबी और जल संसाधन मंत्रालय में विचार	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	अवसंरचना विकास (एल एवं बी) - सीडब्ल्यूसी	सीडब्ल्यूसी हेतु अपने कर्मचारियों को साफ-सुथरा, सम्मानीय, बेहतर और स्वस्थ कार्य स्थिति उपलब्ध कराने के लिए भूमि का अधिप्रापण और कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण करना।		और भवन (IX) चेन्नई में डिवीजनल वर्कशाप और भंडार (X) जोधपुर में डिवीजनल वर्कशाप और भंडार के लिए वाउंड्रीवाल/भवन 1 पूरे भारत वर्ष के विभिन्न स्थानों पर सीडब्ल्यूसी के लिए भूमि अधिग्रहण और गैर आवासीय तथा आवासीय भवनों का निर्माण 2 नई दिल्ली में स्थित सीडब्ल्यूसी के मुख्यालय के आधुनिकीकरण का कार्य जारी रहेगा। 3 सीडब्ल्यूसी कार्यस्थल के लिए हटमेंटों का निर्माण 4. कोलकाता, निजामाबाद, पटना, भुवनेश्वर, बालासोर,	अधिकतर कार्य सीपीडब्ल्यूडी/एनपीसीसी/सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	किया जा रहा है। बरला में भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कुछ मुख्यालयों में हटमेंट के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कोलकाता, गुवाहाटी, पटना हटमेंट में सीडब्ल्यूसी के भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। ईटानगर में बाउंड्री के निर्माण का कार्य जारी रखा जाना है। रंगपुर, सिलचर में कार्यालय-सह आवासीय भवनों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को शुरू किया जाना। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) का	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	अवसंरचना विकास-सीजीडब्ल्यूबी (आईटी)	डीजीएसएंडडी के माध्यम से खरीदी गई पीसी के लिए भुगतान 2 ई-गवर्नेस गतिविधियों के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगों की डिजाइन एवं विकास 3 एमएस ऑफिस की खरीद		गुवाहाटी, सिलचर, ईटानगर में भवन/बाउंड्रीवाल तथा भूमि अधिग्रहण (यथा अपेक्षित) 1 वर्ष 2014-15 के दौरान खरीदे गए पीसी के लिए भुगतान 2 ई-गवर्नेस गतिविधियों के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगों की डिजाइन एवं विकास 3 डीजीएसएंडडी के माध्यम से 216 एमएस ऑफिस की खरीद 4 डीजीएसएंडडी के माध्यम से	एक वर्ष तीन वर्ष एक वर्ष 31.03.2016	आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी से कार्च वापस ले लिया गया है और सीडब्ल्यूसी तथा एनपीसीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और नई दिल्ली स्थिति सीडब्ल्यूसी स्थित मुख्यालय के आधुनिकीकरण के कार्य हेतु एनपीसीसी को कार्य सौपा गया है। 40.01 लाख रूपए की राशि अदा की गई एएवंईएस के लिए मंत्रालय को 5.58 रूपए के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अनुमोदन हेतु प्रस्ताव एम (वित्त) को प्रस्तुत अनुमोदन हेतु प्रस्ताव	अनुमोदन के शर्ताधीन, 1.00 करोड़ रूपए की अग्रिम राशि का भुगतान किया जाना है।

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	अवसंरचना विकास स्कीम-ई-गवर्नेंस घटक	4 200 पीसी की खरीद तीव्र, जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने और जल संबंधी मुद्दों पर नागरिक केन्द्रित सूचना के प्रसार के दृष्टिकोण से कार्य की प्रणाली को सुदृढ बनाना।		200 पीसी की खरीद • भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले पहचाने गए आईटी/ई-गवर्नेस अनुप्रयोगों अथवा आदेशों का कार्यान्वयन। • मंत्रालय की ई-गवर्नेस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर की खरीद	(एनआईसी/संबंधित अभिकरण के प्रस्तवा के अनुसार)	प्रस्तुत • जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 15.04.2015 से ई-खरीददारी को चालू कर दिया है। • मंत्रालय में जून, 2015 से ऑनलाइन स्टेशनरी आवदेन प्रबंधन प्रणाली, सतर्कता ऑनलाइन, सत्यनिष्ठा शिकायत एवं जांच प्रणाली तथा न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली को भी शुरू कर दिया है। • दिनांक 01.01.2016 से ई-लीव प्रबंधन प्रणाली को भी शुरू कर दिया है। • मंत्रालय की ई-गवर्नेस क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर ,	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	जीए-आईटी **जीए-भूमि और भवन**	कंप्यूटरों, प्रिंटरों, स्कैनरों, लैपटॉप, यूपीएस, मल्टीफंक्शन मशीन, डिजिटल कॉपियर आदि उपभोज्य मदों की खरीद		ई-गवर्नेंस सुविधा देने के लिए डाटाबेस की नेटवर्किंग के अलावा अद्यतन आईटी हार्डवेयर और साफ्टवेयर की खरीद, उन्नयन और अनुरक्षण	एक्सपी विंडोज को बदलने का काम बहुत ही समय लगने वाला काम है। कुछ लक्ष्यों को अगले वर्ष तक आगे बढ़ाया गया है। अगले वर्ष तक कमरों का नवीकरण अगले वर्ष तक कार्यालयों का नवीकरण	यूपीएस आदि की खरीद ई-गवर्नेंस बजट शीर्ष से की गई है (अब तक 25 लाख रूपए का उपयोग किया गया है।) डेक्सटाप कंप्यूटरों और पेरीफेरलों की अधिप्राप्ति, फोटो कापियर मशीनों, स्कैनर, वीडिया कॉनफ्रेंसिंग प्रणाली, आईटी उपकरण के बायोमैट्रिक अटेंडेंस एएमसी, फोटोकॉपियर की एएमसी , यूपीएस की एएमसी। मंत्रालय में IPV6 के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस/ई-ऑफिस के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराना	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
8	**नदी बेसिन प्रबंधन**		119.00				स्कीम अनुमोदन के चरण में है।
i	**नदी बेसिन संगठन**		0.10				
(ii)(क)	आईडब्ल्युआरडी-एनडब्ल्यूडीए	नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर),साध्यता रिपोर्टें राज्य:और अंत (एफआर) पूर्व -वों की साध्यतासंपर्क प्रस्ता एफआर /(पीएफआर) रिपोर्टें डीपीआर की तैयारी के संबंध में / सर्वेक्षण, फील्ड अनवेषण से संबंधित क्रियाकलाप और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रासंगिक, सहायक अथवा उपयोगी समझे जाने वाले क्रियाकलाप करना । .	25.00	**(क)** अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना **(i) हिमालयी घटक** **1.** मानस **–** संकोष **–** तीस्ता **–** गंगा **(**एम **–** एस **–** टी **–** जी**)** **2..** सोन बांध-एसटीजी संपर्क **3.** कोसी **–** घाघरा संपर्क **(ii) प्रायद्वीपीय घटक** महानदी (बारामुल)- गोदावरी संपर्क (संशोधित एफ आर)	जून, 2016 मार्च, 2017 मार्च, 2018		मानस-संकोस-तीस्ता और कोसी-घाघरा संपर्कों के लिए नेपाल एवं भूटान जैसे पड़ोसी देशों से उनके क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए अनुमति अपेक्षित है। पडोसी देशों के साथ वार्तालाप में तेजी लाने के लिए जल

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
							संसाधन मंत्रालय के माध्यम से एनडब्ल्यूडीए विदेश मंत्रालय के साथ मामले को उठा रहा है। इसके आलोक में हिमालयी संपर्कों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित तिथि तय नहीं की जा सकती। एनडब्ल्यूडीए ने जोगीगोपा-तीस्ता-

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
							फरक्का(एम-एस-टी-जी का विकल्प) से बचने के लिए मानस-संकोस-तीस्ता-गंगा का वैकल्पिक अध्ययन किया है। एमएसटीजी संपर्क के वैकल्पिक प्रस्ताव में मानस बाघ रिजर्व एवं बक्सा बाघ रिजर्व तथा अन्य जंगलों को छोड़ा जाएगा। अत: एनडब्ल्यूडीए

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
							एमएसटीजी संपर्क का वैकल्पिक कार्य कर रहा है, जिसके तहत एमएसटीजी एवं जेटीएफ का विलय किया जाएगा।
				(ख) पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) संपर्क की डीपीआर तैयार करना। **(ग) राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित अन्तर्राजीय संपर्क प्रस्तावों की साध्यतापूर्व रिपोर्टों को तैयार करना।** **(घ) निम्नलिखित के लिए डीपीआर-बाद के चरण का**	अगस्त, 2015 मार्च, 2016 कार्य चल रहा है।		डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर बाद

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				कार्य i. **केन-बेतवा संपर्क चरण-।** ii. **केन-बेतवा संपर्क चरण-।।** iii. **दमन गंगा-पिंजाल (डीपी) संपर्क** iv. **पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) संपर्क** **(ङ) अंतर्राज्यीय संपर्क की डीपीआर तैयार करना** **(च) नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार अध्ययन कार्य**	मार्च, 2017 कार्य किया जा रहा है		का कार्य किया जा रहा है। एक डीपीआर को पूरा करने के लिए साधारणतया 3 से 4 वर्ष लगते हैं।
(ii)(ख)	आईडब्ल्यूआरडी-सीडब्ल्यूसी	देश के जल संसाधनों के विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के	20.00	किरथई-।। बहुद्देशीय परियोजना और संतेली	12वीं योजना के दौरान पूरा किए	क्षेत्रीय कार्यो के लिए वन विभाग से समय	क्षेत्रीय कार्यो के लिए वन

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निर्णय के लिए चिन्हित जल संसाधन मंत्रालय परियोजनाओं की डीपीआर को तैयार करना		एचईपी की डीपीआर तैयार करना। कलेज खोला, सौन्नाई और रूकनी सिंचाई स्कीमों, त्वांग्चू, एचई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच कार्य जारी है। एनईआर (मिजोरम में त्लावांग), सिक्किम (तारूम चू एचईपी, काली खोला), जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में नई परियोजनाएं और ग्यास्प राष्ट्रीय परियोजना का वित्तपोषण जारी है।	जाने वाले कार्यक्रम के भाग के रूप में पूरे वर्ष भर गतिविधियां जारी।	पर स्वीकृतियों, भूविज्ञान जांच के लिए जीआईएस से सहयोग और सुदुरवर्ती स्थलों पर कार्यरत सीडब्ल्यूसी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारी की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए फील्ड जांच वाहनों की खरीद हेतु अनुमति।	विभाग से समय पर स्वीकृतियों, भूविज्ञान जांच के लिए जीआईएस से सहयोग और सुदुरवर्ती स्थलों पर कार्यरत सीडब्ल्यूसी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारी की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए फील्ड जांच वाहनों की खरीद हेतु अनुमति।

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
iii	सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन		0.10				स्कीम अनुमोदन के चरण में है।
iv	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	✓ निम्नलिखित का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और तैयार करना ○ मास्टर प्लान ○ ड्रेनेज विकास स्कीमों की डीपीआर ○ बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर ✓ कटावरोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंध - स्कीमों का कार्यान्वयन ✓ ड्रेनेज विकास स्कीमों का कार्यान्वयन	73.80	✓ निम्नलिखित का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और तैयार करना ○ 3 मास्टर प्लान ○ डीडीएस की डीपीआर ✓ कटावरोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंध स्कीमों का कार्यान्वयन • माजूली द्वीप का संरक्षण चरण-II एवं III 11.5% • दोला हाथीघुली पर ब्रह्मपुत्र का एवलशन चरण IV–0.2% • बालातगाँव -मेघालय , 100%	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा गतिविधियां कार्यान्वित	✓ 'सर्वेक्षण और जांच' और निम्नलिखित को तैयार करना- ○ 3 मास्टर योजनाओं का तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ○ डीडीएस के 2 डीपीआर को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ✓ कटाव रोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन • माजुली द्वीप-चरण-II और III की सुरक्षा कार्य का 2.1% पूर्ण	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		✓ नेहारी का प्रचालन एवं अनुरक्षण और उन्नयन ✓ बोर्ड द्वारा मुख्य परिसर का निर्माण और सृजित संपत्ति का आर एवं एम ✓ ऊपर उठाए गए प्लेटफार्मों का निमार्ण ब्रह्मपुत्र नदी के चैनलीकरण की साध्यता अध्ययन		• मानकछार , -असम ,कालेरअरगा 50% मसलाबारी क्षेत्र-असम , 50% ✓ ड्रेनेज विकास स्कीमों का कार्यान्वयन ○ बरभाग डीडीएस का 25% कार्य ○ अमजूर डीडीएस का 30% कार्य ○ जंगराय का 50% ○ जकाईचुक का 9% ✓ नेहारी का आर एवं एम ✓ बोर्ड द्वारा सृजित संपत्ती का आर एवं एम ✓ ऊपर उठाए गए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ ✓ ब्रह्मपुत्र नदी के		• चरण –IV अतिरिक्त कार्य के तहत कार्य प्रगति पर है। • बलात गाँव के चरण-I के कार्य का 54.12% पूर्ण • मानकछार, कलेयर-अलगा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के कार्य का 34.77% पूर्ण मसलाबारी स्कीम के लिए निविदा देने की प्रक्रिया चल रही है। ✓ जल निकास विकास स्कीमों का निष्पादन ○ बरभाग डीडीएस में जल निकासी की समस्या के कारण प्रगति शून्य है। ○ डीपीआर की	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				चैनलीकरण की साध्यता अध्ययन		पुनर्समीक्षा के कारण अमजुर डीडीएस की प्रगति रूकी हुई है। ○ निविदा के प्रति बहुत ही खराब प्रतिक्रिया के कारण जैंगराई डीडीएस के स्लुइस के निर्माण के निष्पादन हेतु पुन:निविदा आमंत्रित की गई है। ○ जकाइचुक डीडीएस का 2% पूरा कर लिया गया है। ✓ जारी ✓ गतिविधि जारी ✓ ऊपर उठाए गए 1 प्लेटफार्मों का निर्माण कार्य पूर्ण ✓ जारी	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती नदियों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य**	इन नदियों के बारे में समय पर बाढ़ अनुमान देने के द्वारा जीवन एवं संपत्ति में होने वाली हानि को कम करने के लिए नदियों के सीमापार पर बाढ़ अनुमान के लिए जल संसाधन एवं डाटा विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ हाइड्रोलिजिकल निरीक्षण एवं जल संसाधन परियोजना संबंधी अन्वेषण	102.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं ii.पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण iii संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्य का कार्यान्वयन किया जाएगा	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं ii.पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण	क्षेत्रीय कार्यों को करने के लिए वन विभाग से समय पर स्वीकृति, भूवैज्ञानिक जांच में जीआईएस से सहयोग और फील्ड कार्य करने के हेतु नेपाल में अनुकूल सिविल स्थितियां।
10	**फरक्का बैराज परियोजना** • बैराज की सुरक्षा के लिए संरक्षात्मक उपायों सहित बैराज तथा आनुषंगिक संरचना का प्रचालन	फरक्का बैराज और इसकी अनुषंगिक संरचना को बनाए रखना और चरण-वार रूप में इसके गेटों को प्रतिस्थापित करना	100.00	51%	लगातार प्रकृति का कार्य	988.00 लाख	संशोधित अनुमान 2015-16 में वास्तविक आधार पर बजट अनुमान

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	और अनुरक्षण						को संशोधित किया गया है।
	• नेवीगेशनल लॉक आदि सहित फीडर नहर और आनुषंगिक संरचनाओं का अनुरक्षण और संरक्षात्मक उपाय	फीडर नहर को बनाए रखना स्कॉवर पॉकेट को भरना		53%		849.00 लाख 52.00 लाख	संशोधित अनुमान 2015-16 में वास्तविक आधार पर बजट अनुमान को संशोधित किया गया है।
	• जांगीपुर बैराज-गेटों एवं आनुषंगिक संरचनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण, गंगा/पद्मा नदी के एफलक्स बंद के लिए सुरक्षा उपाय	जांगीपुर बैराज को बनाए रखना और बैराज के गेटों की मरम्मत करना		जांगीपुर बैराज और इसकी सहयोगी संरचनाओं की पैंटिंग का कार्य प्रगति पर है।		1230.26 लाख	--
	• फरक्का, जांगीपुर और खजुरिया घाट में टाउनशिप, बैराज अस्पताल एफबीपी एचएस स्कूल, सड़क,	लगभग 2700 आवासीय निकायों के आवासीय टाऊनशीप को बनाए रखना		अनुरक्षण कार्य जारी और दिसंबर 2015 तक लगभग 85% कार्य पूरा कर लिए जाएगें			--

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	भवन, नाला, जलापूर्ति प्रणाली, वैद्युतिक कार्य, वाहन, औजार आदि का अनुरक्षण • उत्तरी बंगाल में फरक्का बैराज और गंगा नदी की वितरिकाओं के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में गंगा/पद्मा नदी के साथ कटावरोधी और बाढ़ प्रबंधन कार्य	गंगा के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में मूल और विस्तारित क्षेत्र के तटों को बनाए रखना		85%	पूर्ण	2260.00 लाख	संशोधित आकलन में अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।
11	**राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन (एनडब्ल्यूएम)-नई स्कीमें**	जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) की सिफारिशों के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य 'जल का संरक्षण जल के अपव्यय को कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्य के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण	20.00	1. राष्ट्रीय जल मिशन निदेशालय	31.12.2015	31 दिसम्बर, 2015 तक 2.48 करोड़ रूपये व्यय 1.राष्ट्रीय जल मिशन सचिवालय की स्थापना कर दी गई है और राष्ट्रीय जल मिशन की अध्यक्षता भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक में मिशन निदेशक द्वारा किया जाएगा और	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		सुनिश्चित करना' है। मिशन के 5 लक्ष्य हैं और 12वीं योजना के दौरान कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य नीतियां तैयार की गई।		2. राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करना		सहायक स्टाफ सहित दो सलाहकारों (सलाहकार, समन्वय एवं निगरानी तथा सलाहकार, तकनीकी) द्वारा सहायता की जाती है। सौंपे गए तकनीकी कार्यों को पूरा करने के लिए एनडब्ल्यूएम में सहायकों ने पदभार ग्रहण किया है। एनडब्ल्यूएम वेबपोर्टल का कार्य एनआईसी/एनआईसीएस आई को सौंपा गया है तथा एनडब्ल्यूएम के सहयोग से एनआईसी/एनआईसी के विशेषज्ञों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 2. बारह राज्यों नामत:आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात,	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु ने पहले चरण मे अपनी राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने हेतु अनुरोध किया है। एएस एवं एमडी, एनडब्ल्यूएम के अध्यक्षता में 18.09.2015 को आयोजित बैठक में एसएसपी को तैयार करने हेतु एक अभिकरण/संगठन की पहचान करने हेतु राज्य सरकरों से अनुरोध किया है। यह प्रस्तावित है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत उत्तर पूर्वी जल और भूमि प्रबंधन अनुसंधान संस्था	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
						(एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), तेजपुर, असम को एसएसएपी तैयार करने हेतु चयनित राज्य अभिकरणों के लिए निधि का समन्वय, निगरानी और जारी करने हेतु नोडल अभिकरण के रूप में प्रस्ताव किया गया है। एनडब्ल्यूएम स्कीम में 20.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्योलयों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनडब्ल्यूएम तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। बृहद/बडे राज्यों के लिए 50 लाख रूपए और छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण तथा राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (एनबीडब्ल्यूयूई) की स्थापना		लिए 30 लाख रूपए की दर से जल क्षेत्र के लिए एसएसएपी तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। 3. कई पणधारियों की क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण के लिए एनआईआरडी और पीआर, एलबीएसएनएए, सीडब्ल्यूआरडीएम, एनडब्ल्यूए, आरजीएनजीडब्ल्यूटीआर आई, टीआईएसएस के साथ समझौता ज्ञापन तैयार करना। एनडब्ल्यूएम के लक्ष्य-2 के तहत विभिन्न कार्य नीतियों के समाधान के लिए 23 प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्रालय	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				4 . बेसलाइन अध्ययन		में एनबीडब्ल्यूयूई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। विभिन्न मंत्रालय/विभागों ने प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनबीडब्ल्यूयूई के सृजन के संबंध में कुछ टिप्पणियां की है। 4. डब्ल्यूएएलएम आई, औरंगाबाद, डब्ल्यूएएलएएमटीएआर आई, हैदराबाद, एनईआरआईडब्ल्यूएएलए एम, तेजपुर और डीडब्ल्यूएम, भुवनेश्वर के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में 25 आधारभूत अध्ययन करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. प्रदर्शनात्मक/मानक निर्धारक योजनाओं को तैयार करना		है। 5. जल क्षेत्र में प्रदर्शन/मानक निर्धारण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। एनडब्ल्यूएम ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श से सिंचाई क्षेत्र में प्रदर्शनात्मक परियोनाओं को शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।	
12	**सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम**	सिंचाई प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना	1.00	---	---	----	वर्ष के दौरान स्कीम को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।
13	**बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना-केन्द्रीय घटक**	नीचे दिए गए क्रियाकलापों के माध्यम से बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना: क) विश्व बैंक के वित्तपोषण से 4 राज्यों (मध्यप्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु) में लगभग 223 बृहत बांधों का पुनर्वास और सुधार।	29.00	डीआरआईपी की केन्द्रीय योजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के लिए अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन परामर्शी का कार्यान्वयन। बांध सुरक्षा क्षेत्र मे उनकी क्षमता निर्माण आवश्यकताओं	एक समान विस्तार		

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		ख) संबंधित राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण। ग) परियोजना प्रबंधन डीआरआईपी एक छः वर्षीय परियोजना है। यह 18 अप्रैल 2012 से प्रभावी हुआ है।		के लिए आकादमीक संस्थानों को वित्तपोषण। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की सीमा से आगे बोली दस्तावेजों का अनुमोदन। परियोजना स्क्रिनिंग टैम्पलेटों का अनुमोदन। तकनीकी, प्रबंधकीय और परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्टों को तैयार। परियोजना कार्यान्वयन का मार्ग-दर्शन करने के लिए तकनीकी समिति की बैठकें। डीआरआईपी बांधों का निरीक्षण/दौरा प्रशिक्षण से संबंधित बांध सुरक्षा संगठन			

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				बांध सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनारों/कार्यशाला बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दिशा-निर्देश तैयार करना। केन्द्रीय बांध सुरक्षा संगठन के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र। सीपीएमयू कार्यालय के लिए भाड़े पर लिए गए वाहनों के संबंध में व्यय। बांध आकलन प्रबंधन टूल का विकास सीडब्ल्यूसी की सीपीएमयू कार्यालय और डीएसओ इकाई का अवसंरचना विकास। माइक 11, माइक 21, एआरसी जीआईएस, एफईएम साफ्टवेयर जैसे			

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				हाइड्रोलॉजिक/डिजाइन/बांध टूटन मॉडलिंग साफ्टवेयरों की खरीद। सीपीएमयू कार्यालय के लिए भाड़े पर लिए गए वाहनों के संबंध में व्यय।			
14	**महाराष्ट्र की बोडवाड परिसर सिंचन योजना**	राज्य सरकार को अनुदान जारी की गई	1.00	---	--	---	वर्ष के दौरान निधि आबंटित नहीं की गई।
15	**वरिष्ठ सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन (एआईबीएफएमपी)**	एआईबीएफएमपी के तहत परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन करना	5.00	----	---	---	वर्ष के दौरान स्कीम का अनुमोदन नहीं किया गया था।
16	**पोलावरम परियोजना प्राधिकरण**	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार पोलावरम परियोजना का कार्यान्वयन। विशाखपट्टनम स्टील प्लांट को आपूर्ति। वार्षिक 80 टीएमसी जल को कृष्णा नदी बेसिन में अंतर-बेसिन हस्तांतरण भी अभिकल्पित है।	100.00	मौजूदा आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना (जिसे इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना के रूप में भी जाना जाता है) 2.91 लाख हेक्टेयर की आकलित कृषि योग्य कमान क्षेत्र और 960 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता सहित एक बहुउद्देशीय	नई स्कीमों के लिए प्रकिया/ समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।	राज्य सरकार से अभी भी आंकड़ा प्राप्त नहीं।	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				परियोजना है। इसमें विशाखापट्टनम शहर और अन्य क्षेत्रों के लिए डी लिंकिंग जल आपूर्ति और विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र को भी औद्योगिक जल आपूर्ति के रूप में, 23.44 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) जल की आपूर्ति का भी प्रावधान है। कृष्णा नदी बेसिन को वार्षिक 80 टीएमसी जल का अंतर-बेसिन स्थानांतरण भी अभिकल्पित है।			
17	**राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना**	यमुना नदी सहित गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं का प्रदूषण निवारण	550.00	वाराणसी में डब्ल्यूबी द्वारा सहायता प्राप्त और जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना को यहां शामिल किया जाता है। दिल्ली में जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त यमुना कार्रवाई योजना के तहत 10 परियोजनाओं को 950 एमएलडी एसटीपी क्षमता के	एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत अभिज्ञात परियोजनाओं को 2020 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। जेआईसीए सहायता प्राप्त यमुना कार्रवाई	386 एमएलडीएसटीपी क्षमता वाली दो परियोजनाओं की सिफारिश ईएससी ने की जिसे रोककर रखा गया है। जैसा कि परियोजनाओं को हाईब्रिड वार्षिक पीपीपी आधारित मॉडल पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है।	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				पुनर्वास के लक्ष्य सहित मंजूरी दी जाएगी। एनजीआरबीए के तहत गैर ईएपी परियोजनाओं को यहां शामिल किया गया है। गंगा तथा इसकी वितरिकाओं पर चालू गैर ईएपी परियोजनाओं को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।	योजना-।।। के तहत परियोजनाओं को 2018 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। ये परियोजनाएं 2020 तक पूरी होंगी।		
18	**'नमामि गंगे'/राष्ट्रीय गंगा कार्यक्रम (एनसीईएफ के तहत शेष से पूरा करना)**	**'नमामि गंगे' के तहत नई पहलों में एकीकृत और व्यापक कार्रवाई योजना के लिए मौजूदा किए जा रहे प्रयासो और आयोजना को समेकित करते हुए गंगा संरक्षण को प्राप्त करना है।**	2100 **(इस राशि को एनसीईएफ से पूरा किया जाना**	**5** गंगा राज्यों के 49 नगरों में 74 स्कीमों, 5 सांस्थानिक विकास परिजनाएं और स्वचालित जलगुणवत्ता निगरानी तथा गंगा ज्ञान	गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए खासकर लघु और मध्यम अवधि के	इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में 5 गंगा राज्यों के 50 नगरों में 80 स्कीमें, जिसमें 40 एमएलडी	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		एनजीआरबीए के तहत मौजूदा परियोजनाओं को शामिल करते हुए गंगा संरक्षण योजना 'लघु अवधि' (3 वर्ष), 'मध्यम अवधि' (5 वर्ष) और 'दीर्घावधि' (10 वर्ष और इससे अधिक) कार्रवाई योजना उपलब्ध कराती है।	**है और इसे मंत्रालय के बजट में शामिल नहीं किया जाना है।)**	केन्द्र सहित एक कार्यान्वयन सहायक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 702.23 एमएलडी की उपचार क्षमता (पुरानी एसटीपी के पुनर्वास के लिए 64 एमएलडी सहित) सृजित की जाएगी जिसमें से अब तक 123 एमएलडी की एक उपचार क्षमता सृजित कर ली गई है। 2015-16 के दौरान एनजीआरबीए के तहत 126.5 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता लक्षित है।	तहत किए जाने वाले कार्यकलापों के माध्यम से, 2020 के संदर्भ में 'नमामि गंगे' के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों को शामिल करते हुए एनजीआरबीए के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा दर्शाई गई है। तथापि दीर्घावधि कार्ययोजना के तहत हस्तक्षेप आईआईटी संघ के गंगा नदी बेसिन परियोजना पर आधारित होगी, इसका पहला मसौदा 31	क्षमता का जगजीतपुर एसटीपी कार्य और हरिद्वार में चांदी घाट का विकास की नई स्वीकृत स्कीमें शामिल है, 7 सांस्थानिक विकास परियोजनाएं, जिसमें नई स्वीकृत राष्ट्रीय बिहार डालफिन सर्वेक्षण, 738.23 एमएलडी (पूराने एसटीपी को बनाए रखेत हुए 64 एमएलडी सहित) की शोधन क्षमता शामिल है, का सृजिन किया जाएगा।	

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
					जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गया है और फिलहाल मंत्रालय में जांचाधीन है।		
19	**नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी डीपीआर**	यह एक नई स्कीम है जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट प्रावधान है।	100.00	--	---	--	वर्ष के दौरान स्कीम को अनुमोदित नहीं किया गया है।
20	**नदी तटों के सौंदर्यीकरण हेतु घाट विकास कार्य**	नदी क्षेत्र सहित पर्यावरण निर्माण का सुधार, छोटी घाटों, शवदाहगृहों का सुधार और पारिस्थतिकीय संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण और परिक्षण	100.00	प्रस्तावित घाट विकास/नदी तट परियोजनाओं के लिए 7 नगरों की पहचान की गई है जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।	ये परियोजनाएं 2020 तक पूरी कर ली जाएंगी।	हरिद्वार में चांदीघाट के विकास के लिए 50.36 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई है, पटना आरएफडी परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और 4 घाटों का विकास किया गया है, इलाहाबाद के लिए डीपीआर प्राप्त हो गई है और जांच कार्य चल रहा है।	
21	**बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम**	विभिन्न राज्य सरकारों को देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़	**201.00**	**(i)** गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य	यह गतिविधि बाढ़ के कारण	i. 11वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्य	शून्य

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		नियंत्रण, कटाव-रोधी, जलनिकास विकास, बाढ़ रोधन, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार और समुद्री कटाव रोधन संबंधी कार्यों, आवाह क्षेत्र सुधार और संबंधित डीपीआर के कार्य के लिए वित्तीय सहायता देना।		**(ii)** कटाव-रोधी कार्य, जलनिकास विकास कार्य **(iii)** देश के संवेदनशील क्षेत्रों में समुद्र कटाव-रोधी कार्य **(iv)** आवाह क्षेत्र सुधार कार्य और संबंधित डीपीआर।	क्षति, नदी तट कटाव, समुद्र तटीय कटाव को कम करने और चयनित नदी आवाहों में अवसाधन कटाव को कम करने में राज्यों को सहायता देगी।	और 97 नए कार्यों को जारी रखा गया था। ii. उत्तरप्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड आदि राज्यों को बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 31.12.2015 तक वित्तीय वर्ष 2015-16 में 98.31 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।	
22	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम**	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और (ख) इन परियोजनाओं से अभिकल्पित लाभों को प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध रूप में निर्माण की अंतिम अवस्था में चल रही बृहत, मध्यम और	**1799**.00	149 चल रहे परियोजनाओं और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए भी राशि निर्धारित है।	01, अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017	राज्य सरकार से आंकड़ा अभी भी प्राप्त होना शेष है।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एआईबीपी में शामिल

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई)	लघु सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा करने और जो राज्य सरकार की संसाधन क्षमता से बाहर है के लिए एआईबीपी के तहत राज्य सरकारों को अनुदान जारी किया जाता है।					परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना होता है। बृहद/मध्यम सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए समय 5 वर्ष है जिसमें एआईबीपी के तहत शामिल करने का वर्ष भी शामिल है। स्कीम को कृषि मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ घटकों को कार्यान्वयन

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
							जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
		2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई क्षमता का सृजन करते हुए एसएमआई परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्यों को अनुदान जारी किया गया।		राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के लिए एसएमआई स्कीम के तहत निधि जारी किया गया।	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017. त्रेमासिक आधार पर प्रगति की निगरानी की गई है।	राज्य सरकार से आंकड़ा अभी भी प्राप्त होना शेष है।	
		जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान जारी किया जाता है।		राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार अनुदान जारी किया गया। मात्रात्मक परिणाम इस प्रकार है- 1) 0.40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। 2) केन्द्रीय सहायता जारी की गई।	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017. त्रेमासिक आधार पर प्रगति की निगरानी की गई है।	राज्य सरकार से आंकड़ा अभी भी प्राप्त होना शेष है।	राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्रगति संपूर्ण रूप से निर्भर करती है।
		सीएडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को अनुदान जारी किया जाता		राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार अनुदान	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च,	राज्य सरकार से आंकड़ा अभी भी प्राप्त होना शेष	राज्यों से प्रस्तावों की

क्र. सं.	स्कीम का	उद्देश्य/	बजट अनुमान 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 के संदर्भ में उपलिब्धयां	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		है। 12वीं योजना के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के तहत प्रत्येक नई परियोजना के कुल कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) का कम से कम 10% को शामिल किया जाना है।		जारी किया गया। मात्रात्मक परिणाम इस प्रकार है- 1) 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। 2) केन्द्रीय सहायता जारी की गई। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के भूमि जल विंग में भूमि जल एमआई स्कीम के लिए एसएमडी	2017. त्रेमासिक आधार पर प्रगति की निगरानी की गई है।	है।	प्राप्ति पर प्रगति संपूर्ण रूप से निर्भर करती है।
		कुल योग	**3607.00**				

अनुलग्नक-III

(अध्याय-IV)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग और कृषि एवं सहकारित विभाग के एकीकृत प्रयासों द्वारा सिंचाई और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यह एक नई स्कीम है। 50,000 करोड़ रूपए के रूप में केन्द्रीय हिस्सा के संयुक्त परिव्यय सहित वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए स्कीम तैयार की गई थी। इनमें से 21010 करोड़ रूपए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को आबंटित किया गया था। एआईबीपी अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत पीएमकेएसवाई अम्ब्रेला स्कीम का एक भाग है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय परियोजना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) वर्ष 1996-97 शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राज्यों को ऋण सहायता देना है जिससे वे अपनी कुछ ऐसी अपूर्ण वृहत्त/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जो पूरी होने के करीब हों, को पूरा कर सकें और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर सकें। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों तथा ओडिशा के कोरापुट्ट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों के सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी वर्ष 1999-2000 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है। अन्य केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों की तरह इस कार्यक्रम में अप्रैल, 2004 से अनुदान घटक शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों को एआईबीपी के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरूआत से जनवरी, 2016 तक 297 वृहत्त एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 16769 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में 68136.23 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अब तक 143 वृहत्त/मध्यम तथा 12600 सतही लघु सिंचाई स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। मार्च, 2014 तक 95.55 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

यह स्कीम एआईबीपी के तहत जल्द से जल्द सभी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त 3 अथवा 4 वर्ष में पूरा करने हेतु फिर से 46 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए पीएमकेएसवाई के तहत पहले ही आबंटित बजट के अतिरिक्त पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाना है।

पीएमकेएसवाई के तहत निम्नलिखित चार अन्य प्रमुख घटक है-

1) सीएडीडब्ल्यूएम
2) आरआरआर
3) एसएमआई
4) भूमिजल लघु सिंचाई

पीएमकेएसवाई की प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है-

क) फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेशों के संमिलन को प्राप्त करना (जिला स्तर और, यदि आवश्यक हो, उपजिला स्तरीय जल उपयोग योजनाओं को तैयार करना)

ख) सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेत में जल वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और कृष्य क्षेत्र का विस्तार।

ग) जल की बर्बादी को कम करने तथा अवधि और विस्तार दोनों ही रूपों में जल की उपलब्धता के लिए बेहतर खेत जल उपयोग दक्षता।

घ) सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) को अपनाने में वृद्धि लाना।

ङ) जलभृत के पुनर्भरण को बढ़ाना और स्थासी जल संरक्षण पद्धतियों को शुरू करना।

च) मृदा और जल संरक्षण, भूमिजल उत्पादन, अपवाह को रोकना, जीविका के विकल्पों को उपलब्ध कराने और अन्य एनआरएम गतिविधियों के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षा पोषित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।

छ) किसानों और तृणमूल स्तर के फील्ड कार्यकताओं के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल संरेखण से संबंधित विस्तारित गतिविधियों को बढ़ावा देना।

ज) अर्द्धशहरी कृषि के लिए शोधित नगर निगम जल का पुन: प्रयोग करने की साध्यता का पता लगाना और

झ) सटीक सिंचाई में व्यापक निजी निवेश को आकर्षित करना।

<u>12 वीं योजना में एआईबीपी को जारी रखना</u>

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 12.9.2013 को हुई अपनी बैठक में एआईबीपी की स्कीम को 12 वीं योजना में कार्यान्वित किए जाने का अनुमोदन दिया है। 12 वीं योजना के दौरान एआईबीपी कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कुल 55200 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और एआईबीपी के साथ-साथ सीएडी एवं डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के लिए

कुल 1500 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रस्तावित है। योजना आयोग द्वारा आवंटित निधि को देखते हुए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं और विवरण सारणी-3 में दिया गया है:

सारणी-3 12वीं योजना के दौरान एआईबीपी कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित लक्ष्य (लाख हे.)
1	चल रही एमएमआई परियोजनाओं और नई एमएमआई परियोजनाओं को पूरा करके नई सिंचाई क्षमता (आईपी) सृजित करना और पुरानी एमएम परियोजनाओं के ईआरएम द्वारा, खोई हुई सिंचाई क्षमता की पुन: बहाली	24
2	नई और चल रही सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके नई सिंचाई क्षमता (आईपी) का सृजन	10
3	सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को समाप्त करना	36

<u>12 वीं योजना में एआईबीपी की नीतियों में परिवर्तन</u>

कुछ प्रमुख नीतिगत परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

1. एआईबीपी एवं सीएडी एवं डब्ल्यूएम कार्यों का साथ-साथ कार्यान्वयन।
2. सामान्य क्षेत्रों की नई परियोजनाओं को लागत की 25% राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में देनी जारी रहेगी। इसे बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य वास्तव में जल क्षेत्र सुधार करें और ''सुधार हितैषी'' मानकों को पूरा करें।
3. गैर विशेष श्रेणी राज्यों के विशेष क्षेत्रों में पात्र सिंचाई परियोजनाओं के लिए एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, परियोजना (कार्य घटक) का 60% होगी।
4. उत्तरपूर्वी और पहाड़ी राज्यों में नई परियोजनाओं के लिए पात्र सिंचाई परियोजनाओं के लिए एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, परियोजना (कार्य घटक) का 90% होगी।
5. परियोजनाओं के निर्माण का अग्रिम चरण विनिर्दिष्ट किया गया हो।

II. <u>गंगा सफाई संबंधी राष्ट्रीय परियोजनाएं</u>

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) राष्ट्रीयगंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का कार्यान्वयन विंग है। यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत एक

पंजीकृत सोसाइटी है। सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एनएमसीजी के शासी परिषद के वर्तमान अध्ययक्ष हैं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा एनजीआरबीए के आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एनएमसी समन्वय निकाय है और इसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) द्वारा सहायता दी जा रही है, जो कि झारखंड में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी और एक समर्पित नोडल सेल भी है।

एनएमसीजी के प्रचालन का क्षेत्र उन राज्यों, जहां गंगा नदी बह रही है, सहित गंगा नदी बेसिन के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी है।

भारत सरकार में संयुक्त सचिव (जेएस) एनएमसीजी के मिशन निदेशक है। एनएमसीजी के व्यापक पर्यवेक्षण में परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के अध्यक्ष संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी है।

स्वीकृत परियोजनाएं

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने जापान अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (जेआईसीए) और विश्व बैंक की सहायता सहित बाह्य सहायता प्राप्त (ईएपी) घटक सहित एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत 7350.38 करोड़ रूपए की लागत से गंगा राज्यों के 55 नगरों में अब तक कुल 93 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें सीवेज नेटवर्क बिछाने, शोधन संयंत्रों को लगाने, नदी तट विकास आदि के लिए उत्तर प्रदेश में 2406.96 करोड़ रूपए, बिहार 2155.62 करोड़ रूपए, झारखंडण में 99.36 करोड़ रूपए, पश्चिम बंगाल में 1352.51 करोड़ रूपए और उत्तराखंड में 378.29 करोड़ रूपए की परियोजनाएं शामिल है। ये स्वीकृत परियोजनाएं गंगा नदी संबंधी प्रदूषण सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएएस), पर्यावरणीय विनियामकों का सुदृढ़ीकरण (एसईआर)-सीपीसीबी और एनएमसीजी में गंगा ज्ञान केन्द्र (जीकेसी) की स्थापना की परियोजना (48.54 करोड़ रूपए) के संबंध में 198.48 करोड़ रूपए वाली 3 सीपीसीबी परियोजनाओं को भी शामिल करती हैं।

इसके अतिरिक्त जैव विधितता संरक्षण, वन रोपण, गंगा की खास विशेषताओं का आकलन और डालफिन संरक्षण के लिए संप्रेषण और जागरूकता और संबंधी परियोजनाओं के लिए 11.24 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति परियोजनओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा 1414.54 करोड़ रूपए की राशि (31 मार्च, 2015 तक) जारी की गई है।

बाह्य निधियन और निधियन तंत्र

बाह्य निधियन

केन्द्र सरकार ने 7,000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) को 'विश्व बैंक' सहायता के लिए परियोजनाओं का अनुमोदन किया। बैंक तकनीकी सहायता और 1 बिलियन अमरिकी डॉलर (लगभग 4600 करोड़ रूपए) की निधियन उपलब्ध करा के भारत सरकार को सहायता देगी। विश्व बैंक बोर्ड ने 31 मई, 2011 को इस परियोजना का अनुमोदन किया। दिनांक 14 जून, 2011 को विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अधिकरण (जेआईसीए) 85:15 आधार पर 496.9 करोड़ रूपए की लागत से वाराणसी में गंगा पर एक परियोजना को सहायता दे रहा है।

निधियन तंत्र

आवश्यक शोधन और जल निकास अवसंरचना के सृजन हेतु अपेक्षित निवेशों को 70:30 के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा संसाधन वसूली और राजस्व तैयार करने के लिए यूएलबी को प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही एनजीआरबीए परियोजनाओं में शुरूआती 5 वर्षों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एवं एन) की लागत को आवधिक समीक्षा सहित 70:30 के आधार पर केन्द्र और राज्य के बीच बांटा जाएगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित हाईब्रिड वार्षिकी मॉडल

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित हाईब्रिड मॉडल संबंधी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अवसरंचना परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक सांस्थानिक तंत्र और वित्तीय मॉडल तथा ऐसी परियोजनाओं की योजना, संरचना, कंसेसियनरिज अधिप्राप्ति, निगरानी, कार्यान्वयन तथा शोधित जल के लिए बाजार का विकास को फरवरी, 2016 में अनुमोदित किया गया है। वित्तीय स्थायीत्व, परिणामोन्मुख और जवाबदेही मोड में नमामि गंगे के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का उद्देश्य है।

नमामि गंगे कार्यक्रम

केन्द्रीय बजट 2014-15 ने गंगा, जिसका कि देश की सामूहिक चेतना में बहुत ही खास जगह है, के संरक्षण और सुधार के संबंध में पहले ही खर्च की गई पर्याप्त राशि को ध्यान में लिया है। तथापि, सभी पणधारियों द्वारा समन्वित प्रयास के अभाव के कारण किए गए प्रयासों से अब भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

तद्नुसार बजट 2014-15 के दौरान 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। नमामि गंगे का दृष्टिकोण मौजूदा चल रहे प्रयासों को समेकित

कर गंगा का संरक्षण करना है और भविष्य के लिए एक ठोस कार्रवाई योजना तैयार करना है। घाटों और नदी तटों पर किए गए कार्यकलाप नागरिकों के साथ बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेंगे और नदी केन्द्रीक शहरी आयोजना प्रक्रिया के लिए माहौल तैयार करेंगे।

गंगा संरक्षण की चुनौतियों की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-पणधारी प्रकृति को पहचानते हुए प्रमुख मंत्रालयों (क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (ग) पोत परिवहन मंत्रालय (घ) पर्यटन (ङ) शहरी विकास (च) पेयजल एवं स्वच्छता और शहरी विकास मंत्रालय को शामिल करते हुए जून, 2014 से एक साथ एक कार्रवाई योजना तैयार करने पर कार्य कर रहे है। समन्वित मंत्रालयों ने मसौदा कार्रवाई योजना विकसित करने हेतु सचिवों के समूह का नामांकित किया है और प्रगति समीक्षा तथा मार्ग दर्शन देने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित की गई है। सचिवों के समूह ने 21 जुलाई, 2014 को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और माननीय मंत्रियों से प्राप्त फीड बैक को ध्यान में रखने के पश्चात् 28 अगस्त, 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मंत्रिमंडल ने एक व्यापक कार्यक्रम के तहत गंगा नदी और इसकी सभी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में 13 मई, 2015 को नमामि गंगे कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। नमामि गंगे का ध्यान लघु अवधि में गंगा की सफाई के साथ-साथ निम्नलिखित सात मुख्य ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों सहित व्यापक दृष्टिकोण पर भी है- बहाव का अनुरक्षण, नदी तट विकास, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, जैव विविधता संरक्षण और संप्रेक्षण एवं सार्वजनिक पहुंच। अगले 5 वर्षों (2019) तक खर्च किए जाने हेतु इस परियोजना के लिए कुल 20,000 करोड़ रूपए आबंटित किया गया है। इसमें गंगा नदी की सफाई के लिए चल रही परियोजनाओं और नई पहलों के लिए निधि आबंटन भी शामिल है। कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य प्रदूषण निवारण है। नमामि गंगे के तहत प्रमुख गतिविधियों में मौजूदा एसटीपी का पुनर्स्थापन, नई एसटीपी का सृजन, ग्राम पंचायतों के लिए पूर्ण स्वच्छता कवरेज, मॉडल शवदाह गृहों/धोबी घाटों का विकास दक्ष आयोजना और निगरानी के लिए जीआईएस प्लेटफार्म में निर्णय सहायता प्रणाली का विकास तथा तत्काल समय चेतावनी और अनुमान की क्षमता सहित आईटी आधारित निगरानी केन्द्रों का सृजन शामिल है। सृजित शोधन संपत्ति के संपूर्ण जीवन चक्र लागत, जिसमें 10 वर्ष तक प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एवं एम) शामिल है, के लिए कार्यक्रम में 100% केन्द्र सरकारी वित्तपोषण की अभिकल्पना है। जलीय प्रजातियों के संरक्षण सहित 'नमामि गंगे' के तहत नदी बहाव को बनाए रखना और नदी तटों पर औषोधीय और स्थानीय पौधे सहित वनरोपण के महत्व को भी अभिज्ञात किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 2750 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें घाट कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपए भी शामिल है।

अनुलग्नक - IV

11वीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के ब्यौरें दर्शानें वाला विवरण (अध्याय-V)

(करोड़ रूपए में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	XIवीं योजना परिव्यय	लेखों के शीर्ष	बजट अनमान 2007-08	वास्तविक 2007-08	बजट अनमान 2008-09	वास्तविक 2008-09	बजट अनमान 2009-10	वास्तविक 2009-10	बजट अनमान 2010-11	वास्तविक 2010-11	बजट अनमान 2011-12	वास्तविक 2011-12
वृहद और मध्यम सिंचाई												
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	**15.00**	**2701**	2.00	1.86	2.30	2.37	2.60	2.53	4.00	2.94	3.00	3.62
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	**260.00**	**2701**	30.00	33.28	60.00	39.81	52.00	32.85	54.00	41.38	46.19	34.20
3. जल विज्ञान परियोजना	**180.00**	**2701**	33.00	6.98	44.00	9.92	38.10	21.54	53.00	27.22	80.00	27.65
4. जल संसाधनों के विकास की सूचना प्रणाली	**200.00**	**2701**	30.00	18.65	46.00	45.58	70.00	63.10	66.00	39.43	59.00	53.58
5. अवसंरचना विकास	**	**2701**	4.00	1.33	5.00	2.06	1.00	1.28	3.00	2.82	3.00	2.13
6. जल संसाधन विकास जांच	**260.00**	**2701**	30.00	25.09	37.00	36.17	42.00	37.01	54.00	44.27	54.00	52.97
7. सूचना, शिक्षा और संचार	**90.00**	**2701**	2.00	1.32	13.00	9.08	12.00	10.85	15.00	13.30	25.00	14.32
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और नियोजन	**10.00**	**2701**	1.00	0.48	1.60	0.80	1.00	0.34	1.50	1.10	3.00	1.38
9. नदी बेसिन संगठन / प्राधिकरण	**50.00**	**2701**	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	4.00	0.00
कुल: वृहद और मध्यम सिंचाई			**132.50**	**88.99**	**209.90**	**145.79**	**219.20**	**169.50**	**251.00**	**172.46**	**277.19**	**189.85**
लघु सिंचाई												
सतही जल स्कीमें												
10 भूजल प्रबंधन और विनियमन	**460.00**	**2702**	62.00	48.11	95.00	54.37	70.00	68.82	100.00	80.92	120.00	130.75
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यटीएंडआरआई	**25.00**	**2702**	1.50	0.60	2.10	0.64	2.00	1.78	6.00	3.19	3.00	3.65
12. अवसंरचना विकास	**	**4702**	4.55	1.27	7.00	2.07	4.50	2.15	10.50	6.86	11.40	6.97
कल: लघु सिंचाई			**68.05**	**49.98**	**104.10**	**57.08**	**76.50**	**72.75**	**116.50**	**90.97**	**134.40**	**141.37**
13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**$$**	**2705**	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कल: सीएडीएंडडब्ल्यएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र												
14. बाढ़ पूर्वानुमान	**130.00**	**2711**	16.00	13.91	23.00	13.68	25.00	17.38	36.00	24.02	36.00	33.13
15. अवसंरचना विकास	**	**4711**	3.45	1.54	26.00	6.56	9.50	4.25	15.00	9.48	14.00	5.73
16. नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा पार नदियों से संबंधित कार्य	**601.00**	**2711**	46.00	51.44	160.00	176.09	199.30	159.46	199.00	179.52	188.00	135.98
17. पागलादिया बांध परियोजना	**500.00**	**2552**	1.00	1.35	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00
कल: बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र			**66.45**	**68.24**	**211.00**	**196.33**	**234.30**	**181.09**	**250.50**	**213.02**	**238.01**	**174.84**
परिवहन क्षेत्र												
18. फरक्का बैराज परियोजना	**350.00**	**5075**	33.00	30.99	75.00	54.03	70.00	68.95	82.00	44.02	70.40	69.46
**** XIवीं योजना के लिए कुल बजट आबंटन**	**115.00**											
$$ इस स्कीम को 2008-9 को राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है												
कुल योग	**3246.00**		**600.00**	**516.04**	**600.00**	**453.23**	**600.00**	**492.29**	**700.00**	**520.47**	**720.00**	**575.52**

अनुलग्नक - V
(अध्याय-V)

12वीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के ब्यौरें दर्शानें वाला विवरण

(करोड़ रूपए में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XIIवीं योजना	लेखों के	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
	परिव्यय	शीर्ष	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14	2013-14	2013-14	2014-15	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	31.12.2015
केन्द्र क्षेत्र स्कीमें														
I. मध्यम सिंचाई														
1. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	360.00	**2701**	100.00	35.00	31.37	50.00	35.00	31.36	50.00	34.55	31.95	30.00	54.60	28.16
2. जल संसाधन विकास सूचना प्रणाली	##	**2701**	84.99	40.00	38.30	149.98	43.00	42.65	225.38	79.99	81.53	80.99	75.33	48.61
3. अवसंरचना विकास	**$$**	**2701**	3.20	1.50	1.41	2.55	1.30	1.07	2.90	1.92	1.89	2.00	1.30	0.83
4. जल विज्ञान	120.00	**2701**	70.00	43.72	37.9	70.00	50.00	40.73	31.38	24.55	24.85	10.00	2.00	0.02
5. मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण	**	**2701**	85.00	29.90	11.09	85.00	24.50	20.48	43.00	23.10	21.44	22.00	12.30	6.18
6. नदी बेसिन प्रबंधन	**&&**	**2701**	110.00	57.40	58.67	100.00	65.00	64.87	107.00	78.00	75.54	45.20	87.00	55.37
7. राष्ट्रीय जल मिशन कार्यान्वयन	1390.00	**2701**	200.00	0.25	0.00	110.00	2.00	0.71	40.00	1.45	1.29	20.00	9.00	2.40
8. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	6000.00	**2701**	100.00	0.75	0.24	40.00	0.10	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (ड्रिप)	120.00	**2701**	24.00	2.30	0.43	36.00	9.00	4.60	30.00	14.30	13.71	29.00	16.00	9.10
10 बोरवाड़ परिसर सिंचन योजना		**2701**	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	200.00	66.67	66.66	1.00	0.00	0.00
11. प्रभाव अध्ययन आकलन परियोजना (एआईआबीएफएमपी)		**2701**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.05	0.03	5.00	0.13	0.03
12. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (2014-15 से नई स्कीम)		**2701**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	100.00	400.00	100.00
13. नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी डीपीआर		**2701**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	100.00	0.00	0.00
कल: मध्यम सिंचाई			**777.19**	**210.82**	**179.41**	**643.53**	**242.30**	**206.47**	**1130.66**	**584.58**	**568.89**	**446.19**	**657.66**	**250.70**
II. लघु सिंचाई														
सतही जल स्कीमें														
14. भूजल प्रबंधन और विनियमन	3539.00	**2702**	318.00	180.00	118.28	275.00	140.00	80.40	325.00	143.00	125.29	163.00	163.00	77.27
15. मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण	**	**2702**	15.00	9.00	6.09	9.00	7.00	5.11	7.00	6.00	5.46	7.00	6.65	4.34
16. अवसंरचना विकास	**$$**	**4702**	39.80	6.93	3.45	28.00	7.70	3.43	48.60	5.49	3.55	9.00	3.00	0.57
17. जल संसाधन सूचना प्रणाली विकास	##	**2702**	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
कल: लघु सिंचाई			**372.81**	**195.93**	**127.82**	**312.02**	**154.70**	**88.94**	**380.62**	**154.50**	**134.30**	**179.01**	**172.66**	**82.18**
III. बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र														
18. बाढ़ पूर्वानुमान	794.00	**2711**	48.00	30.00	25.21	150.00	25.00	24.67	100.00	30.00	28.65	50.00	35.00	23.65
19. अवसंरचना विकास	**$$**	**4711**	12.00	6.57	4.99	19.45	11.00	5.80	28.50	17.10	12.20	6.00	3.70	1.67
20. नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा पार नदियों से संबंधित कार्य	763.00	**2711**	125.00	30.00	25.99	125.00	67.00	30.03	175.00	115.26	93.66	102.00	240.56	71.72
21. नदी बेसिन प्रबंधन	**&&**	**2711**	90.00	76.68	76.00	100.00	85.00	85.00	143.00	80.00	80.00	73.80	78.15	44.51
कल: बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र			**275.00**	**143.25**	**132.19**	**394.45**	**188.00**	**145.50**	**446.50**	**242.36**	**214.51**	**231.80**	**357.41**	**141.55**
IV. परिवहन क्षेत्र														
22. फरक्का बैराज परियोजना	558.00	**5075**	75.00	100.00	73.56	150.00	115.00	89.82	150.00	85.00	79.39	100.00	84.00	60.08
V. पारिस्थितिकी और पर्यावरण (नई स्कीमें 2014-15)														
24. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना		**3435**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	453.00	337.46	550.00	550.00	367.00
25. राष्ट्रीय गंगा योजना (एनसीईएफ के तहत शेष से पूरा किया		**3435**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	2100.00	1000.00	1000.00

(करोड़ रूपए में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XIIवीं योजना	लेखों के	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
	परिव्यय	शीर्ष	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14	2013-14	2013-14	2014-15	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	31.12.2015
जाना)		3435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1500.00	-1500.00	0.00	-2100.00	-1000.00	-1000.00
26. नदी तट के सौंदर्यीकरण संबंधी घाट कार्य		3435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	67.00
27. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जल परियोजनाएं		3435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	320.00	0.00	0.00	0.00
कुल: पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1137.00**	**1053.00**	**657.46**	**650.00**	**650.00**	**434.00**
VI. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें														
20. त्वरित सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम		3601 & 2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8992.22	3276.56	3261.04	1000.00	3009.76	793.89
21. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
		3601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	4.00	0.00	900.00	1400.00	351.35
कुल: केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9992.22**	**3280.56**	**3261.04**	**2000.00**	**4509.76**	**1145.24**
कुल योग	**18118.00**		**1500.00**	**650.00**	**512.98**	**1500.00**	**700.00**	**530.73**	**13237.00**	**5400.00**	**4915.59**	**3607.00**	**6431.49**	**2113.75**

## जल संसाधन सूचना प्राणाली का विकास	2247.00
$$ असंरचना विकास	337.00
** मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	610.00
&& नदी बेसिन प्रबंधन	1280.00

अनुलग्नक-VI
(अध्याय-V)

12वीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के ब्यौरें दर्शानें वाला विवरण

समूह / स्कीम घटक	लेखा शीर्ष	ब.अ. 2016-17
I. वृहद सिंचाई परियोजनाएं		
1. पोलावरम बहउद्देशीय परियोजना	**2700**	**100.00**
2. फरक्का बैराज परियोजना		**80.00**
	3075	18.00
	5075	62.00
3. बांध पुनर्वास सुधार कार्यक्रम (डीआरईपी)		**23.98**
(क) ईएपी घटक	**2701**	18.80
	4701	0.40
(ख) कार्यक्रम घटक	**2701**	4.68
	4701	0.10
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल परियोजना		**0.02**
	3435	0.01
	5425	0.01
कुल: बृहद सिंचाई परियोजना		**204.00**
II. नमामि गंगे		
1. राष्ट्रीय गगा योजना	**3435**	2150.00
2. नदी तट सौंदर्यीकरण संबंधी घाट कार्य	**3435**	100.00
कुल: नमामि गंगे		**2250.00**
III. नदी बेसिन प्रबंधन		
1. राष्ट्रीय जल मिशन		**25.00**
	2701	21.00
	4701	4.00
2. नदी बेसिन प्रबंधन		**173.60**
	2552	79.98
	2701	92.60
	2711	0.01
	4701	1.00
	4711	0.01
3. बाढ़ पूर्वानुमान		**60.00**
	2552	6.04
	2711	38.63
	4552	0.33
	4711	15.00
4. नदियों को आपस में जोड़ना	**2701**	**1.00**
कुल: नदी बेसिन प्रबंधन		**259.60**
IV. जल संसाधन प्रबंधन		
1. जल ससाधन सूचना प्रणाली का विकास		**84.87**
	2552	2.00
	2701	64.48
	2702	0.02
	4701	18.37
2. भूमिजल प्रबंधन और विनियमन		**303.39**
	2552	0.01
	2702	103.38
	4702	200.00
3. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना		**165.00**
(क) ईएपी घटक	**2701**	52.75
	4701	24.75
(ख) कार्यक्रम घटक	**2552**	8.00
	2701	54.75

समूह / स्कीम घटक	लेखा शीर्ष	ब.अ. 2016-17
	4701	24.75
4. जल संसाधन का अनुसंधान और विकास		**55.00**
	2701	45.00
	4701	10.00
5. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	**2701**	**0.01**
6. एचआरडी/क्षमता निर्माण कार्यक्रम		**32.00**
	2552	5.00
	2701	17.60
	2702	7.60
	4701	1.40
	4702	0.40
7. अवसंरचना विकास		**20.00**
	2701	3.40
	4701	0.60
	4702	7.00
	4711	9.00
कुल: जल संसाधन प्रबंधन		**660.27**
V. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना)		
1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)		**1000.00**
	2552	100.00
	3601	900.00
2. पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी)		**500.00**
	2552	40.00
	2701	5.00
	3601	450.00
	3602	5.00
3. एआईबीपी परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन	**2701**	**1.00**
4. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम		**150.00**
	2552	20.00
	3601	129.99
	3602	0.01
5. सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां और कार्य		**200.00**
	2711	74.18
	3601	120.28
	3602	4.00
	4711	1.54
6. सिंचाई गणना		**25.13**
	3601	25.00
	3602	0.13
कुल: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: एआईबीपी और पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना)		**1876.13**
VI. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना		**250.00**
(क) ईएपी घटक	**3435**	128.00
	3601	1.00
	3602	1.00
(ख) कार्यक्रम घटक	**3435**	119.00
	3601	1.00
कुल योग: (I-VI)		**5500.00**